



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-जी.जे.-अ.-20072021-228383
CG-GJ-E-20072021-228383

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 291]
No. 291]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 19, 2021/आषाढ 28, 1943
NEW DELHI, MONDAY, JULY 19, 2021/ASHADHA 28, 1943

अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण

अधिसूचना

गांधी नगर, 16 जुलाई, 2021

अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (प्रतिभूतियों का निर्गम एवं सूचीबद्धता) विनियमन, 2021

सं. आई.एफ.एस.सी.ए./2021-22/जी.एन.रिग्यु.015.—अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 की धारा 12 की उप-धारा (1) एवं धारा 13 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 28 की उप-धारा (1); एवं भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 28 ग के साथ पठित धारा 30 एवं धारा 11क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है:-

अध्याय – I: प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

1. (1) इन विनियमों को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (प्रतिभूतियों का निर्गम एवं सूचीबद्धता) विनियमन, 2021 कहा जाएगा।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

परिभाषाएं

2. -इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इसमें परिभाषित शब्दों के वही अर्थ होंगे जो नीचे उनके लिए नियत हैं, और उनके सजातीय पदों का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा, -

(क) “अधिनियम”से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम (2019 का 50) अभिप्रेत है;

(ख) “कारबार संयोजन”से कारबार प्रचालन करने वाली एक अथवा उससे अधिक कंपनियों के शेयरों अथवा परिसंपत्तियों का विलय अथवा आमेलन अथवा अर्जन अभिप्रेत है;

- (ग) “संपरिवर्तनीय ऋण लिखत” से वह लिखत अभिप्रेत है जो ऋणग्रस्तता पैदा करती है अथवा अभिस्वीकृत करती है एवं जो लिखत के धारक के विकल्प पर अथवा के बिना, बाद वाली तारीख को निगमकर्ता के इक्विटी शेयरों में संपरिवर्तनीय है, चाहे निर्गमकर्ता की आस्तियों पर भार के रूप में हो अथवा न हो;
- (घ) “संपरिवर्तनीय प्रतिभूति”से वह प्रतिभूति अभिप्रेत है जो ऐसी प्रतिभूतियों के धारक के विकल्प सहित अथवा के बिना बाद वाली तारीख को निर्गमकर्ता के इक्विटी शेयरों में संपरिवर्तनीय अथवा से विनिमय योग्य है और जिसमें संपरिवर्तनीय ऋण लिखत व संपरिवर्तनीय अधिमानी शेयर सम्मिलित है;
- (ङ) “ऋण प्रतिभूति”से असंपरिवर्तनीय ऋण प्रतिभूति अभिप्रेत है जो ऋणग्रस्तता पैदा करती है अथवा अभिस्वीकृत करती है और जिसमें डिबेंचर व बॉण्ड सम्मिलित है;
- (च) “नामनिर्दिष्ट स्टॉक एक्सचेंज” से वह मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज अभिप्रेत है जिसमें निर्गमकर्ता की प्रतिभूतियां सूचीबद्ध हैं अथवा सूचीबद्ध किये जाने के लिए प्रस्तावित हैं एवं जिसे निर्गमकर्ता द्वारा इन विनियमों के अधीन विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों के विशिष्ट निर्गम के प्रयोजनार्थ नामनिर्दिष्ट स्टॉक एक्सचेंज के रूप में चुना जाता है;
- (छ) “डीआर” अथवा “निक्षेपागार रसीद” से परक्राम्य वित्तीय लिखत अभिप्रेत है जो किसी दूसरे अधिकार क्षेत्र में सूचीबद्ध कंपनी के अंतर्निहित प्रतिभूतियों का अभ्यावेदन करती हैं;
- (ज) “विदेशी अधिकार क्षेत्र” से भारत से अतिरिक्त कोई अन्य देश अभिप्रेत है जिसका प्रतिभूति बाजार नियामक, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग के बहुपक्षीय समझौता ज्ञापन (परिशिष्ट क हस्ताक्षरकर्तागण) का हस्ताक्षरकर्ता है अथवा आईएफएससीए के साथ द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन का हस्ताक्षरकर्ता है एवं जिसका फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के सार्वजनिक बयान में अभिज्ञान न किया गया हो:
- आतंकवाद के वित्तपोषण में कमी लाने में कार्यनीतिक धन-शोधन-निवारण अथवा सामना करने वाला अधिकार क्षेत्र जिस पर प्रत्युपाय प्रयोज्य होते हैं; अथवा
 - ऐसा अधिकार क्षेत्र जिसने कमियों को दूर करने में पर्याप्त प्रगति नहीं की है अथवा कमियों को दूर करने के लिए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के साथ विकसित कार्य योजना के प्रति कटिबद्ध नहीं है;
- (झ) “बाद वाला सार्वजनिक प्रस्ताव” अथवा “एफपीओ” से सूचीबद्ध निर्गमकर्ता द्वारा अभिदान के लिए जनता को विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों का प्रस्ताव अभिप्रेत है एवं जिसके अंतर्गत सूचीबद्ध निर्गमकर्ता में ऐसी विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों के मौजूदा धारकों में से किसी धारक द्वारा जनता को विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों के विक्रय के लिए प्रस्ताव सम्मिलित है;
- (ञ) “ग्रीन शू विकल्प” से सार्वजनिक निर्गम में सूचीयनोपरांत कीमत स्थिरीकरण तंत्र के रूप में प्रस्तावित विनिर्दिष्ट इक्विटी शेयरों से अधिक इक्विटी शेयरों को आबंटित करने का विकल्प अभिप्रेत है;
- (ट) “आईएफएससीए” अथवा “प्राधिकरण” से अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) के अधीन स्थापित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अभिप्रेत है;
- (ठ) “सूचना पत्रक” से ब्यौरेवार रिपोर्ट की सूचीबद्धता अथवा पत्रक प्रस्तुत करना अथवा परिपत्र अथवा कोई दस्तावेज प्रस्तुत करना अभिप्रेत है जो प्रतिभूतियों की सूचीबद्धता के लिए आवेदन के संबंध में निवेशकों के साथ निर्गमकर्ता एवं प्रतिभूतियों के बारे में निश्चित सूचना उपलब्ध कराते हैं;
- (ड) “आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव” अथवा “आईपीओ” से असूचीबद्ध निर्गमकर्ता द्वारा अभिदान के लिए जनता को विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों का प्रस्ताव अभिप्रेत है एवं जिसके अंतर्गत असूचीबद्ध निर्गमकर्ता में ऐसी विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों के मौजूदा धारकों में से किसी धारक द्वारा जनता को विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों के विक्रय के लिए प्रस्ताव सम्मिलित है;
- (ढ) “अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र” अथवा “आईएफएससीए” का वही अर्थ होगा जो अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) के खंड (छ) के अधीन इसे निर्दिष्ट किया गया है;
- (ण) “मूल प्रबंधकीय कार्मिक” से निर्गमकर्ता के वे अधिकारीगण अथवा कार्मिक अभिप्रेत हैं जो उसके मूल प्रबंधन दल (निदेशक मंडल को छोड़कर) के सदस्य हैं एवं जिसमें निर्गमकर्ता के कार्यकारी निदेशक, वित्तीय प्रमुख से ठीक नीचे के स्तर पर प्रबंधन के सदस्यगण सम्मिलित हैं एवं जिसमें ऐसा ‘मूल प्रबंधकीय कार्मिक’ सम्मिलित है जैसा कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन परिभाषित है अथवा कोई अन्य व्यक्ति सम्मिलित है जिसे निर्गमकर्ता मूल प्रबंधकीय कार्मिक के रूप में घोषित करे;
- (त) “अग्रणी प्रबंधक” से निर्गमकर्ता द्वारा निर्गम का प्रबंधन करने के लिए नियुक्त मर्चेन्ट बैंकर अभिप्रेत है एवं वही निर्मित निर्गम के मामले में, निर्गमकर्ता द्वारा नियुक्त अग्रणी प्रबंधक (गण) वही निर्माण के प्रयोजनार्थ वही संचालक अग्रणी प्रबंधक (गण) के रूप में कार्य करेगा/करेंगे;

- (थ) "सूचीबद्ध कंपनी" से वह कंपनी अभिप्रेत है जिनकी विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियां अथवा निक्षेपागार रसीदें आईएफएससी में मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज(जों) में सूचीबद्ध हैं;
- (द) "मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज" से प्राधिकरण द्वारा आईएफएससी में मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज अभिप्रेत है;
- (ध) "विशेष प्रयोजन अर्जन कंपनी" अथवा "एसपीएसी" से वह कंपनी है जो कोई प्रचालन कारबार नहीं करती है एवं जिसका गठन कारबार संयोजन को प्रभाव देने के प्राथमिक उद्देश्य से किया गया है;
- (न) "विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियां" से इक्विटी शेयर एवं संपरिर्वनीय प्रतिभूतियां अभिप्रेत हैं;
- (प) "एसआर इक्विटी शेयर" से सर्वोच्च मताधिकार रखने वाले किसी निर्गमकर्ता का उस निर्गमकर्ता द्वारा जारी अन्य सभी इक्विटी शेयरों की तुलना में इक्विटी शेयर अभिप्रेत हैं;
3. इन विनियमों में प्रयुक्त एवं अपरिभाषित किंतु अधिनियम, कंपनी अधिनियम, 2013, प्रतिभूति संविदा (विनियम) अधिनियम, 1956, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992, निक्षेपागार अधिनियम, 1956 अथवा उनके अधीन बनाये गये कोई नियमों अथवा विनियमों में परिभाषित शब्दों और पदों का वही अर्थ होगा जो यथास्थिति, ऐसे अधिनियमों अथवा नियमों अथवा विनियमों अथवा किसी कानूनी उपांतर अथवा उनकी पुनः अधिनियमिति में क्रमशः उनके लिए नियत हों।

अनुप्रयोज्यता

4. ये विनियम लागू होंगे:

- (क) किसी असूचीबद्ध निर्गमकर्ता द्वारा विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों के आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव;
- (ख) किसी सूचीबद्ध निर्गमकर्ता द्वारा विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों के बाद वाला सार्वजनिक प्रस्ताव;
- (ग) स्टार्ट-अप कंपनी अथवा किसी एसएमई कंपनी द्वारा विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों की सूचीबद्धता;
- (घ) विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों की गौण सूचीबद्धता;
- (ङ) विशेष प्रयोजनअर्जन कंपनी द्वारा विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों का आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव;
- (च) सूचीबद्ध निर्गमकर्ता द्वारा जारी साधिकार निर्गम एवं/अथवा अधिमानी निर्गम;
- (छ) निक्षापागार रसीदों की सूचीबद्धता;
- (ज) ऋण प्रतिभूतियों की सूचीबद्धता;
- (झ) ईएसजी ऋण प्रतिभूतियों की सूचीबद्धता; एवं
- (ञ) कोई अन्य प्रतिभूतियों का निर्गम एवं/अथवा सूचीबद्धता जो प्राधिकरण समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे।

अध्याय II: सामान्य शर्तें

साधारण नियम

5. किसी निर्गमकर्ता के लिए आईएफएससी में अपनी प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध करने के अंतर्निहित नियम हैं:

- (क) प्रस्ताव दस्तावेज में सारवान सूचना का यथार्थ, सही एवं पर्याप्त विगोपन हो ताकि निवेशकों सोच-समझकर विनिश्चय करने में समर्थ हो सकें;
- (ख) ऐसे वित्तीय परिणामों, जोखिम एवं अन्य गैर-वित्तीय सूचना का पूर्ण, सटीक एवं समयबद्ध विगोपन हो जो निवेशकों के विनिश्चय के लिए सारवान हो;
- (ग) सूचीबद्ध प्रतिभूतियों के सभी धारकों के साथ निष्पक्ष एवं न्यायसंगत रीति से व्यवहार किया जाएगा;
- (घ) निर्गमकर्ता गुणवत्ता, प्रचालन, प्रबंधन संबंधी अनुभव एवं विशेषज्ञता जहां भी लागू हो, के मानक बनाये रखेगा; एवं
- (ङ) निर्गमकर्ता के निदेशक शेयरधारकों के साथ-साथ अन्य पणधारकों के हित में कार्य करना सुनिश्चित करेंगे।

साधारण पात्रता मापदंड

6. (1) निम्नलिखित संस्थाएं किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में इन विनियमों के अधीन अपनी प्रतिभूतियां सूचीबद्ध करने की पात्र होंगी:
- (क) आईएफएससी में निगमित कंपनी;
- (ख) भारत में निगमित कंपनी; एवं
- (ग) विदेशी अधिकार क्षेत्र में निगमित कंपनी।

(2) उपरोक्त उप-विनियम (1) में किसी बात के होते हुए भी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में ऋण प्रतिभूतियों की सूचीबद्धता के संबंध में निम्नलिखित संस्थाएं भी पात्र होंगी, -

(क) कोई एकाधिक राष्ट्रीय, बहुपक्षीय अथवा सांविधिक संगठन/संस्थान/एजेंसी परंतु ऐसे संगठन/संस्थान/एजेंसी को उसके संविधान के अनुसार प्रतिभूतियां निर्गम करने की अनुमति है:

परंतु यह कि संस्था भारत, आईएफएससी अथवा विदेशी अधिकार क्षेत्र में पंजीकृत हो अथवा उसका मुख्यालय भारत अथवा विदेशी अधिकार क्षेत्र में हो;

(ख) कोई केंद्रीय या राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित अथवा अधिसूचित कोई नगरपालिका अथवा कोई सांविधिक निकाय अथवा बोर्ड अथवा निगम, प्राधिकरण, न्यास अथवा एजेंसी अथवा निर्गमकर्ता द्वारा अवसंरचना अथवा स्मार्ट सिटी विकसित करने के लिए निधि जुटाने के प्रयोजनार्थ सहित राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित कोई विशेष प्रयोजन माध्यम; एवं

(ग) कोई संस्था जिसकी प्रतिभूतियां संप्रभु (भारत या विदेशी अधिकार क्षेत्र) द्वारा अपरिवर्तनीय रूप से गारंटीकृत हैं।

7. निर्गमकर्ता, अपनी प्रतिभूतियों को आईएफएससी में इन विनियमों के अधीन, सूचीबद्ध करने का तभी पात्र होगा यदि, -

(क) निर्गमकर्ता अपने निगमन अथवा संस्थापन की जगह के सुसंगत कानूनों के अनुसार विधिवत निगमित या स्थापित है;

(ख) निर्गमकर्ता अपने गठन के अनुरूप प्रचालन कर रहा है; एवं

(ग) आईएफएससी में प्रतिभूतियों की सूचीबद्धता, निगमन के अधिकार क्षेत्र के लागू कानूनों के अनुसार है।

8. निर्गमकर्ता इन विनियमों के अधीन, प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध करने का पात्र नहीं होगा यदि निर्गमकर्ता अथवा उसका कोई संप्रवर्तक, संप्रवर्तक समूह, नियंत्रक शेयरधारक अथवा निदेशक अथवा बेचने वाला शेयरधारक है-

(क) पूंजीगत बाजार की पहुंच रखने से विवर्जित; अथवा

(ख) इरातदन चूककर्ता, अथवा

(ग) भगोड़ा आर्थिक अपराधी

9. मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने वाली प्रस्तावित प्रतिभूतियां मुक्त रूप से हस्तांतरणीय हों एवं अभौतिकीकृत स्वरूप में धारण किये गये हों।

अध्याय III: विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों (आईपीओ एवं एफपीओ) का सार्वजनिक प्रस्ताव

भाग क: आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव

पात्रता मापदंड

10. निर्गमकर्ता, आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव करने का तभी पात्र होगा यदि:

(क) निर्गमकर्ता के पास पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कम से कम 20 मिलियन अमरीकी डॉलर का प्रचालन राजस्व है; अथवा

(ख) निर्गमकर्ता ने पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के दौरान, समेकित लेखा परीक्षित खातों के आधार पर, कम से कम एक मिलियन अमरीकी डॉलर का औसत कर-पूर्व लाभ अर्जित किया हो; अथवा

(ग) कोई अन्य पात्रता मापदंड जो आईएफएससीए विनिर्दिष्ट करे।

स्पष्टीकरण: इस विनियम में वित्तीय वर्ष का वह वित्तीय वर्ष होगा जिसका निर्गमकर्ता द्वारा अनुकरण किया गया हो।

11. निर्गमकर्ता ने प्रासपेक्टस दाखिल करने की तारीख से कम से कम तीन वर्ष पूर्व कारबार प्रारंभ किया हो।

12. यदि निर्गमकर्ता ने किसी शेयरधारक को एसआर इक्विटी शेयर या दोहरे वर्ग के शेयर निर्गमित किये हैं, उक्त निर्गमकर्ता को निम्नलिखित के अनुपालन के अधीन, मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्धता के लिए सामान्य शेयरों की आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव करने की अनुमति होगी:

(क) एसआर इक्विटी शेयरों का निर्गम, निर्गमकर्ता के शेयरधारकों की आम बैठक में पारित विशेष संकल्प द्वारा प्राधिकृत किया गया था;

(ख) एसआर इक्विटी शेयर, रैड हैरिंग प्रॉस्पेक्टस दाखिल करने से पूर्व कम से कम 6 मास की कालावधि के लिए धारण किये गये हों;

(ग) एसआर इक्विटी शेयरों में सामान्य शेयरों की तुलना में कम से कम 2:1 से अधिकतम 10:1 के अनुपात में मताधिकार हो एवं ऐसा अनुपात केवल पूर्ण संख्या में होगा;

(घ) एसआर इक्विटी शेयरों का वही अंकित मूल्य होगा जो सामान्य शेयरों का हो; एवं

- (ड) एसआर इक्विटी शेयर, सर्वोच्च मताधिकार रखने वाले के एसआर इक्विटी शेयरों सिवाय, सभी संबंधों में सामान्य इक्विटी शेयरों के बराबर होंगे।

विक्रय के लिए प्रस्ताव

13. विक्रय के प्रस्ताव की दशा में, प्रतिभूतियां, प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज दाखिल किये जाने की तारीख से कम से कम एक वर्ष पूर्व की कालावधि के लिए विक्रेताओं द्वारा धारण किये गये हों:

परंतु यह कि यदि पूर्णतः समादत्त अनिवार्यतः संपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों जिनमें निक्षेपागार रसीदें सम्मिलित हैं, के संपरिवर्तन अथवा विनिमय पर प्राप्त इक्विटी शेयरों का प्रस्ताव विक्रय के लिए किया जा रहा है, तो ऐसी संपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों को तथा साथ ही पारिणामिक इक्विटी शेयरों को धारण करने की कालावधि पर, इस उप-विनियम में निर्दिष्ट एक वर्ष की कालावधि की गणना के प्रयोजनार्थ विचार किया जाएगा।

स्पष्टीकरण: यदि पूर्णतः समादत्त अनिवार्यतः संपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों के संपरिवर्तन अथवा विनिमय से उद्भूत इक्विटी शेयर, विक्रय के लिए प्रस्तावित किये जा रहे हैं, संपरिवर्तन अथवा विनिमय, प्रस्ताव दस्तावेज दाखिल करने से पूर्व पूर्ण किया जाए, परंतु यह कि संपरिवर्तन अथवा विनिमय के निबंधनों के पूर्ण विगोपन, प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज में किये गये हों।

परंतु यह और कि एक वर्ष की कालावधि के लिए इक्विटी शेयरों को धारण करने की अपेक्षा लागू नहीं होगी:

- क) यदि विक्रय के लिए प्रस्तावित इक्विटी शेयर, कारबार एवं निवेशित पूंजी के बदले विलय अथवा आमेसन की कोई योजना के अनुसरण में अर्जित की गई थी जो ऐसी योजना के अनुमोदन से पूर्व, एक वर्ष से अधिक की कालावधि के लिए विद्यमान रही थी; अथवा
- ख) यदि विक्रय के लिए प्रस्तावित इक्विटी शेयर, आईएफएससीए के पास प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज दाखिल करने के कम से कम एक वर्ष पूर्व की कालावधि के लिए धारित प्रतिभूतियों पर एवं आगे निम्नलिखित के अध्यायीन बोनस निर्गम के अधीन निर्गमित किये गये थे:
 - i. ऐसी विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियां, उस वित्त वर्ष, जिसमें प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज आईएफएससीए में दाखिल किया जाता है, से पूर्ववर्ती वित्त वर्ष के अंत की स्थिति के अनुसार लेखा बही में मौजूद मुक्त आरक्षित निधि एवं शेयर प्रीमियम में से निर्गमित की जा रही हैं; एवं
 - ii. ऐसे इक्विटी शेयर, निर्गमकर्ता के पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि के उपयोग अथवा असंसाधित लाभ द्वारा निर्गमित नहीं किये जा रहे हों।

अग्रणी प्रबंधक

14. निर्गमकर्ता निर्गम के लिए एक अथवा उससे अधिक मर्चेट बैंककारों को अग्रणी प्रबंधक(कों) के रूप में नियुक्त करेगा एवं अग्रणी प्रबंधक(कों) के परामर्श से अन्य मध्यवर्तियों को भी नियुक्त करेगा।

मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज (जों) से सैद्धांतिक अनुमोदन

15. (1) निर्गमकर्ता सैद्धांतिक अनुमोदन अभिप्राप्त करने के लिए मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों में आवेदन पत्र दाखिल करेगा:

परंतु यह कि जहां एक से अधिक मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में ऐसा आवेदन किया जाता है वहां निर्गमकर्ता, उनमें से एक को नामनिर्दिष्ट स्टॉक एक्सचेंज के रूप में चुनेगा।

(2) स्टॉक एक्सचेंज, निर्गमकर्ता से पूर्ण सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीस दिनों के भीतर, सैद्धांतिक अनुमोदन के आवेदन के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करेगा अथवा नामंजूर करेगा।

प्रस्ताव दस्तावेज को दाखिल करना

16. (1) निर्गमकर्ता, शुल्क जो आईएफएससीए विनिर्दिष्ट करे, के साथ प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज, अग्रणी प्रबंधक (कों) के माध्यम से दाखिल करेगा।

(2) अग्रणी प्रबंधक (गण) प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज के साथ सम्यक उद्यम प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा/करेंगे।

(3) प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज, आईएफएससीए, स्टॉक एक्सचेंज(जों) एवं अग्रणी प्रबंधक (कों) की वेबसाइट पर इसकी होस्टिंग करते हुए, कम से कम चौदह दिनों की कालावधि हेतु टिप्पणियों, यदि कोई हों, के लिए सार्वजनिक करेगा।

(4) अग्रणी प्रबंधक (गण) प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज पर उस कालावधि में जनता से उनके अथवा निर्गमकर्ता द्वारा प्राप्त सारवान टिप्पणियों का विवरण एवं पारिणामिक परिवर्तन, यदि कोई हो जिनका प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज में किया जाना अपेक्षित है, आईएफएससीए में दाखिल करेगा/करेंगे।

17. आईएफएससीए, प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज पर, निम्नलिखित तिथियों के अपश्चात् से तीस कार्य दिवसों के भीतर, संप्रेक्षण, यदि कोई हो जारी कर सकेगा:

(क) प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज की प्राप्ति की तारीख; अथवा

(ख) निर्गमकर्ता एवं/अथवा अग्रणी प्रबंधक से समाधानप्रद उत्तर की प्राप्ति की तारीख, जहां, आईएफएससीए ने उनसे किसी स्पष्टीकरण अथवा अतिरिक्त सूचना की मांग की हो; अथवा

(ग) किसी विनियामक अथवा अभिकरण से स्पष्टीकरण अथवा सूचनी की प्राप्ति की तारीख, जहां आईएफएससीए ने ऐसे विनियामक अथवा एजेंसी से किसी स्पष्टीकरण अथवा सूचना की मांग की हो; अथवा

(घ) स्टॉक एक्सचेंज(जों) द्वारा जारी किये गये सैद्धांतिक अनुमोदन पत्र की प्राप्ति की तारीख।

18. निर्गमकर्ता प्रारूप दस्तावेज में आईएफएससीए द्वारा विनिर्दिष्ट परिवर्तन, यदि कोई हो जारी रखेगा।

19. निर्गमकर्ता, प्राधिकरण एवं स्टॉक एक्सचेंज(जों) में अंतिम प्रारूप दस्तावेज अग्रणी प्रबंधक (कों) के माध्यम में दाखिल करेगा।

समय-निर्धारण का प्रस्ताव करना

20. निर्गमकर्ता, आईएफएससीए द्वारा संप्रेक्षण जारी करने की तारीख से एक वर्ष से अनधिक कालावधि के भीतर प्रस्ताव करेगा:

परंतु यह कि यदि प्रस्ताव विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर नहीं किया जाता है, तो नया प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज दाखिल किया जाएगा।

प्रस्ताव दस्तावेज में आरंभिक विगोपन

21. (1) प्रस्ताव दस्तावेज में समस्त सारवान विगोपन अंतर्विष्ट होंगे जो सच्चे, सही एवं पर्याप्त हैं ताकि आवेदक निवेश के संबंध में सोच-समझकर विनिश्चय करने में समर्थ हो सकें।

(2) अग्रणी प्रबंधक (गण) प्रस्ताव दस्तावेज में विगोपनों की तात्विकता, सत्यता एवं पर्याप्तता सहित निर्गम के सभी पहलुओं के बारे में सम्यक उद्यम करेंगे एवं स्वयं की संतुष्टि करेगा/करेंगे।

22. प्रस्ताव दस्तावेज में निम्नलिखित सहित सार्वजनिक प्रस्ताव से संबंधित विगोपन अंतर्विष्ट होंगे:

(क) प्रस्ताव दस्तावेज का सारांश

(ख) जोखिम कारक

(ग) भूमिका

(घ) सामान्य सूचना

(ङ) पूंजीगत संरचना

(च) निर्गम के व्यौरे

i. निर्गम की विषय वस्तु

ii. निधियों की अपेक्षा

iii. निधियन योजना

iv. कारबार/परियोजना मूल्यांकन, यदि कोई हो

v. कार्यान्वयन की अनुसूची

vi. निधियों का परिनियोजन

vii. पहले से परिनियोजित निधियों के वित्तपोषण के स्रोत

viii. शेष निधियों का परिनियोजन

ix. निधियों का अंतरिम उपयोग

x. निर्गम के व्यय

xi. युक्तियुक्त रूप से समान समूह की तुलना सहित निर्गम की कीमत का आधार

(छ) हामीदारी

(ज) कर निहितार्थ

(झ) निर्गमकर्ता के बारे में

- i. उद्योग का सिंहावलोकन
- ii. कारबार का सिंहावलोकन
- iii. संगठनात्मक संरचना
- iv. शेयरधारक करार एवं अन्य सारवान करार
- v. प्रबंधन एवं केएमपी
- vi. प्रमुख शेयरधारक
- vii. परिश्रमिक एवं हितलाभ
- viii. लाभांश नीति

(ञ) वित्तीय विवरण

(ट) संबंधित पक्षकार संब्यवहार

(ठ) विधिक एवं अन्य सूचना

- i. बाकी बची मुकदमेबाजी एवं सारवान घटनाक्रम
- ii. अनिर्णीत शासकीय/विनियामक अनुमोदन

(ड) समूह कंपनियों से संबंधित सूचना

(ढ) अन्य विनियामक एवं सांविधिक विगोपन

(ण) कोई अन्य सारवान विगोपन

23. प्रस्ताव दस्तावेज में निर्गमकर्ता की कम से कम तीन वित्त वर्षों की लेखापरिहित वित्तीय सूचना होगी।

24. निर्गमकर्ता, आईएफआरएस अथवा यूएस गाप अथवा भारतीय लेखांककरण मानक अथवा अपने निगमन के अधिकार क्षेत्र में यथा लागू लेखाकरण मानकों के अनुरूप, अपना लेखा विवरण तैयार करेगा।

25. सामान्य कार्पोरेट के प्रयोजनार्थ, वह राशि जो प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज एवं प्रस्ताव दस्तावेज में निर्गम के उद्देश्यों में उल्लिखित है, निर्गमकर्ता द्वारा जुटाई जा रही राशि के पच्चीस प्रतिशत से अनधिक होगी।

निर्गम का आकार

26. निर्गम का आकार पंद्रह मिलियन अमरीकी डॉलर अथवा कोई अन्य राशि जो आईएफएससीए विनिर्दिष्ट करे, से कम नहीं होगी।

27. (1) निर्गमकर्ता निर्गम आकार में से निम्नलिखित वर्ग के व्यक्तियों के पक्ष में प्रतिस्पर्धी आधार पर आरक्षण कर सकेगा एवं प्रस्ताव दस्तावेज में उसका युक्तियुक्त रूप से विगोपन करेगा:

(क) कर्मचारीगण;

(ख) निदेशकगण; एवं

(ग) सूचीबद्ध अनुषंगियों अथवा सूचीबद्ध संप्रवर्तक कंपनियों (संप्रवर्तक एवं संप्रवर्तक समूह के अतिरिक्त) के शेयरधारकगण।

(2) उप-विनियम (1) में संदर्भित आरक्षण निर्गम आकार के पच्चीस प्रतिशत से अनधिक होगा।

कीमत-निर्धारण

28. निर्गमकर्ता अग्रणी प्रबंधक (कों) के साथ परामर्श करके कीमत निर्धारण अवधारित करेगा। निर्गम, स्थिर कीमत व्यवस्था के माध्यम से अथवा बही निर्माण व्यवस्था के माध्यम से किया जा सकेगा एवं प्रस्ताव दस्तावेज में उसका युक्तियुक्त रूप से विगोपन करेगा:

प्रस्ताव की कालावधि

29. आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव कम से कम तीन कार्यदिवसों एवं दस से अनधिक कार्यदिवसों के लिए खुला रखना होगा:

परंतु यह कि यदि निर्गमकर्ता ने किसी अन्य अधिकार क्षेत्र में भी साथ-साथ प्रस्ताव किया है, तो प्रस्ताव की कालावधि उसी कालावधि के लिए होगी जो अन्य अधिकार क्षेत्र में लागू है।

न्यूनतम अभिदान

30. प्रस्ताव को सफल बनाने के लिए निम्नलिखित शर्तें पूर्ण करनी होंगी:

- (क) निर्गम में प्राप्त किये जाने वाला न्यूनतम अभिदान निर्गम आकार के न्यूनतम पचहतर प्रतिशत होगा; एवं
- (ख) अभिदानकर्ताओं की न्यूनतम संख्या 200 अथवा ऐसी संख्या जो प्राधिकरण विनिर्दिष्ट करे, होगी।

हामीदारी

31. किसी हामीदार द्वारा विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों के सार्वजनिक निर्गम की हामीदारी की जा सकेगी एवं ऐसी दशा में प्रस्ताव दस्तावेज में, हामीदारी करार के बारे में पर्याप्त विगोपन करना होगा।

आबंटन

32. निवेशकों को आबंटन, समानुपातिक आधार पर अथवा विवेकाधीन आधार पर करना होगा एवं प्रस्ताव दस्तावेज में उसका विगोपन करना होगा:

परंतु यह कि किसी एकल निवेशक को निर्गम पश्चात पूंजी के 10 प्रतिशत से अधिक का आबंटन नहीं किया जा सकेगा।

33. निर्गमकर्ता एवं अग्रणी प्रबंधक (गण) यह सुनिश्चित करेगा/करेंगे कि विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियां आबंटित की जा रही हैं एवं निर्गम बंद होने की तारीख से पांच कार्यदिवसों के भीतर, संदाय एवं प्रतिदाय संपूरित किये जा रहे हैं।

सूचीबद्धता

34. विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियां स्टॉक एक्सचेंज(जों) में उस कालावधि में सूचीबद्ध होंगी जो स्टॉक एक्सचेंज विनिर्दिष्ट करे:

परंतु यह कि ऐसी दशा में, जहां निर्गमकर्ता ने किसी अन्य अधिकार क्षेत्र में साथ-साथ प्रस्ताव किया है वहां विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियां उसी तारीख को सूचीबद्ध करनी होंगी।

निर्गम पश्चात रिपोर्ट

35. अग्रणी प्रबंधक (गण), मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज(जों) में निर्गम बंद होने की तारीख से दस कार्यदिवसों के भीतर, सभी प्राप्त आवेदनों की संख्या, उसकी कीमत एवं प्रतिशत, किये गये आबंटन, आबंटन का आधार, अभिदान, विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों के ऋण, संदाय एवं प्रतिदाय से संबंधित विवरण, सूचीबद्धता आवेदन दाखिल करने की तारीख इत्यादि से संबंधित विवरण दर्शाते हुए निर्गम पश्चात रिपोर्ट दाखिल करेगा।

ग्रीन शू विकल्प के माध्यम से कीमत स्थिरीकरण

36. (1) निर्गमकर्ता, अपनी विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों की सूचीबद्धता पश्चात कीमत के स्थिरीकरण के लिए निम्नलिखित शर्तों अध्ययीन, ग्रीन शू विकल्प उपलब्ध करा सकेगा:

- (क) प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज एवं प्रस्ताव दस्तावेज में ग्रीन शू विकल्प के बारे में सभी सारवान विगोपन अंतर्विष्ट होंगे;
- (ख) निर्गमकर्ता ने स्थिरीकरण एजेंट के रूप में ऐसा मर्चेट बैंकर नियुक्त किया है जो कीमत स्थिरीकरण प्रक्रम के लिए उत्तरदायी हो;
- (ग) ऐसी अधिकांश विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियां जो निर्गम आकार से अधिक विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों के आबंटन अथवा नियतन के प्रयोजनार्थ उधार ली जा सकेगी, वह निर्गम आकार के पंद्रह प्रतिशत से अनधिक होगी।

(2) स्थिरीकरण प्रक्रम उस तारीख से तीस दिनों से अनधिक कालावधि के लिए उपलब्ध होगी जिस तारीख को स्टॉक एक्सचेंज द्वारा सार्वजनिक निर्गम में आबंटित विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों के के बाबत व्यापार करने की अनुज्ञा दी जाती है।

(3) स्थिरीकरण एजेंट अति-आबंटन के प्रति आवेदकों से प्राप्त धनराशियों को जमा करने के लिए बैंक के पास विशेष खाते, जो निर्गम संबंधी खाते से भिन्न हो, खोलेगा एवं विशेष बैंक खाते में जमा धनराशियों में से स्थिरीकरण कालावधि में, बाजार से खरीदी जाने वाली विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों को जमा करने के लिए निक्षेपागार सहभागी के पास विशेष खाता खोलेगा।

(4) बाजार से खरीदी गई एवं निक्षेपागार सहभागी के यहां विशेष खाते में जमा की गई विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियां संप्रवर्तकों या निर्गम से पूर्व के शेयरधारकों को किसी भी दशा में स्थिरीकरण कालावधि की समाप्ति के पश्चात दो कार्य दिवसों के अपश्चात, तुरंत लौटा दी जाएंगी।

(5) स्थिरीकरण कालावधि की समाप्ति पर, यदि स्थिरीकरण एजेंट बाजार से उतनी विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियां खरीदने में समर्थ न रहा हो, जितनी ऐसी प्रतिभूतियां अति-आबंटित हुई हों, तो निर्गमकर्ता उतनी विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियां, जितनी कम रही हों, स्थिरीकरण की कालावधि के समाप्त होने के पांच कार्यदिवसों के भीतर, निर्गम कीमत पर, आबंटित करेगा एवं ऐसी विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियां स्थिरीकरण एजेंट द्वारा संप्रवर्तकों अथवा निर्गम से पूर्व के शेयरधारकों को, उनसे उधार ली गई विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों के बदले में, लौटायी जाएगी और इसके उपरान्त निक्षेपागार सहभागी के यहां खाते को बंद कर दिया जाएगा।

(6) स्थिरीकरण एजेंट उप-विनियम (5) के अधीन आबंटित अतिरिक्त विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों के संबंध में उन सभी स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्धता आवेदन करेगा जहां सार्वजनिक निर्गम में आबंटित विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियां सूचीबद्ध हैं।

(7) निर्गमकर्ता को धनराशियों के प्रेषण एवं स्थिरीकरण प्रक्रम के लिए स्थिरीकरण एजेंट द्वारा किये गये खर्चों की कटौती के उपरांत विशेष खाते में पड़ी कोई धनराशि आईएफएससीए को अंतरित की जाएगी एवं इसके उपरांत विशेष बैंक खाते को शीघ्र बंद कर दिया जाएगा।

अवरुद्धता (लॉक-अप)

37. (1) निर्गमकर्ता के सभी शेयरधारकों की निर्गम-पूर्व शेयरधारिता, आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव में आबंटन की तारीख से 180 दिनों की कालावधि के लिए अवरुद्धता (लॉक-अप) रहेगी:

परंतु यह कि अवरुद्धता (लॉक-अप) संबंधी उपबंधग्रहीत शू विकल्प के प्रयोजनार्थ स्थिरीकरण एजेंट को उधार दी गई विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों के संबंध में लागू नहीं होंगे, ऐसी विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों को उधार दिये जाने की तारीख आरंभ होने वाली तथा उस तारीख को समाप्त होने वाली कालावधि के दौरान जिस तारीख को वे ऋणदाता को लौटाई जाती है:

(2) एसआर इक्विटी शेयरों की शेयरधारिता आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव के उपरांत निम्नलिखित के बाद तक अवरुद्ध की जाएगी:

क) उनका साधारण शेयरों में संपरिवर्तन; एवं

ख) आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव में आबंटन की तारीख से 2 वर्ष।

(3) संपरिवर्तकों एवं अवरुद्धता द्वारा धारित विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियां निर्गम के एक अथवा उससे अधिक उद्देश्यों के वित्तपोषण के प्रयोजनार्थ अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक अथवा सार्वजनिक वित्तीय संस्थान अथवा प्रणालीगत महत्वपूर्ण गैर-बैंककारी वित्त कंपनी अथवा आवास वित्त कंपनी द्वारा अनुदत्त ऋण के लिए संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में गिरवी रखी जा सकेगी।

अग्रणी प्रबंधक के अन्य उत्तरदायित्व

38. (1) अग्रणी प्रबंधक (गण) निर्गम से संबंधित उत्तरदायित्वों का क्रियाकलाप-वार आबंटन, क्रियाकलाप अथवा उप-क्रियाकलापों के प्रत्येक सेट के लिए उत्तरदायी अग्रणी प्रबंधक के नाम की अनुसूची एवं सूचीबद्धता की तैयारी करेगा एवं प्रस्ताव दस्तावेजों में उसका विगोपन करेगा।

(2) इन विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने एवं आईएफएससीए के साथ समन्वय करने के लिए अग्रणी प्रबंधक को पदनामित किया जाएगा।

(3) पदनामित अग्रणी प्रबंधक यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा कि सभी मध्यवर्ती, निर्गमकर्ता के साथ किये गये अपने करारों में विनिर्दिष्ट अपने दायित्व एवं कार्य पूरा कर रहे हों।

(4) अग्रणी प्रबंधक (गण), निर्गम प्रक्रम संपन्न होने तक एवं उसके उपरांत निर्गम से संबंधित किसी विषय के लिए जिम्मेदार बना रहेगा/रहेंगे।

(5) अग्रणी प्रबंधक (गण), निर्गम के पश्चात के क्रियाकलापों के लिए तब तक जिम्मेदार बना रहेगा जब तक आवेदकों को प्रतिभूति प्रमाणपत्र प्राप्त न हो जायें उनके डीमैट खाते में जमा न आ जाये अथवा आवेदन की धनराशियां लौटा न दी जायें एवं निर्गमकर्ता द्वारा स्टॉक एक्सचेंज के साथ सूचीबद्धता करार न कर लिया जाए और सूचीबद्धता/व्यापार की अनुज्ञा अभिप्राप्त न कर ली जाए।

प्रोत्साहनों के भुगतान पर प्रतिषेध

39. निर्गम से संबद्ध कोई भी व्यक्ति, किसी व्यक्ति को कोई प्रोत्साहन का प्रस्ताव, चाहे प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष, किसी भी रीति में, चाहे नकद अथवा वस्तु अथवा सेवाओं अथवा अन्यथा के रूप में निर्गम के संबंध में उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं के लिए फीस अथवा कमीशन के सिवाय, सार्वजनिक प्रस्ताव में आवेदन करने के लिए नहीं करेगा।

भाग ख: बाद वाला सार्वजनिक प्रस्ताव

अनुप्रयोज्यता

40. मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध निर्गमकर्ता, विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों का बाद वाला सार्वजनिक प्रस्ताव, इन विनियमों में प्रदत्त रीति से कर सकेगा।

विक्रय के लिए प्रस्ताव

41. विक्रय के प्रस्ताव की दशा में, प्रतिभूतियां, प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज दाखिल किये जाने की तारीख से कम से कम एक वर्ष पूर्व की कालावधि के लिए विक्रेताओं द्वारा धारण किये गये हों:

परंतु यह कि यदि पूर्णतः समादत्त अनिवार्यतः संपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों जिनमें निक्षेपागार रसीदें सम्मिलित हैं, के संपरिवर्तन अथवा विनिमय पर प्राप्त इक्विटी शेयरों का प्रस्ताव विक्रय के लिए किया जा रहा है, तो ऐसी संपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों को तथा साथ ही पारिणामिक इक्विटी शेयरों को धारण करने की कालावधि पर, इस उप-विनियम में निर्दिष्ट एक वर्ष की कालावधि की गणना के प्रयोजनार्थ विचार किया जाएगा।

स्पष्टीकरण: यदि पूर्णतः समादत्त अनिवार्यतः संपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों के संपरिवर्तन अथवा विनिमय से उद्भूत इक्विटी शेयर, विक्रय के लिए प्रस्तावित किये जा रहे हैं, संपरिवर्तन अथवा विनिमय, प्रस्ताव दस्तावेज दाखिल करने से पूर्व पूर्ण किया जाए, परंतु यह कि संपरिवर्तन अथवा विनिमय के निबंधनों के पूर्ण विगोपन, प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज में किये गये हों।

परंतु यह और कि एक वर्ष की कालावधि के लिए इक्विटी शेयरों को धारण करने अपेक्षा लागू नहीं होगी:

- क) यदि विक्रय के लिए प्रस्तावित इक्विटी शेयर, कारबार एवं निवेशित पूंजी के बदले विलय अथवा आमेलन की कोई योजना के अनुसरण में अर्जित की गई थी जो ऐसी योजना के अनुमोदन से पूर्व, एक वर्ष से अधिक की कालावधि के लिए विद्यमान रही थी; अथवा
- ख) यदि विक्रय के लिए प्रस्तावित इक्विटी शेयर, आईएफएससीए के पास प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज दाखिल करने के कम से कम एक वर्ष पूर्व की कालावधि के लिए धारित प्रतिभूतियों पर एवं आगे निम्नलिखित के अध्यक्षीन बोनस निर्गम के अधीन निर्गमित किये गये थे:
 - i. ऐसी विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियां, उस वित्त वर्ष, जिसमें प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज आईएफएससीए में दाखिल किया जाता है, से पूर्ववर्ती वित्त वर्ष के अंत की स्थिति के अनुसार लेखा बही में मौजूद मुक्त आरक्षित निधि एवं शेयर प्रीमियम में से निर्गमित की जा रही हैं; एवं
 - ii. ऐसे इक्विटी शेयर, निर्गमकर्ता के पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि के उपयोग अथवा असंसाधित लाभ द्वारा निर्गमित नहीं किये जा रहे हों।

अग्रणी प्रबंधक

42. निर्गमकर्ता, निर्गम के लिए एक अथवा उससे अधिक मर्चेट बैंककारों को अग्रणी प्रबंधक(कों) के रूप में नियुक्त करेगा एवं अग्रणी प्रबंधक(कों) के परामर्श से अन्य मध्यवर्तियों को भी नियुक्त करेगा।

मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज (जों) से सैद्धांतिक अनुमोदन

43. (1) निर्गमकर्ता सैद्धांतिक अनुमोदन अभिप्राप्त करने के लिए मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों में आवेदन पत्र दाखिल करेगा:

परंतु यह कि जहां एक से अधिक मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में ऐसा आवेदन किया जाता है वहां निर्गमकर्ता, उनमें से एक को नामनिर्दिष्ट स्टॉक एक्सचेंज के रूप में चुनेगा।

(2) स्टॉक एक्सचेंज, निर्गमकर्ता से पूर्ण सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीस दिनों के भीतर, सैद्धांतिक अनुमोदन के आवेदन के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान अथवा नामंजूर करेगा।

तीव्र पथीय बाद वाला सार्वजनिक प्रस्ताव

44. (1) कोई निर्गमकर्ता, तीव्र पथीय रुट के माध्यम से बाद वाला सार्वजनिक प्रस्ताव कर सकेगा यदि निर्गमकर्ता निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता है:

- (क) निर्गमकर्ता के इक्विटी शेयर, कम से कम 18 मास की कालावधि के लिए मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कर दिये गये हैं;
- (ख) निर्गमकर्ता ने विगत तीन वर्षों में आईएफएससीए एवं मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज (जों) द्वारा विनिर्दिष्ट सभी नियामक अपेक्षाओं का अनुपालन किया है;
- (ग) आईएफएसए द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी नहीं किया गया है एवं निर्गमकर्ता अथवा उसके संप्रवर्तकों अथवा नियंत्रक शेयरधारकों या पूर्णकालिक निदेशकों के विरुद्ध अनिर्णीत है;
- (घ) निर्गमकर्ता, अथवा निर्गमकर्ता के किसी अनुषंगियों अथवा संबद्ध कंपनियों (निर्गमकर्ता के समेकित लेखाओं पर सारवान प्रभाव डालने वाले) के वित्तीय विवरणों पर लेखापरीक्षकों द्वारा कोई प्रतिकूल अभिमत, अभिमत का प्रतिआख्यान, परिमित अभिमत न किया गया हो;
- (ङ) किसी निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों अथवा अनुपालन अधिकारी द्वारा निर्गमकर्ता में अनियमितताओं से संबंधित ऐसा कोई विगोपनन किया गया हो, जिसका निर्गमकर्ता पर सारवान प्रभाव पड़ता हो:

स्पष्टीकरण: यदि निर्गमकर्ता, तीन वर्षों से कम की कालावधि के लिए सूचीबद्ध है तो उपरोक्त (ख) एवं (घ) के प्रयोजनार्थ वह कालावधि सूचीबद्धता की तारीख से मानी जाएगी।

- (2) निर्गमकर्ता आईएफएससीए में फीस जो आईएफएससीए विनिर्दिष्ट करे, के साथ प्रस्ताव दस्तावेज दाखिल करेगा।
- (3) अग्रणी प्रबंधक (गण) प्रस्ताव दस्तावेज के साथ सम्यक उद्यम प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा/करेंगे।
- (4) निर्गमकर्ता मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज(जों) में प्रस्ताव दस्तावेज एक साथ दाखिल करेगा।

बिना तीव्र पथीय बाद वाला सार्वजनिक प्रस्ताव

45. तीव्र पथीय बाद वाले सार्वजनिक प्रस्ताव की शर्तों को पूर्ति करने वाला निर्गमकर्ता, उसी रीति में प्रस्ताव दस्तावेज दाखिल करते हुए बाद वाला सार्वजनिक प्रस्ताव कर सकेगा जैसा इस अध्याय के भाग क के अधीन, आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव के लिए उपबंधित किया गया है।

आरंभिक विगोपन

46. (1) प्रस्ताव दस्तावेज में समस्त सारवान विगोपन अंतर्विष्ट होंगे जो सच्चे, सही एवं पर्याप्त हैं ताकि आवेदक निवेश के संबंध में सोच-समझकर विनिश्चय करने में समर्थ हो सकें।

(2) अग्रणी प्रबंधक (गण) प्रस्ताव दस्तावेज में विगोपनों की तात्विकता, सत्यता एवं पर्याप्तता सहित निर्गम के सभी पहलुओं के बारे में सम्यक उद्यम करेंगे एवं स्वयं की संतुष्टि करेगा/करेंगे।

47. प्रस्ताव दस्तावेज में निम्नलिखित सहित सार्वजनिक प्रस्ताव से संबंधित विगोपन अंतर्विष्ट होंगे:

(क) प्रस्ताव दस्तावेज का सारांश

(ख) जोखिम कारक

(ग) भूमिका

(घ) सामान्य सूचना

(ङ) पूंजीगत संरचना

(च) निर्गम के व्यौरे

- i. निर्गम की विषय वस्तु
- ii. निधियों की अपेक्षा
- iii. निधियन योजना
- iv. कारबार/परियोजना मूल्यांकन, यदि कोई हो
- v. कार्यान्वयन की अनुसूची
- vi. निधियों का परिनियोजन
- vii. पहले से परिनियोजित निधियों के वित्तपोषण के स्रोत
- viii. शेष निधियों का परिनियोजन
- ix. निधियों का अंतरिम उपयोग
- x. निर्गम के व्यय
- xi. युक्तियुक्त रूप से समान समूह की तुलना सहित निर्गम की कीमत का आधार

(छ) हामीदारी

(ज) कर निहितार्थ

(झ) वित्तीय विवरणिकायें

(ञ) विधिक एवं अन्य सूचना

- i. बाकी बची मुकदमेबाजी एवं सारवान घटनाक्रम
- ii. अनिर्णीत सरकारी/विनियामक अनुमोदन

- (ट) समूह कंपनियों से संबंधित सूचना
 (ठ) अन्य विनियामक एवं सांविधिक विगोपन
 (ड) कोई अन्य सारवान विगोपन

स्पष्टीकरण: निर्गमकर्ता, प्रस्ताव दस्तावेज में मान्यताप्राप्त एक्सचेंज पर हाल के प्रॉस्पेक्टस अथवा अन्य विगोपनों का संदर्भ उपलब्ध करके विगोपन प्रस्तुत कर सकेगा।

48. सामान्य कापोरिट के प्रयोजनार्थ, वह राशि जो प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज एवं प्रस्ताव दस्तावेज में निर्गम के उद्देश्यों में उल्लिखित है, निर्गमकर्ता द्वारा जुटाई जा रही राशि के पच्चीस प्रतिशत से अनधिक होगी।

निर्गम की प्रक्रम

49. प्रस्ताव का समय-निर्धारण, निर्गम का आकार, कीमत-निर्धारण, प्रस्ताव की कालावधि, न्यूनतम अभिदान, हामीदारी, आबंटन, सूचीबद्धता, निर्गम पश्चात रिपोर्ट, अग्रणी प्रबंधक के अन्य उत्तरदायित्व एवं इस अध्याय के भाग क के अधीन आरंभिक सार्वजनिक प्रस्तावों के लिए उपबंधित प्रोत्साहनों के भुगतान पर प्रतिषेध से संबंधित उपबंध, सूचीबद्ध निर्गमकर्ता द्वारा बाद वाले सार्वजनिक प्रस्ताव पर यथोचित परिवर्तनों के साथ लागू होंगे।

अध्याय IV: स्टार्ट-अप एवं एसएमई कंपनियों का सूचीबद्धता

पात्रता मापदंड

50. स्टार्ट-अप कंपनी, सार्वजनिक प्रस्ताव के साथ अथवा सार्वजनिक प्रस्ताव के बिना मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में अपनी विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियां सूचीबद्ध करने का पात्र होगी यदि वह निम्नलिखित मापदंड पूरा करती हैं:
- (क) कंपनी के प्रस्ताव दस्तावेज निगमन/पंजीकरण की तारीख से दस वर्षों की कालावधि के भीतर दाखिल हों;
- (ख) निगमन/पंजीकरण के बाद से किसी वित्त वर्ष के लिए कंपनी का वार्षिक पर्यावर्त बीस मिलियन अमरीकी डॉलर से अनधिक हो; एवं
- (ग) कंपनी उत्पादों अथवा प्रक्रमों अथवा सेवाओं का नवोन्मेष, विकास अथवा उन्नयन की दिशा में कार्य कर रही है अथवा वह रोजगार उत्पादन अथवा मालियत सृजन की उच्च क्षमता वाला मापनीय कारवार मॉडल है।
51. लघु एवं मध्यम उद्यम कंपनी, मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में अपनी विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों को सार्वजनिक प्रस्ताव के साथ अथवा सार्वजनिक प्रस्ताव बिना सूचीबद्ध करने का पात्र होगी, यदि निगमन/पंजीकरण के बाद से किसी वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी का वार्षिक पर्यावर्त पचास मिलियन अमरीकी डॉलर से अनधिक रहा हो।
52. उपरोक्त मापदंड की पूर्ति करने वाली स्टार्ट-अप एवं एसएमई कंपनियों पर इस अध्याय के उपबंध लागू होंगे।
53. इस अध्याय के अंतर्गत आने वाली स्टार्ट-अप कंपनियों एवं एसएमई कंपनियों की सूचीबद्धता के लिए अध्याय III में उपबंधित एसआर इक्विटी शेयरों से संबंधित उपबंध, यथोचित परिवर्तनों के साथ लागू होंगे।

मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज(जों) से सैद्धांतिक अनुमोदन

54. (1) कंपनी सैद्धांतिक अनुमोदन अभिप्राप्त करने के लिए मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों में आवेदन पत्र दाखिल करेगा:
 परंतु यह कि जहां एक से अधिक मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में ऐसा आवेदन किया जाता है वहां निर्गमकर्ता, उनमें से एक को नामनिर्दिष्ट स्टॉक एक्सचेंज के रूप में चुनेगा।
- (2) स्टॉक एक्सचेंज, निर्गमकर्ता से पूर्ण सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीस दिनों के भीतर, सैद्धांतिक अनुमोदन के आवेदन के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करेगा अथवा नामंजूर करेगा।

भाग क : सार्वजनिक प्रस्ताव के बिना सूचीबद्धता

55. (1) कंपनी फीस जो आईएफएससीए विनिर्दिष्ट करे, के साथ सूचना दस्तावेज दाखिल करेगी।
 (2) अग्रणी प्रबंधक (गण) प्रस्ताव दस्तावेज के साथ सम्यक उद्यम प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा/करेंगे।
 (3) निर्गमकर्ता मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज(जों) में प्रस्ताव दस्तावेज एक साथ दाखिल करेगा।

आरंभिक विगोपन

56. प्रस्ताव दस्तावेज में समस्त सारवान विगोपन अंतर्विष्ट होंगे जो सच्चे, सही एवं पर्याप्त हैं ताकि निवेशक, निवेश के संबंध में सोच-समझकर विनिश्चय करने में समर्थ हो सकें।

57. प्रस्ताव दस्तावेज में निम्नलिखित सहित निर्गमकर्ता से संबंधित विगोपन अंतर्विष्ट होंगे:

- (क) सारांश
- (ख) जोखिम कारक
- (ग) भूमिका
- (घ) सामान्य सूचना
- (ङ) कंपनी के बारे में
 - i. उद्योग का सिंहावलोकन
 - ii. कारबार का सिंहावलोकन
 - iii. संगठनात्मक संरचना
 - iv. शेयरधारक करार एवं अन्य करार
 - v. प्रबंधन
 - vi. प्रमुख शेयरधारक
 - vii. परिश्रमिक एवं हितलाभ
 - viii. लाभांश नीति

(च) पूंजीगत संरचना

(छ) वित्तीय विवरण

(ज) संबंधित पक्षकार संव्यवहार

(झ) विधिक एवं अन्य सूचना

- i. बाकी बची मुकदमेबाजी एवं सारवान घटनाक्रम
- ii. अनिर्णीत सरकारी/विनियामक अनुमोदन

(ञ) समूह कंपनियों से संबंधित सूचना

(ट) अन्य विनियामक एवं सांविधिक विगोपन

(ठ) कोई अन्य सारवान विगोपन

58. सूचना दस्तावेज कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित होगा एवं कंपनी के सभी निदेशकगणों, मुख्य कार्यकारी अधिकारी/प्रबंध निदेशक एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होगा।

59. कंपनी स्टॉक एक्सचेंज(जों) से अनुमोदन के तीस दिनों के भीतर, मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज(जों) में अपनी विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियां सूचीबद्ध करेगी।

भाग ख: सार्वजनिक प्रस्ताव के साथ सूचीबद्धता

60. विक्रय के लिए प्रस्ताव, प्रस्ताव दस्तावेज दाखिल करना, प्रस्ताव का समय-निर्धारण, प्रस्ताव दस्तावेज में आरंभिक विगोपन, कीमत-निर्धारण, प्रस्ताव की कालावधि, हामीदारी, आबंटन, सूचीबद्धता, निर्गम पश्चात रिपोर्ट, अग्रणी प्रबंधक के अन्य उत्तरदायित्व एवं इस अध्याय के भाग क के अधीन आरंभिक सार्वजनिक प्रस्तावों के लिए उपबंधित प्रोत्साहनों के भुगतान पर प्रतिषेध से संबंधित उपबंध, इस अध्याय के अधीन स्टार्ट-अप कंपनी अथवा एसएमई कंपनी द्वारा आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव पर यथोचित परिवर्तनों के साथ लागू होंगे।

निर्गम का आकार

61. निर्गम, दो मिलियन अमरीकी डॉलर अथवा इससे अधिक लेकिन पंद्रह अमरीकी डॉलर से कम अथवा कोई अन्य राशि जो आईएफएससीए विनिर्दिष्ट करे, के आकार का होगा।

62. (1) निर्गमकर्ता निर्गम आकार में से निम्नलिखित वर्ग के व्यक्तियों के पक्ष में प्रतिस्पर्धी आधार पर आरक्षण कर सकेगा एवं प्रस्ताव दस्तावेज में उसका युक्तियुक्त रूप से विगोपन करेगा:

(क) कर्मचारीगण;

(ख) निदेशकगण; एवं

(ग) सूचीबद्ध अनुषंगियों अथवा सूचीबद्ध संप्रवर्तक कंपनियों (संप्रवर्तक एवं संप्रवर्तक समूह के अतिरिक्त) के शेयरधारकगण।

(2) उप-विनियम (1) में संदर्भित आरक्षण निर्गम आकार के पच्चीस प्रतिशत से अनधिक होगा।

न्यूनतम अभिदान

63. प्रस्ताव को सफल बनाने के लिए निम्नलिखित शर्तें पूर्ण करनी होंगी:

(क) निर्गम में प्राप्त किये जाने वाला न्यूनतम अभिदान निर्गम आकार के न्यूनतम पचहतर प्रतिशत होगा; एवं

(ख) अभिदानकर्ताओं की न्यूनतम संख्या 50 अथवा ऐसी संख्या जो प्राधिकरण विनिर्दिष्ट करे, होगी।

अध्याय V: विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों की द्वितीयक सूचीबद्धता

सार्वजनिक प्रस्ताव के बिना सूचीबद्धता

64. कोई कंपनी जिसने अपनी विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियां भारत में (आईएफएससीए से बाहर) अथवा विदेशी अधिकार क्षेत्र में सूचीबद्ध कराई हैं, अपनी विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों को निम्नलिखित शर्तों के अधीन, सार्वजनिक प्रस्ताव के बिना, मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज(जों) में सूचीबद्ध करा सकेगी:

(क) कंपनी, स्टॉक एक्सचेंज(जों) द्वारा विनिर्दिष्ट रीति में सूचीबद्धता आवेदन दाखिल करेगी; एवं

(ख) कंपनी, स्टॉक एक्सचेंज(जों) की सूचीबद्धता अपेक्षाओं एवं अन्य शर्तों का जो आईएफएससीए विनिर्दिष्ट करे, अनुपालन करेगी।

सार्वजनिक प्रस्ताव के साथ सूचीबद्धता

65. कोई कंपनी जिसने अपनी विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियां भारत में (आईएफएससीए से बाहर) अथवा विदेशी अधिकार क्षेत्र में सूचीबद्ध कराई हैं, अपनी विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों को सार्वजनिक प्रस्ताव का वचन देकर, मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज(जों) में सूचीबद्ध करा सकेगी:

66. अग्रणी प्रबंधक की नियुक्ति, मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज(जों) से सैद्धांतिक अनुमोदन, प्रस्ताव दस्तावेज दाखिल करने, प्रस्ताव का समय-निर्धारण, प्रस्ताव दस्तावेज में आरंभिक विगोपन, कीमत-निर्धारण, प्रस्ताव की कालावधि, निर्गम का आकार, न्यूनतम अभिदान, हामीदारी, आबंटन, सूचीबद्धता, निर्गम पश्चात रिपोर्ट, अग्रणी प्रबंधक के अन्य उत्तरदायित्व एवं इस अध्याय III के भाग क के अधीन आरंभिक सार्वजनिक प्रस्तावों के लिए उपबंधित प्रोत्साहनों के भुगतान पर प्रतिषेध से संबंधित उपबंध, ऐसे निर्गमकर्ता द्वारा सार्वजनिक प्रस्ताव के साथ द्वितीयक सूचीबद्धता पर यथोचित परिवर्तनों के साथ लागू होंगे।

स्पष्टीकरण: प्रस्ताव दस्तावेज में आरंभिक विगोपन के प्रयोजनार्थ, निर्गमकर्ता, प्रस्ताव दस्तावेज में, गृह एक्सचेंज अथवा विनियामक निकाय में किए गए हाल के प्रॉस्पेक्टस या अन्य विगोपन के संदर्भ देकर विगोपन प्रस्तुत कर सकेगा।

अध्याय VI: विशेष प्रयोजन अर्जन कंपनियों की सूचीबद्धता

पात्रता

67. विशेष प्रयोजन अर्जन कंपनी निर्गमकर्ता, मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज(जों) में विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों के आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव के माध्यम से पूंजी जुटाने का तभी पात्र होगा, यदि:

(क) लक्षित कारबार संयोजन का आईपीओ से पूर्व अभिज्ञान न कर लिया गया हो; एवं

(ख) एसपीएसी में इन विनियमों के अनुरूप मोचन एवं परिसमापन के लिए उपबंध विद्यमान हों।

68. (1) एसपीएसी निर्गमकर्ता का प्रायोजक का एसपीएसी संव्यवहार अथवा कारबार संयोजन अथवा धोखाधड़ी प्रबंधन अथवा मर्चेट बैंककारी क्रियाकलापों में पिछला कार्य-निष्पादन रिकार्ड अच्छा हो एवं प्रायोजक प्रस्ताव दस्तावेज में इसका विगोपन करेगा।

(2) इन विनियमों के प्रयोजनार्थ, प्रायोजक से एसपीएसी के गठन का प्रयोजन करने वाला व्यक्ति अभिप्रेत होगा एवं इसमें आईपीओ से पूर्व एसपीएसी की कोई विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों को धारण करने वाला व्यक्ति सम्मिलित होगा।

69. निर्गमकर्ता इन विनियमों के अधीन, प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध करने का पात्र नहीं होगा यदि प्रायोजक है-

(क) पूंजीगत बाजार की पहुंच रखने से विवर्जित; अथवा

(ख) इरातदन चूककर्ता, अथवा

(ग) भगोड़ा आर्थिक अपराधी

आईपीओ प्रक्रम

70. अग्रणी प्रबंधक की नियुक्ति, मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज(जों) से सैद्धांतिक अनुमोदन, अध्याय III के भाग क के अधीन आरंभिक सार्वजनिक प्रस्तावों के लिए उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव दस्तावेज दाखिल से संबंधित उपबंध, एसपीएसी निर्गमकर्ता द्वारा आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव पर, यथोचित परिवर्तनों के साथ लागू होंगे।
71. आईएफएससीए, मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में एसपीएसी की प्रस्तावित सूचीबद्धता पर मामला दर मामला आधार पर विचार कर सकेगा।

समय-निर्धारण का प्रस्ताव करना

72. निर्गमकर्ता, आईएफएससीए द्वारा संप्रेक्षण जारी करने की तारीख से एक वर्ष से अनधिक कालावधि के भीतर प्रस्ताव करेगा: परंतु यह कि यदि प्रस्ताव विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर नहीं किया जाता है, नया प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज दाखिल किया जाएगा।

प्रस्ताव दस्तावेज में आरंभिक विगोपन

73. (1) प्रस्ताव दस्तावेज में समस्त सारवान विगोपन अंतर्विष्ट होंगे जो सच्चे, सही एवं पर्याप्त हैं ताकि निवेशक निवेश के संबंध में सोच-समझकर विनिश्चय करने में समर्थ हो सकें।
- (2) अग्रणी प्रबंधक (गण) प्रस्ताव दस्तावेज में विगोपनों की तात्विकता, सत्यता एवं पर्याप्तता सहित निर्गम के सभी पहलुओं के बारे में सम्यक उद्यम करेंगे एवं स्वयं की संतुष्टि करेगा/करेंगे।

74. प्रस्ताव दस्तावेज में निम्नलिखित सहित सार्वजनिक प्रस्ताव से संबंधित विगोपन अंतर्विष्ट होंगे:

(क) प्रस्ताव दस्तावेज का सारांश

(ख) जोखिम कारक

(ग) भूमिका

(घ) सामान्य सूचना

(ङ) पूंजीगत संरचना

(च) मोचन अधिकार

(छ) परिसमापन

(ज) निर्गम के व्यौरे

- i. निर्गम की विषय वस्तु
- ii. आय का उपयोग
- iii. निधियों का अंतरिम उपयोग
- iv. निर्गम के व्यय

(झ) हामीदारी

(ञ) कर निहितार्थ

(ट) निर्गमकर्ता के बारे में

- i. संगठनात्मक संरचना
- ii. प्रायोजक एवं उनके पिछले कार्य-निष्पादन रिकार्ड का विवरण
- iii. एसपीएसी का अपने कारबार संयोजन के लिए लक्षित कारबार क्षेत्र अथवा भौगोलिक क्षेत्र;
स्पष्टीकरण: हालांकि लक्षित कारबार संयोजन का आईपीओ से पूर्व अभिज्ञान नहीं किया जाएगा एवं इस संबंध में घोषणा का विगोपन करना होगा।
- iv. कारबार संयोजन पूर्ण करने की समयावधि
- v. कारबार संयोजन का मूल्य निर्धारण करने में प्रयुक्त की जाने वाली आशयित मूल्यांकन विधि(यां), यदि ज्ञात हो
- vi. प्रबंधन
- vii. परिश्रमिक एवं हितलाभ

- (ठ) वित्तीय विवरण
 (ड) संबंधित पक्षकार संव्यवहार
 (ढ) विधिक एवं अन्य सूचना
 i. बाकी बची मुकदमेबाजी एवं सारवान घटनाक्रम
 ii. शासकीय अनुमोदन

- (ण) समूह कंपनियों से संबंधित सूचना
 (त) अन्य विनियामक एवं सांविधिक विगोपन
 (थ) कोई अन्य सारवान विगोपन

निर्गम का आकार

75. (1) निर्गम, पचास मिलियन अमरीकी डॉलर से अनधिक अथवा कोई अन्य राशि जो आईएफएससीए समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे, के आकार का होगा।
 (2) प्रायोजक निर्गम पश्चात समादत्त पूंजी का न्यूनतम 15 प्रतिशत एवं 20 प्रतिशत से अनधिक की धारिता नहीं रखेगा: परंतु यह कि प्रायोजकों के पास आईपीओ से पूर्व अथवा आईपीओ के साथ-साथ, एसपीएसी कंपनी में धनराशि के संदर्भ में, निर्गम आकार का न्यूनतम 2.5 प्रतिशत अथवा 10 मिलियन अमरीकी डॉलर की धनराशि, जो भी कम हो, अथवा अन्य राशि जो प्राधिकरण विनिर्दिष्ट करे का कुल अभिदान (सभी प्रतिभूतियों का) भी होगा।

कीमत-निर्धारण

76. (1) निर्गम, स्थिर कीमत व्यवस्था के माध्यम से होगा एवं निर्गमकर्ता निर्गमकर्ता अग्रणी प्रबंधक (कों) के साथ परामर्श करके कीमत निर्धारण अवधारित करेगा/करेंगे।
 (2) आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव में इक्विटी शेयरों की कीमत 5 अमेरिकी डॉलर प्रति शेयर से कम नहीं होगी।

प्रस्ताव की कालावधि

77. आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव कम से कम तीन कार्यदिवसों एवं दस से अनधिक कार्यदिवसों के लिए खुला रखना होगा:

हामीदारी

78. (1) किसी हामीदार द्वारा विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों के सार्वजनिक निर्गम की हामीदारी की जा सकेगी एवं ऐसी दशा में प्रस्ताव दस्तावेज में, हामीदारी करार के बारे में पर्याप्त विगोपन करना होगा।
 (2) हामीदारी कमीशन का कम से कम 50% आस्थगित रहेगा जब तक कि कारखार संयोजन सफलतापूर्वक संपन्न न हो एवं उसे निलंब खाते में जमा किया जाएगा।
 (3) परिसमापन की दशा में, हामीदार, निलंब खाते में जमा किये गये आस्थगित कमीशन पर अपना अधिकारों का दावा छोड़ देगा।

आवेदन एवं आबंटन

79. (1) एसपीएसी के आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव में न्यूनतम आवेदन आकार 100,000 अमरीकी डॉलर का रहेगा।
 (2) प्रस्ताव को सफल बनाने के लिए, निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी:
 क) निर्गम में प्राप्त न्यूनतम अभिदान, निर्गम आकार का कम से कम पचहत्तर प्रतिशत रहेगा; एवं
 ख) अभिदानकर्ताओं की न्यूनतम संख्या 50 अथवा जो प्राधिकरण विनिर्दिष्ट करे, रहेगी।
 (3) किसी भी एकल आवेदन को निर्गम पश्चात पूंजी के 10% से अधिक आबंटित नहीं किया जाएगा एवं निवेशकों को आबंटन, आनुपातिक आधार अथवा विवेकाधीन आधार पर, जैसा प्रस्ताव दस्तावेज में विगोपन किया गया है, किया जाएगा।
80. निर्गमकर्ता एवं अग्रणी प्रबंधक (गण) यह सुनिश्चित करेगा/करेंगे कि विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियां आबंटित की जा रही हैं एवं निर्गम बंद होने की तारीख से पांच कार्यदिवसों के भीतर, संदाय एवं प्रतिदाय संपूरित किये जा रहे हैं।

अन्य उपबंध

81. सूचीबद्धता, निर्गम पश्चात रिपोर्ट, अग्रणी प्रबंधक के उत्तरदायित्व एवं अध्याय III के भाग क के अधीन आरंभिक सार्वजनिक प्रस्तावों के लिए उपलब्ध कराये गये प्रोत्साहनों के भुगतान पर प्रतिषेध संबंधित उपबंध, एसपीएसी निर्गमकर्ता द्वारा आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव पर यथोचित परिवर्तनों के साथ लागू होंगे।

एसपीएसी की विनिर्दिष्ट बाध्यताएं

82. (1) एसपीएसी निर्गमकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि आईपीओ की संपूर्ण आय किसी स्वतंत्र अभिरक्षक द्वारा नियंत्रित व्याज-धारिता वाले निलंब खाते में रखा जाए, जब तक कि एसपीएसी का कारबार संयोजन पूर्णता तक न पहुंचे।
- (2) निलंब निधि का निवेश केवल प्रस्ताव दस्तावेज में विगोपित लिखतों में ही किया जाएगा एवं जिसमें केवल अल्पावधि ग्रेड चलनिधि लिखतें सम्मिलित होंगी।
- (3) निलंब खाते में रखी गई राशि से व्युत्पित व्याज एवं अन्य आय का एसपीएसी निर्गमकर्ता निम्नलिखित के प्रयोजनार्थ आहरण कर सकेगा:
- (क) करों के भुगतान; एवं
- (ख) सामान्य कार्यशील पूंजीगत व्यय, प्रायोजकों के अलावा शेयरधारकों के विशेष संकल्प की रीति से पूर्व अनुमोदन के अधीन।
83. एसपीएसी, शेयरधारकों का अनुमोदन की मांग करते समय, मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज(जों) में विस्तृत प्रोसपेक्टस दाखिल करेगा जिसमें निम्नलिखित विगोपन सहित, प्रस्तावित कारबार संयोजन के बारे में सभी संगत विगोपन अंतर्विष्ट होंगे:
- (क) लक्षित कंपनी(नियों) के बारे में सूचना जिसमें उद्योग एवं कारबार, संगठनात्मक संरचना, निदेशक मंडल, प्रबंधन तथा प्रमुख प्रबंधकीय कर्मी (केएमपी), प्रमुख शेयरधारक, सारवान शेयरधारक करार, कम से कम गत तीन वित्त वर्षों के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण, कंपनी और उसके निदेशकों व केएमपी के विरुद्ध बाकी बचे सारवान मुकदमेबाजी, संभावित हित टकराव तथा अन्य महत्वपूर्ण जानकारी सम्मिलित होगी;
- (ख) संस्थाओं का मूल्यांकन एवं उस मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त कार्यप्रणाली सहित कारबार संयोजन कार्य संपादन के बारे में सूचना;
- (ग) कारबार संयोजन में निहित प्रक्रमों एवं कार्य संपादन की पूर्णता के लिए अपेक्षित विभिन्न विनियामक तथा सांविधिक अनुमोदनों के बारे में सूचना;
- (घ) परिणामिक निर्गमकर्ता कंपनी के बारे में सूचना जो कारबार संयोजन पूर्ण होने के उपरांत गठित होगी; एवं
- (ङ) कोई अन्य सूचना जो मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों अथवा आईएफएससीए द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाए।
84. (1) एसपीएसी, प्रस्तावित कारबार संयोजन के लिए प्रायोजकों के अलावा शेयरधारकों के बहुमत की रीति से पूर्व अनुमोदन की मांग करेगा।
- (2) यदि शेयरधारकों (प्रायोजकों के अलावा) ने प्रस्तावित कारबार संयोजन के विरुद्ध मतदान किया है तो उसके पास अपनी प्रतिभूतियों को निलंब खाते में रखी गई कुल धनराशि (संदेय करों का निवल) के यथानुपात भाग में संपरिवर्तित करने का मोचन अधिकार होगा।
- स्पष्टीकरण:* वह शेयरधारक जिसने मतदान नहीं किया है, एसपीएसी निर्गमकर्ता उसका मोचन अधिकार नहीं बेच सकेगा।
- (3) एसपीएसी के नियंत्रण में परिवर्तन की अवस्था में, एसपीएसी निर्गमकर्ता शेयरधारकों (प्रायोजकों के अलावा) को अपनी प्रतिभूतियों को निलंब खाते में रखी गई कुल धनराशि (संदेय करों का निवल) के यथानुपात भाग में संपरिवर्तित करने के लिए मोचन विकल्प उपलब्ध कराएगा।
85. एसपीएसी निर्गमकर्ता, प्रस्ताव दस्तावेज में विगोपित समय-सीमा, मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज(जों) में सूचीबद्धता की तारीख से 36 से अनधिक मास के भीतर, कारबार संयोजन पूर्ण करेगा।
86. (1) यदि कारबार संयोजन अनुमत समय-सीमा के भी पूर्ण नहीं होता है तो निलंब खाते का परिसमापन, इन विनियमों एवं प्रस्ताव दस्तावेज में विगोपनों के अनुसार किया जाएगा।
- (2) परिसमापन एवं असूचीबद्धता की अवस्था में, प्रायोजक परिसमापन विभाजन में सहभागिता नहीं करेगा।
87. प्रायोजक, कारबार संयोजन पूर्ण जाने से पूर्व अपनी किसी विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों का अंतरण अथवा विक्रय नहीं करेगा।
88. एसपीएसी निर्गमकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि कारबार का अर्जन का कुल उचित बाजार मूल्य, निलंब खाते में धारित आस्थगित हामीदारी कमीशन एवं निलंब खाते में रखी गई निधियों से अर्जित आय पर संदेय कोई कर को छोड़कर, निलंब खाते में जमा की गई कुल धनराशि के कम से कम 80% के बराबर हो।
89. एसपीएसी एवं प्रायोजक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रायोजक का अथवा उनके कोई सहयोगियों का कारबार संयोजन से कोई संबंधित पक्षकार संव्यवहार अथवा संबंध न हो।
90. जहां आईपीओ में अधिपत्र जारी किये गये हैं, वहां एसपीएसी निम्नलिखित का अनुपालन करेगा:
- (क) प्रत्येक इकाई में एक शेयर एवं एक से अधिक शेयर खरीद अधिपत्र नहीं हो सकते हैं;

- (ख) अधिपत्रों के प्रयोग की कीमत, आईपीओ में प्रस्तावित इक्विटी शेयरों की कीमत से कम नहीं होगी;
- (ग) अधिपत्रों को इक्विटी शेयरों से वियुक्त किया जा सकेगा एवं उनका मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों पर अलग से कारबार किया जा सकेगा, परंतु यह कि प्रस्ताव दस्तावेज में विवरण का युक्तियुक्त रूप से विगोपन किया गया हो;
- (घ) अधिपत्र, कारबार संयोजन पूर्ण होने से पूर्व प्रयोज्य नहीं होंगे;
- (ङ) एसपीएसी के परिसमापन की दशा में अधिपत्र समाप्त होंगे; एवं
- (च) अधिपत्रों से परिसमापन अथवा मोचन पर निलंब खाने में पड़ी निधियों के लिए कोई हकदारी नहीं होगी।

91. आईएफएससीए, मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज (जो) में एसपीएसी की सूचीबद्धता करने के संबंध में, समय-समय पर, अतिरिक्त मानदंड निर्धारित कर सकेगा।

अप्रतिहत विगोपन अपेक्षाएं

92. इन विनियमों के अध्याय XI के अधीन प्रदान की गई सूचीबद्ध कंपनियों के लिए लागू अप्रतिहत विगोपन अपेक्षाएं एसपीएसी निर्गमकर्ता पर यथोचित परिवर्तनों के साथ लागू होंगी।

कारबार संयोजन के पश्चात

93. (1) परिणामी निर्गमकर्ता मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज(जो) को पूर्ण किये गये संव्यवहार से संबंधित विवरणों का अविलंब विगोपन करेगा।

स्पष्टीकरण: इस अध्याय के प्रयोजनार्थ, परिणामी निर्गमकर्ता से एसपीएसी द्वारा कारबार संयोजन पूर्ण होने से परिणामी निर्गमकर्ता अभिप्रेत है।

(2) परिणामी निर्गमकर्ता को 180 दिनों के भीतर, इन विनियमों में निर्धारित सूचीबद्धता पात्रता मानदंड की पूर्ति करना आवश्यक होगा, ताकि मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज(जो) पर सूचीबद्धता जारी रखा जा सके।

(3) परिणामी निर्गमकर्ता इन विनियमों के अध्याय XI के अधीन विनिर्दिष्ट सूचीयन दायित्वों एवं अप्रतिहत विगोपन अपेक्षाओं का अनुपालन करेगा।

(4) परिणामी निर्गमकर्ता में एसपीएसी के प्रायोजकों की शेयरधारिता, कारबार संयोजन के बंद होने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के लिए अवरुद्ध रहेगी।

(5) परिणामी निर्गमकर्ता के संप्रवर्तकों, संप्रवर्तक समूहों, नियंत्रक शेयरधारकों, निदेशकों एवं प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की शेयरधारिता कारबार संयोजन के बंद होने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के लिए अवरुद्ध रहेगी।

अध्याय VII: साधिकार निर्गम एवं अधिमानी निर्गम

94. मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कंपनी, समय-समय पर मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज(जो) एवं प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुपालन के अधीन, विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों के साधिकार निर्गमों अथवा अधिमानी निर्गमों का निर्गम कर सकेगी।

अध्याय VIII: निक्षेपागार रसीदों की सूचीबद्धता

भाग क: पात्रता अपेक्षाएं

पात्रता

95. भारत में (आईएफएससी के बाहर) अथवा विदेशी अधिकार क्षेत्र में निगमित कंपनी निक्षेपागार रसीदों का निर्गम करने की पात्र तभी होगी यदि –

क) निर्गमकर्ता, निक्षेपागार रसीदों का निर्गम करने के लिए प्राधिकृत है;

ख) निर्गमकर्ता द्वारा निक्षेपागार रसीदों का निर्गमन उसके गृह अधिकार क्षेत्र के लागू कानूनों के अनुसरण में है।

96. निक्षेपागार रसीदें सूचीबद्ध करने की पात्र तभी होंगी, यदि अंतर्निहित प्रतिभूतियां, जो निक्षेपागार रसीदें हैं, प्रस्तुत करती हैं:

(क) मौजूदा प्रतिभूतियों का समान वर्ग में अभौतिकीकृत स्वरूप एवं बराबर श्रेणी में मुक्त रूप से अंतरणीय;

(ख) पूर्णतया समादत्त एवं सभी ग्रहणाधिकारों से मुक्त; एवं

(ग) स्टॉक एक्सचेंज(जो) में निक्षेपागार रसीदों का सूचीबद्ध करने से पूर्व निर्गमकर्ता के गृह अधिकार क्षेत्र में सूचीबद्ध अथवा सूचीबद्ध की जाएंगी।

97. सभी निक्षेपागार रसीदें मुक्त रूप से परक्राम्य होंगी।

98. निर्गमकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि उसने निर्गमित किये जाने वाले प्रस्तावित निक्षेपागार रसीदों के अभौतिकीकरण के लिए निक्षेपागार के साथ करार संपन्न किया है।

भाग ख: निक्षेपागार रसीदों का आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव

प्रस्ताव का आकार

99. निक्षेपागार रसीदों के निर्गम का आकार 700,000 अमरीकी डॉलर (अथवा विदेशी मुद्रा में समतुल्य) अथवा कोई अन्य धनराशि जो प्राधिकरण समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे, से कम नहीं होगा।

प्रस्ताव दस्तावेज दाखिल करना

100. प्रस्ताव दस्तावेज को इस रीति से दाखिल किया जाएगा जो इन विनियमों के अध्याय III के अधीन, प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव हेतु प्रस्ताव दस्तावेज दाखिल करने के लिए प्रदान किया गया है।

प्रस्ताव दस्तावेज में आरंभिक विगोपन

101. (1) प्रस्ताव दस्तावेज में समस्त सारवान विगोपन अंतर्विष्ट होंगे जो सच्चे, सही एवं पर्याप्त हैं ताकि निवेशक निवेश के संबंध में सोच-समझकर विनिश्चय करने में समर्थ हो सकें।

(2) अग्रणी प्रबंधक (गण) प्रस्ताव दस्तावेज में विगोपनों की तात्विकता, सत्यता एवं पर्याप्तता सहित निर्गम के सभी पहलुओं के बारे में सम्यक उद्यम करेंगे एवं स्वयं की संतुष्टि करेगा/करेंगे।

102. प्रस्ताव दस्तावेज में निम्नलिखित सहित सार्वजनिक प्रस्ताव से संबंधित विगोपन अंतर्विष्ट होंगे:

(क) निर्गमकर्ता का विगोपन

- i. सामान्य सूचना
- ii. सांविधिक लेखापरीक्षक
- iii. जोखिम कारक
- iv. निर्गमकर्ता के बारे में सूचना
- v. कारबार का सिंहावलोकन
- vi. संगठनात्मक संरचना
- vii. प्रबंधन
- viii. परिश्रमिक एवं हितलाभ
- ix. पूंजीगत संरचना
- x. प्रमुख शेयरधारक
- xi. संबंधित पक्षकार संव्यवहार
- xii. वित्तीय सूचना
- xiii. सारवान संविदाएं
- xiv. बाकी बची सारवान मुकदमेबाजी एवं व्यतिक्रम
- xv. शासकीय/विनियामक प्राधिकरणों का अनुमोदन, यदि लागू हो
- xvi. निगमन/जहां अंतर्निहित प्रतिभूतियां सूचीबद्ध हैं के अधिकार क्षेत्र का विदेशी निवेश एवं विनिमय नियंत्रण।

(ख) प्रतिभूतियों का विगोपन

- i. अंतर्निहित प्रतिभूतियों के बारे में सूचना
- ii. निक्षेपागार रसीदों के बारे में सूचना
- iii. लाभांश अधिकार, मताधिकार आदि सहित निक्षेपागार रसीदधारकों के अधिकार।
- iv. निक्षेपागार से संबंधित सूचना

(ग) निर्गम से संबद्ध विगोपन

- i. निर्गम की विषय वस्तु
- ii. आय का अंतरिम उपयोग
- iii. मूल्य निर्धारण
- iv. वितरण एवं आबंटन योजना
- v. प्रतिष्ठापन एवं हामीदारी
- vi. कराधान

स्पष्टीकरण: चूंकि निर्गमकर्ता की अंतर्निहित प्रतिभूतियां उसके गृह एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं, अतः निर्गमकर्ता गृह एक्सचेंज अथवा विनियामक निकाय पर किए गए हालिया प्रॉस्पेक्टस अथवा अन्य विगोपन का संदर्भ उपलब्ध कराके इस खंड में अपेक्षित सूचना समाविष्ट कर सकेगा।

103. प्रस्ताव दस्तावेज में निर्गमकर्ता की कम से कम तीन वित्त वर्षों की लेखापरिक्षित वित्तीय सूचना होगी।

परंतु यह कि निम्नतर कालावधि के लिए वित्तीय सूचना उपलब्ध कराई जा सकेगी यदि निर्गमकर्ता ने निगमन के बाद से 3 वर्ष पूरे नहीं किए हैं:

परंतु यह और कि प्रस्ताव दस्तावेज में उपलब्ध कराया गया नवीनतम वित्तीय विवरण 12 मास से अनधिक पुराने होंगे।

104. निर्गमकर्ता, आईएफआरएस अथवा यूएस गाप अथवा भारतीय लेखांककरण मानक अथवा अपने गृह निगमन के अधिकार क्षेत्र में यथा लागू लेखांककरण मानकों के अनुरूप, अपना लेखा विवरण तैयार करेगा।

कीमत-निर्धारण

105. निर्गमकर्ता अग्रणी प्रबंधक (कों) के साथ परामर्श करके अथवा बही निर्माण प्रक्रम के माध्यम से निक्षेपागार रसीदों की कीमत अवधारित कर सकेगा।

प्रस्ताव की कालावधि

106. निक्षेपागार रसीदों का आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव कम से कम तीन कार्यदिवसों एवं दस से अनधिक कार्यदिवसों के लिए खुला रखना होगा:

न्यूनतम अभिदान

107. निक्षेपागार रसीदों की सूचीबद्धता की तभी अनुज्ञा मिलेगी यदि प्रस्ताव में अभिदान 700,000 अमरीकी डॉलर (अथवा विदेशी मुद्रा में समतुल्य) अथवा कोई अन्य धनराशि जो आईएफएससीए समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे, से कम न हो।

आबंटन

108. निर्गमकर्ता एवं अग्रणी प्रबंधक (गण) यह सुनिश्चित करेगा/करेंगे कि निक्षेपागार रसीदें आबंटित की जा रही हैं एवं निर्गम बंद होने की तारीख से पांच कार्यदिवसों के भीतर, संदाय एवं प्रतिदाय संपूरित किये जा रहे हैं।

सूचीबद्धता

109. निक्षेपागार रसीदें स्टॉक एक्सचेंज(जों) में उस कालावधि में सूचीबद्ध होंगी जो स्टॉक एक्सचेंज विनिर्दिष्ट करे/करें।

भाग ग: (सार्वजनिक प्रस्ताव के बिना) सूचीबद्धता एवं व्यापार

110. कोई कंपनी जिसने अपनी निक्षेपागार रसीदें भारत में (आईएफएससीए से बाहर) अथवा विदेशी अधिकार क्षेत्र में सूचीबद्ध कराई हैं, अपनी निक्षेपागार रसीदों को निम्नलिखित शर्तों के अध्यायीन, मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज(जों) में सूचीबद्ध करा सकेगी:

- (क) कंपनी, स्टॉक एक्सचेंज(जों) द्वारा विनिर्दिष्ट रीति में सूचीबद्धता आवेदन दाखिल करेगी; एवं
- (ख) कंपनी, स्टॉक एक्सचेंज(जों) की सूचीबद्धता अपेक्षाओं का अनुपालन करेगी।

अध्याय IX: ऋण प्रतिभूतियों की सूचीबद्धता**पात्र ऋण प्रतिभूतियां**

111. ऋण प्रतिभूतियों की निम्नलिखित श्रेणियां, मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्धता करने के लिए पात्र हैं:

- (क) आईएफएससीए में निगमित किसी निर्गमकर्ता द्वारा निर्गमित ऋण प्रतिभूतियां;

- (ख) भारतीय रुपये के अलावा किसी अन्य मुद्रा में भारत में अथवा विदेशी अधिकार क्षेत्र में निगमित निर्गमकर्ता द्वारा निर्गमित ऋण प्रतिभूतियां;
- (ग) एकाधिक राष्ट्रीय, बहुपक्षीय अथवा सांविधिक संगठन/संस्थान/एजेंसी द्वारा निर्गमित ऋण प्रतिभूतियां;
- (घ) कोई केंद्रीय या राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित अथवा अधिसूचित कोई नगरपालिका अथवा कोई सांविधिक निकाय अथवा बोर्ड अथवा निगम, प्राधिकरण, न्यास अथवा एजेंसी अथवा निर्गमकर्ता द्वारा अवसंरचना अथवा स्मार्ट सिटी विकसित करने के लिए निधि जुटाने के प्रयोजनार्थ सहित राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित कोई विशेष प्रयोजन माध्यम द्वारा निर्गमित ऋण प्रतिभूतियां;
- (ङ) संप्रभु (भारत या विदेशी अधिकार क्षेत्र) द्वारा अपरिवर्तनीय रूप से गारंटीकृत ऋण प्रतिभूतियां;
- (च) मसाला बंधपत्र;
- (छ) कोई अन्य ऋण प्रतिभूतियां जिसकी आईएफएससीए द्वारा समय-समय पर अनुज्ञा दे।

स्पष्टीकरण: ऋण प्रतिभूतियों में एकल निर्गमन अथवा निर्गमन श्रृंखला जैसे मध्यावधि अपरक्राम्य वचन पत्र (नोट) प्रोग्राम सम्मिलित हैं।

आईएफएससीए में स्थापित निर्गमकर्ताओं के लिए अनिवार्य सूचीबद्धता

112. आईएफएससीए में निगमित एवं ऋण प्रतिभूतियों का निर्गमन करने का इच्छुक अपनी ऋण प्रतिभूतियों की सूचीबद्धता के लिए निर्गमकर्ता मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में अनिवार्य रूप से आवेदन करेगा।

दस्तावेज दाखिल करना

113. (1) मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में अपनी ऋण प्रतिभूतियों की सूचीबद्धता करने के इच्छुक निर्गमकर्ता, मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज (जों) में, मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज(जों) द्वारा विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुरूप, यथा लागू, प्रॉस्पेक्टस, शेल्फ प्रॉस्पेक्टस अथवा सूचना पत्रक की एक प्रतिलिपि के साथ सूचीबद्धता आवेदन दाखिल करेगा:

(2) निर्गमकर्ता, मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज (जों) में फीस के साथ जो प्राधिकरण विनिर्दिष्ट करे, सूचीबद्धता आवेदन दाखिल करेगा

स्पष्टीकरण: मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज द्वारा एकत्रित नियामक फीस, तिमाही आधार पर, आईएफएससीए को विप्रेषित की जाएगी।

आरंभिक विगोपन

114. (1) प्रॉस्पेक्टस, शेल्फ प्रॉस्पेक्टस अथवा सूचना पत्रक, यथा लागू, में समस्त सारवान विगोपन अंतर्विष्ट होंगे जो सच्चे, सही एवं पर्याप्त हैं ताकि निवेशक, निवेश के संबंध में सोच-समझकर विनिश्चय करने में समर्थ हो सकें।

(2) निर्गमकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि प्रॉस्पेक्टस अथवा सूचना पत्रक में निम्नलिखित विगोपन किये गये हैं:

क. निर्गमकर्ता का विगोपन

- i. सामान्य सूचना
- ii. जोखिम कारक
- iii. निर्गमकर्ता के बारे में सूचना
- iv. कारबार का सिंहावलोकन
- v. संगठनात्मक संरचना
- vi. प्रबंधन
- vii. प्रमुख/नियंत्रक शेयरधारक
- viii. लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण
- ix. सांविधिक लेखापरीक्षक
- x. बाकी बची सारवान मुकदमेबाजी एवं व्यतिक्रम

ख. प्रतिभूतियों का विगोपन

- i. ऋण प्रतिभूतियों का विवरण

- ii. जोखिम कारक
- iii. एक्सचेंजों की सूची, जहां ऋण प्रतिभूतियां सूचीबद्ध हैं या सूचीबद्ध होने के लिए प्रस्तावित हैं
- iv. निर्गमन की अधिकतम धनराशि (मध्यावधि अपरक्राम्य वचन पत्र (नोट) प्रोग्राम की दशा में)

(3) निर्गमकर्ता, उप-विनियम (2) में विनिर्दिष्ट विगोपन अपेक्षाओं के अतिरिक्त, मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज(जों) द्वारा विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं का भी विगोपन करेगा।

115. प्रोग्राम (मध्यावधि अपरक्राम्य वचन पत्र (नोट) सहित) के अधीन निर्गमित ऋण प्रतिभूतियों की दशा में, मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज उन प्रतिभूतियों के व्यापार करने की स्वीकृति दे सकेगा जो आवेदन के अनुमोदन के उपरांत, बारह मास के भीतर प्रोग्राम के अधीन निर्गमित की गई हैं।
116. निर्गमकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि व्यापार करने की स्वीकारोक्ति से पूर्व, मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज(जों) को कीमत निर्धारण संपूरक, जहां भी लागू हो, जमा किये गये हैं।
117. यदि प्रतिभूति, गारंटी अथवा चुकौती आश्वासन पत्र अथवा इसी तरह के आशय वाले कोई अन्य दस्तावेज/पत्र द्वारा समर्थित है, तो निर्गमकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि प्रॉस्पेक्टस अथवा सूचना पत्रक में सुसंगत विवरण, पर्याप्त रूप से विगोपित किए गए हैं।
118. एक्सचेंज, निर्गमकर्ता से प्राप्त अनुरोध के मूल्यांकन के उपरांत, प्रॉस्पेक्टस, शेल्फ प्रॉस्पेक्टस अथवा सूचना पत्रक में निश्चित विगोपनों से छूट प्रदान कर सकेगा।

निजी स्थानन की दशा में न्यूनतम अभिदान

119. निजी स्थानन की दशा में प्रति निवेशक न्यूनतम अभिदान की धनराशि, एक लाख अमेरिकी डॉलर अथवा इसके समतुल्य अथवा ऐसी धनराशि जो मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध ऋण प्रतिभूतियों के संबंध में प्राधिकरण समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे, से कम नहीं होगी।

साख निर्धारण (क्रेडिट रेटिंग)

120. (1) निर्गमकर्ता, अपनी ऋण प्रतिभूतियों के लिए भारत में पंजीकृत प्राधिकरण अथवा किसी विदेशी अधिकार क्षेत्र में पंजीकृत क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से क्रेडिट रेटिंग प्राप्त कर सकेगा।
- (2) यदि क्रेडिट रेटिंग प्राप्त कर ली गई है, तो निर्गमकर्ता यथास्थिति, प्रॉस्पेक्टस, शेल्फ प्रॉस्पेक्टस अथवा सूचना पत्रक में क्रेडिट रेटिंग के विवरण का विगोपन करेगा।

सार्वजनिक निर्गम

121. मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में ऋण प्रतिभूतियों के सार्वजनिक निर्गम के संबंध में, निर्गमकर्ता, न्यासी की नियुक्ति, डिबेंचर मोचन आरक्षित निधि का सृजन इत्यादि जो प्राधिकरण अथवा मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज समय समय पर विनिर्दिष्ट करे, जैसी अपेक्षाओं का अनुपालन करेगा।

छूटप्राप्त निर्गमकर्ता

122. मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज निम्नलिखित छूट प्राप्त निर्गमकर्ताओं के लिए इस अध्याय से कुछ अपेक्षाओं में छूट दे सकेंगे:

- (क) एकाधिक राष्ट्रीय, बहुपक्षीय अथवा सांविधिक संस्थान/संगठन/एजेंसी; एवं
- (ख) वे संस्थाएं जिनकी प्रतिभूतियां संप्रभु द्वारा अपरिवर्तनीय रूप से गारंटीकृत हैं; एवं
- (ग) कोई अन्य संस्था जो प्राधिकरण समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे।

अध्याय X: पर्यावरण, सामाजिक एवं अभिशासन (ईएसजी) ऋण प्रतिभूतियां

अनुप्रयोज्यता

123. (1) यह अध्याय, आईएफएससीए में मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध "हरित", "सामाजिक", "संधारणरीय-सहबद्ध" ऋण प्रतिभूतियों को लागू होगा।
- (2) इस अध्याय के अंतर्गत आने वाली अपेक्षाएं, आईएफएससीए में मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में ऋण प्रतिभूतियों की सूचीबद्धता के लिए अध्याय IX में वर्णित अपेक्षाओं के अतिरिक्त होंगी।
124. (1) ऋण प्रतिभूतियों को "हरित", "सामाजिक", "संधारणरीय" के रूप में नाम दिया जाएगा यदि ऐसी ऋण प्रतिभूतियों के निर्गमन के माध्यम से जुटाई गई निधियों का उपयोग, निम्नलिखित में से किसी भी मान्यताप्राप्त ढांचे के अनुरूप वित्तपोषण अथवा पुनर्वित्त परियोजनाओं और/या परिसंपत्तियों के लिए किया जाना है:

- (क) अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार संघ के नियम/मार्गदर्शी सिद्धांत;
- (ख) जलवायु बंधपत्र मानक;
- (ग) आसियान मानक;
- (घ) यूरोपीय संघ के मानक/वर्गीकृति;
- (ङ.) भारत में सक्षम प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट कोई ढांचा या कार्यप्रणाली; या
- (च) अन्य अंतरराष्ट्रीय मानक

स्पष्टीकरण: मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज(जों) अथवा आईएफएससीए द्वारा मामला-दर-मामला आधार पर अन्य अंतरराष्ट्रीय मानकों पर विचार किया जा सकेगा।

(2) ऋण प्रतिभूतियों को "संधारणीय-सहबद्ध" के रूप में नाम दिया जाएगा यदि वे उप-विनियम (1) के अधीन विनिर्दिष्ट किसी मान्यताप्राप्त ढांचे अथवा कोई अन्य ऐसे अर्हक मानदंड जो समय-समय पर प्राधिकरण विनिर्दिष्ट करे, के अनुरूप है।

(3) निर्गमकर्ता यह निश्चय करने के लिए किसी स्वतंत्र बाहरी समीक्षक की नियुक्ति करेगा कि ईएसजी ऋण प्रतिभूतियां, निम्नलिखित शर्तों के अनुपालन करने में, उप-विनियम (1) में उल्लिखित किसी मान्यताप्राप्त ढांचे के अनुरूप हैं:

- क) समीक्षक निर्गमकर्ता, उसके निदेशकों, वरिष्ठ प्रबंधन, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों एवं सलाहकारों से स्वतंत्र होगा;
- ख) समीक्षक को इस रीति में पारिश्रमिक दिया जाएगा जो हितों के किसी भी टकराव को रोकता है; एवं
- ग) समीक्षक के पास ईएसजी ऋण प्रतिभूतियों का आकलन करने में पर्याप्त विशेषज्ञता हो।

(4) उप-विनियम (3) में उल्लिखित स्वतंत्र बाहरी समीक्षा, अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार संघ द्वारा अनुशासित निम्नलिखित में से एक या अधिक स्वरूप में की जा सकेगी:

- क) द्वितीय पक्ष का अभिमत
- ख) सत्यापन
- ग) प्रमाणन
- घ) समंकन / निर्धारण

(5) निर्गमकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि स्वतंत्र बाहरी समीक्षा के बारे में विवरण का विगोपन हो एवं निवेशकों को आसानी से पहुंच रखने योग्य हो।

प्रस्ताव दस्तावेज़/सूचना पत्रक में अतिरिक्त विगोपन

125. (1) ईएसजी ऋण प्रतिभूतियों (संधारणीय-सहबद्ध ऋण प्रतिभूतियों के अलावा) के संबंध में, निर्गमकर्ता, यथास्थिति, प्रस्ताव दस्तावेज़ अथवा सूचना पत्रक में निम्नलिखित अतिरिक्त विगोपन करेगा:

- (क) ऋण प्रतिभूतियों के निर्गम के ईएसजी उद्देश्यों पर कथन;
- (ख) निर्गमकर्ता द्वारा परियोजना(ओं) और/या परिसंपत्ति(यों) के मूल्यांकन एवं चयन के लिए अनुकरण की जाने वाली प्रक्रिया का विवरण;
- (ग) निर्गम से प्राप्त राशि के प्रस्तावित उपयोग में परियोजना (ओं) और/या संपत्ति (यों) का विवरण सम्मिलित होगा; एवं
- (घ) निर्गम की आय के परिनियोजन पर नजर रखने के लिए नियोजित की जाने वाली प्रणालियों एवं प्रक्रियाओं का विवरण।

(2) निर्गमकर्ता, संधारणीय-सहबद्ध ऋण प्रतिभूतियों के संबंध में, यथास्थिति, प्रस्ताव दस्तावेज़ या सूचना पत्रक में निम्नलिखित अतिरिक्त विगोपन करेगा:

क) निर्गमकर्ता संधारणीय-सहबद्ध ऋण प्रतिभूतियों के निर्गमन के औचित्य एवं निर्गमकर्ताओं की समग्र संधारणीय और कारबार कार्यनीति की संगतता का विगोपन करेगा।

ख) निर्गमकर्ता, अंतरराष्ट्रीय मानक जो प्रतिभूतियों के अनुरूप हैं, के अनुसार, निर्गमन-पूर्व एवं निर्गमन-पश्चात दायित्वों का पालन करेगा:

स्पष्टीकरण: जहां ऋण प्रतिभूतियां, आईसीएमए संधारणीय-सहबद्ध बंधपत्र नियम (2020) के अनुरूप हैं, वहां सभी दायित्वों एवं अप्रतिहत दायित्वों के लिए 5 मुख्य घटकों - प्रमुख कार्य-निष्पादन संकेतकों का चयन, संधारणीय कार्य-निष्पादन लक्ष्यों का अंशांकन, बंधपत्र अभिलक्षण, प्रतिवेदन और सत्यापन से संबंधित दिशानिर्देशों का अनुकरण किया जाएगा।

अतिरिक्त अप्रतिहत विगोपन अपेक्षाएं

126. (1) निर्गमकर्ता, ईएसजी ऋण प्रतिभूतियों (संधारणीय-सहबद्ध ऋण प्रतिभूतियों के अलावा) के संबंध में, मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज (जों) में कम से कम वार्षिक आधार पर, जब तक कि आय का पूर्ण नियतन न हो निम्नलिखित अतिरिक्त विगोपन उपलब्ध कराएगा:

(क) निर्गम की आय का उपयोग;

(ख) *नियतन*: परियोजना(ओं) और/या परिसंपत्ति(यों) की सूची जिसमें ऋण प्रतिभूतियों की आय का नियतन/निवेश किया गया है, के साथ ऐसी परियोजना(ओं) और / या परिसंपत्ति(यों) एवं संबितरित धनराशि का संक्षिप्त विवरण:

स्पष्टीकरण: हालांकि, जहां गोपनीयता करार विवरण की मात्रा को सीमित करते हैं जो विनिर्दिष्ट परियोजना(ओं) और/या परिसंपत्ति(यों) के बारे में उपलब्ध जा सकती हैं, ऐसी सूचना सामान्य शब्दों में अथवा समग्र पोर्टफोलियो आधार पर प्रस्तुत की जाएगी; एवं

ग) *प्रभाव*: परियोजना (ओं) और / या परिसंपत्ति (यों) के अपेक्षित/उपार्जित ईएसजी प्रभाव के गुणात्मक कार्य-निष्पादन संकेतक और, जहां संभव हो, मात्रात्मक प्रदर्शन उपाय।

स्पष्टीकरण:

(i) यदि मात्रात्मक हितलाभ/प्रभाव का पता नहीं लगाया जा सकता है, तो ईएसजी पर हितलाभ/प्रभाव का पता न लगाने के कारणों के साथ उक्त तथ्य का युक्तियुक्त रूप से विगोपन किया जा सकेगा।

(ii) कार्य-निष्पादन संकेतक एवं मेट्रिक्स की तैयारी में प्रयुक्त विधियों और प्रमुख अंतर्निहित मान्यताओं का विगोपन किया जाएगा।

(2) संधारणीय-सहबद्ध ऋण प्रतिभूतियों का निर्गमकर्ता, कम से कम वार्षिक आधार पर, ऋण प्रतिभूति वित्तीय और/अथवा संरचनागत अभिलक्षण के संभावित समायोजन के परिणामस्वरूप संधारणीय कार्य-निष्पादन लक्ष्य (एसपीटी) का आकलन करने के लिए कोई संगत तिथि/कालावधि की किसी दशा में, मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज(जों) को निम्नलिखित अतिरिक्त विगोपन उपलब्ध कराएगा:

क) आधार रेखा जहां संगत हो, सहित चयनित प्रमुख कार्य-निष्पादन संकेतक (कों) के कार्य-निष्पादन पर अद्यतन सूचना;

ख) कोई सूचना जो निवेशकों को एसपीटी की आकांक्षा के स्तर की निगरानी करने के लिए सक्षम बनाये; एवं

ग) स्वतंत्र बाहरी समीक्षक द्वारा सत्यापन रिपोर्ट जिसमें ऋण प्रतिभूतियों की वित्तीय और / या संरचनागत अभिलक्षणों पर एसपीटी के प्रति कार्य-निष्पादन एवं उससे संबंधित प्रभाव, और ऐसे प्रभाव का समय,

अध्याय XI: सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं**भाग क: सामान्य बाध्यताएं**

अनुप्रयोज्यता

127. इन विनियमों के अधीन मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज(जों) पर सभी सूचीबद्ध प्रतिभूतियों पर, इस अध्याय के भाग क के उपबंध लागू होंगे।

विगोपन एवं बाध्यताओं को विनियमित करने वाले सिद्धांत

128. सूचीबद्ध संस्था जिसने प्रतिभूतियां सूचीबद्ध कराई हैं, इन विनियमों के अधीन विगोपन एवं अपनी बाध्यताओं का पालन निम्नलिखित सिद्धांतों के अनुसार करेगी:

क) लेखाकरण एवं वित्तीय विगोपन के लागू मानकों के अनुसार सूचना तैयार एवं विगोपित की जाएगी।

ख) सूचीबद्ध संस्था, वित्तीय विवरण तैयार करते समय, सभी पणधारकों के हित को ध्यान में रखते हुए निर्धारित लेखांकन मानकों को भाषा व भाव की दृष्टि से कार्यान्वित करेगी एवं यह भी सुनिश्चित करेगी कि वार्षिक लेखा परीक्षा स्वतंत्र, सक्षम एवं अर्हित लेखा परीक्षक द्वारा की जाए।

ग) सूचीबद्ध संस्था दुर्व्यपदेशन से विरत रहेगी एवं यह सुनिश्चित करेगी कि मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज (जों) और निवेशकों को उपलब्ध कराई गई जानकारी भ्रामक न हो।

घ) सूचीबद्ध संस्था मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज एवं निवेशकों को पर्याप्त और समयबद्ध पर जानकारी उपलब्ध कराएगी।

ड.) सूचीबद्ध संस्था यह सुनिश्चित करेगी कि इन विनियमों के उपबंधों एवं इसके तदधीन जारी परिपत्रों के अधीन किए गए प्रसार पर्याप्त, यथार्थ, सुस्पष्ट, समयबद्ध हों और सरल भाषा में प्रस्तुत किए गए हों।

च) जानकारी को प्रसारित करने के माध्यम ऐसे होंगे जो निवेशकों को सुसंगत जानकारी तक समान रूप से, सामयिक रूप से तथा किफायती रूप से पहुंच उपलब्ध कराएंगे।

छ) सूचीबद्ध संस्था लागू विधियों, जिनमें प्रतिभूति सम्मिलित हैं, के सभी उपबंधों का और ऐसे अन्य मार्गदर्शक सिद्धांतों का भी पालन करेगी जो आईएफएससीए एवं मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज (जों) द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किये गये हों तो जो लागू हों।

ज) सूचीबद्ध संस्था सभी पणधारकों के हित को ध्यान में रखते हुए भाषा एवं भाव की दृष्टि से विनिर्दिष्ट विगोपन करेगी और अपनी बाध्यताओं का पालन करेगी।

झ) फाइलिंग, रिपोर्टों, विवरणों, दस्तावेजों और जानकारी जो घटना आधारित हैं अथवा जिन्हें आवधिक रूप से दाखिल किया जाता है, में सुसंगत जानकारी अंतर्विष्ट होगी और विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर दाखिल की जाएगी।

ट) आवधिक फाइलिंग, रिपोर्टों, विवरणों, दस्तावेजों और जानकारी संबंधी रिपोर्ट में ऐसी जानकारी अंतर्विष्ट होगी जो निवेशकों को नियमित समय अंतरालों पर, सूचीबद्ध संस्था के कार्य निष्पादन पर नजर रखने में समर्थ बनाएगी एवं जो निवेशकों को एक सूचीबद्ध संस्था की वर्तमान स्थिति का आकलन करने में समर्थ बनाने के लिए पर्याप्त जानकारी उपलब्ध कराएगी।

अनुपालन की साधारण बाध्यताएं

129. सूचीबद्ध इकाई यह सुनिश्चित करेगी कि सूचीबद्ध संस्था के साथ व्यवहार करने वाले मूल प्रबंधकीय कार्मिक, निदेशक, संप्रवर्तक, नियंत्रक शेयरधारक या कोई अन्य व्यक्ति इन विनियमों के अधीन उन्हें सौंपी गई जिम्मेदारियों अथवा बाध्यताओं, यदि कोई हों, का अनुपालन करें।

अनुपालन अधिकारी और उसकी बाध्यताएं

130. (1) सूचीबद्ध संस्था अनुपालन अधिकारी के रूप में एक अर्हित कंपनी सचिव को नियुक्त करेगी।

(2) सूचीबद्ध संस्था का अनुपालन अधिकारी निम्नलिखित लिए जिम्मेदार होगा-

- (क) यह सुनिश्चित करने के लिए कि सूचीबद्ध संस्था के प्रति लागू विनियामक उपबंध भाषा और भाव की दृष्टि से अनुरूप हों;
- (ख) नियमों, विनियमों एवं आईएफएससीए, मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज(जों) तथा निक्षेपागारों के अन्य निदेशों की अनुपालना के संबंध में समय-समय पर यथा विनिर्दिष्ट रीति से इन प्राधिकरणों के साथ समन्वय करने एवं उन्हें रिपोर्ट करने के लिए; एवं
- (ग) यह सुनिश्चित करने के लिए सही प्रक्रियाओं अपनाई जाएं, जिसके परिणामस्वरूप इन विनियमों के अधीन सूचीबद्ध संस्था द्वारा दाखिल की गई जानकारी, दाखिल किये गये विवरणों और दाखिल की गई रिपोर्टों की सटीकता, प्रामाणिकता और व्यापकता आएगी।

भाग ख: वे कंपनियां जो मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों के साथ सूचीबद्ध हैं

घटना आधारित विगोपन

131. सूचीबद्ध कंपनी उसके अथवा उसकी कोई अनुषंगियों अथवा संबद्ध कंपनियों से संबंधित कोई घटना अथवा जानकारी का अविलंब विगोपन करेगी, जो सूचीबद्ध कंपनी के निदेशक मंडल के अभिमत में, सारवान अथवा कीमत के प्रति संवेदनशील हो।

स्पष्टीकरण I: सूचीबद्ध संस्था घटनाओं/सूचनाओं की तात्त्विकता के अवधारण के लिए निम्नलिखित मानदंडों पर विचार करेगी:

- क) किसी घटना या सूचना का लोप, जिसके परिणामस्वरूप सार्वजनिक रूप से पहले से उपलब्ध घटना अथवा जानकारी के बंद होने अथवा उसमें परिवर्तन होने की संभावना है; अथवा
- ख) किसी घटना या जानकारी का लोप जिसके परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण बाजार प्रतिक्रिया होने की संभावना है यदि उक्त लोप बाद की तारीख में सामने आती है; अथवा
- ग) ऐसी दशा में, जहां उप-खंड (क) एवं (ख) में विनिर्दिष्ट मानदंड लागू न हों, कोई घटना/जानकारी को सारवान माना जा सकेगा यदि सूचीबद्ध संस्था के निदेशक मंडल के अभिमत में, घटना / जानकारी सारवान मानी जाती है।

स्पष्टीकरण II: इन विनियमों के प्रयोजनार्थ अविलंब से तुरंत लेकिन 24 घंटे के अपश्चात होगा।

132. सूचीबद्ध कंपनी तात्विकता के निर्धारण के लिए इन विनियमों में निर्दिष्ट मानदंडों के आधार पर, अपने निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित, नीति तैयार करेगी, जिसका विगोपन उसकी वेबसाइट पर रहेगा।
133. सूचीबद्ध कंपनी, संस्था के अंतर्नियम व बहिर्नियम का कोई उपांतर का विगोपन अविलंब स्टॉक एक्सचेंजों को करेगी।
134. सूचीबद्ध कंपनी निदेशक मंडल की बैठक के बारे में पूर्व सूचना देगी और निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसी के संबंध में अविलंब निदेशक मंडल की बैठक के परिणाम स्टॉक एक्सचेंज (जों) में विगोपन करेगी:
- (क) लाभांश;
- (ख) प्रतिभूतियों की वापसी खरीद (बायबैक);
- (ग) निधि जुटाने अथवा पूंजी में परिवर्तन के संबंध में विनिश्चय;
- (घ) वित्तीय परिणाम; एवं
- ङ) स्टॉक एक्सचेंज (जों) से सूचीबद्ध संस्था द्वारा स्वैच्छिक रूप से असूचीबद्धा का विनिश्चय।
135. सूचीबद्ध कंपनी, वार्षिक और असाधारण आम बैठकों की कार्यवाही का स्टॉक एक्सचेंजों को अविलंब विगोपन करेगी।
136. (1) सूचीबद्ध कंपनी निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों, लेखा परीक्षक एवं अनुपालन अधिकारी में परिवर्तन का तुरंत स्टॉक एक्सचेंजों को अविलंब विगोपन करेगी।
- (2) सूचीबद्ध कंपनी के लेखा परीक्षक के त्यागपत्र की दशा में, लेखा परीक्षक के त्यागपत्र के विस्तृत कारण, जो उक्त लेखा परीक्षक ने दिया है, का सूचीबद्ध कंपनी, यथाशीघ्र, लेकिन लेखापरीक्षा के ऐसे कारण प्राप्त होने के चौबीस घंटे के अपश्चात, स्टॉक एक्सचेंजों को विगोपित करेगी।
- (3) कोई निदेशक, मूल प्रबंधकीय कार्मिक अथवा अनुपालन अधिकारी के त्यागपत्र की दशा में, ऐसा व्यक्ति यथाशीघ्र लेकिन चौबीस घंटे के अपश्चात लिखित रूप में स्टॉक एक्सचेंज को सूचना देगा यदि उसे सूचीबद्ध कंपनी में किसी ऐसी अनियमितता के बारे में पता चला है, जिसका वित्तीय रिपोर्टिंग सहित कंपनी पर सारवान प्रभाव पड़ेगा।
137. सूचीबद्ध कंपनी निम्नलिखित के वित्तीय विवरणों पर लेखापरीक्षक द्वारा कोई प्रतिकूल अभिमत, अभिमत का प्रतिआख्यान, परिमित अभिमत का अविलंब विगोपन करेगी, -
- i. सूचीबद्ध कंपनी; अथवा
- ii. सूचीबद्ध कंपनी की अनुषंगियों अथवा संबद्ध कंपनियों में से कोई, यदि प्रतिकूल अभिमत, अभिमत का प्रतिआख्यान, परिमित अभिमत, कंपनी के समेकित खातों पर सारवान प्रभाव डालते हों।
138. (1) सूचीबद्ध कंपनी को आईएफएससीए अथवा स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी के कार्यों की समीक्षा या जांच करने एवं स्टॉक एक्सचेंज अथवा कंपनी की लेखापरीक्षा समिति को अपने निष्कर्षों की रिपोर्ट देने के लिए एक लेखापरीक्षक नियुक्त करना आवश्यक होगा।
- (2) सूचीबद्ध कंपनी को आईएफएससीए अथवा स्टॉक एक्सचेंज में लेखापरीक्षक की नियुक्ति का अविलंब विगोपन करना अथवा लेखापरीक्षक के निष्कर्षों का विगोपन करना आवश्यक होगा।
139. (1) सूचीबद्ध कंपनी के संप्रर्वतक एवं नियंत्रक शेयरधारक, सूचीबद्ध कंपनी के विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों की सृजित अथवा अवलंबित अथवा मोचित कोई ऋणग्रस्तता का, यथास्थिति, ऐसे सृजन, अथवा अवलंबन अथवा मोचन के दो दिवसों के भीतर, निम्न को विगोपन करेगी:
- (क) मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज (जों); तथा
- (ख) सूचीबद्ध कंपनी।
- (2) सूचीबद्ध कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि उप-विनियम (1) के अधीन प्राप्त विगोपनों के मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों को अविलंब विगोपन किया गये हों।

आवधिक विगोपन

140. सूचीबद्ध कंपनी, आईएफएससीए अथवा स्टॉक एक्सचेंज (जों) द्वारा विनिर्दिष्ट प्रारूप में, प्रत्येक तिमाही की समाप्ति से इक्कीस दिनों के भीतर, कंपनी की शेयरधारिता प्रतिमान, तिमाही आधार पर स्टॉक एक्सचेंज (जों) को प्रस्तुत करेगी।
141. सूचीबद्ध कंपनी, लेखाओं को अंतिम रूप देने के तुरंत बाद, लेकिन किसी भी दशा में, वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह मास के अपश्चात, पूर्ण वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षित एकल और समेकित वित्तीय विवरणों का स्टॉक एक्सचेंज (जों) को विगोपित करेगी।

142. सूचीबद्ध कंपनी, अपने वित्तीय वर्ष की हर पहली तीन तिमाहियों के लिए वित्तीय विवरणों का लेखाओं को अंतिम रूप देने के तुरंत बाद, लेकिन किसी भी दशा में तिमाही की समाप्ति के 45 दिनों के अपश्चात, स्टॉक एक्सचेंज (जों) को विगोपित करेगी।
143. सूचीबद्ध कंपनी, आईएफआरएस अथवा यूएस गाप अथवा भारतीय लेखांककरण मानक अथवा अपने निगमन के अधिकार क्षेत्र में यथा लागू लेखाकरण मानकों के अनुरूप, अपना लेखा विवरण तैयार करेगा।
144. (1) सूचीबद्ध कंपनी, वार्षिक आम बैठक की सूचना के साथ, शेयरधारकों को भेजी गई वार्षिक रिपोर्ट की प्रति, अपने शेयरधारकों को प्रेषण आरंभ करने की तिथि के अपश्चात, स्टॉक एक्सचेंज को प्रस्तुत करेगी एवं अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करेगी।
- (2) वार्षिक रिपोर्ट में निम्नलिखित अंतर्विष्ट होंगे:
- क) लेखापरीक्षित एकल एवं समेकित वित्तीय विवरण;
- ख) निदेशक रिपोर्ट
- ग) प्रबंधन परिचर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट
- घ) कॉर्पोरेट अभिशासन प्रथाएं
- ड.) संधारणीयता रिपोर्ट, यदि लागू हो; एवं
- च) अनिवार्य अपेक्षाएं जो निगमन के अधिकार क्षेत्र के कानूनों में विनिर्दिष्ट हों

विचलन (नों) या भिन्नता(ओं) का विवरण

145. (1) सूचीबद्ध कंपनी, स्टॉक एक्सचेंज को विचलन के विवरण (अपने प्रस्ताव दस्तावेज़ में उसके द्वारा किए गए निधियों के अनुमानित उपयोग के बीच श्रेणीवार भिन्नता का उल्लेख करने वाला), यदि कोई हो, सार्वजनिक निर्गम के लिए तिमाही आधार पर प्रस्ताव दस्तावेज़ में वर्णित वस्तुओं से आय के उपयोग में प्रस्तुत करेगी:
- परंतु यह कि स्टार्ट-अप एवं एसएमई कंपनियों को छमाही आधार पर विचलन (नों) या भिन्नता (ओं) का विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
- (2) उप-विनियम (1) में विनिर्दिष्ट विवरण, ऐसे समय तक जारी रहेगा/रहेंगे जब तक कि निर्गम से प्राप्त धनराशि का पूर्णतया उपयोग न हो अथवा जिस प्रयोजन के लिए यह आय जुटाई गई थी, वह हासिल न हो।
- (3) उप-विनियम (1) में विनिर्दिष्ट विवरण, लेखापरीक्षा समिति के समक्ष, समीक्षा के लिए रखा जाएगा एवं ऐसी समीक्षा के उपरांत, स्टॉक एक्सचेंज को प्रस्तुत किया जाएगा।
- (4) सूचीबद्ध कंपनी, वार्षिक रिपोर्ट में निदेशक रिपोर्ट में उप-विनियम (1) में विनिर्दिष्ट भिन्नता के लिए एक स्पष्टीकरण प्रस्तुत करेगी।

कॉर्पोरेट अभिशासन

146. सूचीबद्ध कंपनी, अपनी वार्षिक रिपोर्ट में अपने निगमन के अधिकार क्षेत्र के कानूनों द्वारा विनिर्दिष्ट रीति में अपनी कॉर्पोरेट अभिशासन प्रथाओं का वर्णन करेगी।

संधारणीयता रिपोर्ट

147. (1) सूचीबद्ध कंपनी, अपने वित्तीय वर्ष के लिए पर्यावरणीय, सामाजिक एवं अभिशासन संबंधी कारकों के संबंध में, वित्तीय वर्ष की समाप्ति के उपरांत 6 महीने के अपश्चात, स्टॉक एक्सचेंजों को संधारणीयता रिपोर्ट का विगोपन करेगी:
- परंतु यह कि यह खंड 50 मिलियन अमरीकी डालर से कम बाजार पूंजीकरण वाली कंपनियों पर लागू नहीं होगा।
- (2) उप-विनियम 1 में विनिर्दिष्ट संधारणीयता रिपोर्ट आधारित होगी:

(क) अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत रिपोर्टिंग ढांचा जैसे वैश्विक रिपोर्टिंग पहल, संधारणीयता लेखाकरण मानक बोर्ड, जलवायु संबंधी वित्तीय विगोपनों पर कार्य बल, एकीकृत रिपोर्टिंग अथवा कोई अन्य मानक जो मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज अथवा आईएफएससीए विनिर्दिष्ट करे; अथवा

(ख) कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित मानक।

कॉर्पोरेट कार्रवाइयां

148. सूचीबद्ध कंपनी, किसी प्रस्तावित कॉर्पोरेट कार्रवाई के बारे में स्टॉक एक्सचेंज को अग्रिम में सूचित करेगी।
149. सूचीबद्ध कंपनी, अभिलिखित तारीख का प्रयोजन विनिर्दिष्ट करते हुए कम से कम तीन कार्यदिवसों में स्टॉक एक्सचेंज (जों) को जहां भी लागू हो, अग्रिम में अभिलिखित तारीख की सूचना देगी।

शेयरधारकों की बैठक और मतदान

150. (1) सूचीबद्ध कंपनी, अपने शेयरधारकों को सभी शेयरधारकों के संकल्पों के संबंध में दूरस्थ ई-मतदान सुविधा की सुविधा उपलब्ध कराएगी।
- (2) सूचीबद्ध कंपनी, अपनी आम बैठक के समापन के अड़तालीस घंटे के भीतर, मतदान परिणामों के बारे में विवरण स्टॉक एक्सचेंज को प्रस्तुत करेगी।
- (3) सूचीबद्ध कंपनी, सभी दशाओं में प्रतिभूतिधारकों को यह उल्लेख करते हुए प्रॉक्सी फॉर्म भेजेगी कि धारक प्रत्येक संकल्प के लिए अथवा उसके विरुद्ध मतदान कर सकेगा।
- (4) सूचीबद्ध कंपनी, वार्षिक आम बैठकों की कार्यवाही का वन-वे लाइव वेबकास्ट उपलब्ध कराएगी।

वेबसाइट

151. सूचीबद्ध कंपनी, कारबार, निदेशक मंडल, मूल प्रबंधकीय कार्मिक, अनुपालन अधिकारी, वित्तीय विवरण, शिकायत निवारण के लिए ई-मेल पता और वार्षिक रिपोर्ट सहित कंपनी के बारे में बुनियादी जानकारी वाली कार्यात्मक वेबसाइट बनाए रखेगी।

स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा प्रसार

152. स्टॉक एक्सचेंज यह सुनिश्चित करेंगे कि सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा किए गए विगोपन उनकी वेबसाइटों पर अविलंब प्रसारित किए जाएं।

भाग ग: विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों की द्वितीयक सूची

153. मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों की द्वितीयक सूचीबद्धता वाला निर्गमकर्ता, निम्नलिखित अपेक्षाओं का अनुपालन करेगा:

- क) अपने गृह एक्सचेंज में विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों की सूचीबद्धता बनाए रखना एवं ऐसे एक्सचेंज और नियामक की सूचीबद्धता (अथवा अन्य) नियमों का पालन करना;
- ख) मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज(जों) को उसी समय पर अंग्रेजी में सभी विगोपन जारी करना जैसे ही वे गृह एक्सचेंज अथवा विनियामक को जारी हों जहां उसने प्राथमिक सूचीबद्धता की है; एवं
- ग) ऐसी अन्य अपेक्षाओं का अनुपालन जो आईएफएससीए अथवा मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे।

भाग घ – उन कंपनियों के लिए सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं विगोपन अपेक्षाएं जिनकी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों में निक्षेपागार रसीदें सूचीबद्ध हैं**वित्तीय विवरण**

154. सूचीबद्ध कंपनी, पूर्ण वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों का अविलंब, लेकिन 24 घंटों के अपश्चात, लेखाओं को अंतिम रूप देने के तुरंत बाद, लेकिन किसी भी दशा में, वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह मास के अपश्चात, स्टॉक एक्सचेंज (जों) को विगोपित करेगी।
155. सूचीबद्ध कंपनी, अपने वित्तीय वर्ष की हर पहली तीन तिमाहियों के लिए वित्तीय विवरणों का लेखाओं को अंतिम रूप देने के तुरंत बाद, लेकिन किसी भी दशा में तिमाही की समाप्ति के 45 दिनों के अपश्चात, स्टॉक एक्सचेंज (जों) को विगोपित करेगी।
156. सूचीबद्ध कंपनी, आईएफआरएस अथवा यूएस गाप अथवा भारतीय लेखांककरण मानक अथवा अपने निगमन के अधिकार क्षेत्र में यथा लागू लेखाकरण मानकों के अनुरूप, अपना लेखा विवरण तैयार करेगा।

सारवान अथवा कीमत संबंधी संवेदनशील घटनाओं का विगोपन

157. सूचीबद्ध कंपनी, मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज (जों) को अविलंब उन सभी घटनाओं का विगोपन करेगी जो सारवान हों अथवा कीमत की संवेदनशीलता वाले हों।

शेयरधारिता प्रतिमान

158. सूचीबद्ध कंपनी, प्रत्येक तिमाही की समाप्ति से इक्कीस दिनों के भीतर, आईएफएससीए अथवा स्टॉक एक्सचेंज (जों) द्वारा विनिर्दिष्ट प्रारूप में, कंपनी के मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज (जों) को तिमाही आधार पर शेयरधारिता प्रतिमान प्रस्तुत करेगी।

कार्पोरेट अभिशासन

159. सूचीबद्ध कंपनी, अपनी वार्षिक रिपोर्ट में अपने निगमन के अधिकार क्षेत्र के कानूनों द्वारा विनिर्दिष्ट रीति में अपनी कार्पोरेट अभिशासन प्रथाओं का वर्णन करेगी।

निक्षेपागार का परिवर्तन

160. (1) सूचीबद्ध कंपनी द्वारा निक्षेपागार में कोई परिवर्तन मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज(जों) के पूर्वानुमोदन से होगा।
 (2) सूचीबद्ध कंपनी, मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों को 24 घंटे के भीतर, निक्षेपागार में परिवर्तन का विगोपन करेगी।

कॉर्पोरेट कार्रवाइयां

161. सूचीबद्ध कंपनी निक्षेपागार रसीदों अथवा अंतर्निहित प्रतिभूतियों से संबंधित किसी प्रस्तावित कॉर्पोरेट कार्रवाई के बारे में मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों को अग्रिम में सूचित करेगी।
 162. सूचीबद्ध कंपनी, अभिलिखित तारीख का प्रयोजन विनिर्दिष्ट करते हुए कम से कम तीन कार्यदिवसों में स्टॉक एक्सचेंज (जों) को जहां भी लागू हो, अग्रिम में अभिलिखित तारीख की सूचना देगी।

अन्य अनुपालन

163. सूचीबद्ध कंपनी निम्नलिखित अपेक्षाओं का अनुपालन करेगी:

- क) अपने गृह एक्सचेंज में विनिर्दिष्ट अंतर्निहित प्रतिभूतियों की सूचीबद्धता बनाए रखना एवं ऐसे एक्सचेंज और नियामक की सूचीबद्धता (अथवा अन्य) नियमों का पालन करना;
 ख) स्टॉक एक्सचेंज(जों) को उसी समय पर अंग्रेजी में सभी विगोपन जारी करना जैसे ही वे गृह एक्सचेंज अथवा विनियामक को जारी हों जहां उसने प्राथमिक सूचीबद्धता की है; एवं
 ग) ऐसी अन्य अपेक्षाओं का अनुपालन जो प्राधिकरण अथवा मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे।।

मताधिकार

164. डीआर धारकों के मताधिकारों प्रयोग निक्षेपागार करार के अनुसार किया जाएगा।

स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा प्रसार

165. स्टॉक एक्सचेंज यह सुनिश्चित करेंगे कि सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा किए गए विगोपन उनकी वेबसाइटों पर अविलंब प्रसारित किए जाएं।

भाग ड. - ऋण प्रतिभूतियों के लिए सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं अप्रतिहत विगोपन अपेक्षाएं**सारवान अथवा कीमत संबंधी संवेदनशील घटनाओं का विगोपन**

166. (1) निर्गमकर्ता, मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज (जों) को अविलंब उन सभी घटनाओं का विगोपन करेगी जो सारवान हों अथवा कीमत की संवेदनशीलता वाले हों।
 (2) निर्गमकर्ता, निम्नलिखित घटनाओं का स्टॉक एक्सचेंज(जों) को अविलंब विगोपन करेगा:

- क) ऋण प्रतिभूतियों का कोई मोचन अथवा निरसन;
 ख) किसी ब्याज भुगतान (नों) जो किया जाना है, का विवरण (यदि ऋण प्रतिभूतियां तय दर पर हों);
 ग) जिसमें कोई बायबैक या पुट ऑप्शन का प्रयोग किया गया हो; एवं
 घ) मूलधन और/या ब्याज राशि के भुगतान में कोई विलंब।

वित्तीय विवरण

167. निर्गमकर्ता, लेखाओं को अंतिम रूप देने के तुरंत बाद, लेकिन किसी भी दशा में, वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह मास के अपश्चात, स्टॉक एक्सचेंज (जों) को पूर्ण वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों का अविलंब विगोपन करेगा।
 168. निर्गमकर्ता, आईएफआरएस अथवा यूएस गाप अथवा भारतीय लेखांककरण मानक अथवा अपने निगमन के अधिकार क्षेत्र में यथा लागू लेखाकरण मानकों के अनुरूप, अपना लेखा विवरण तैयार करेगा।

वार्षिक विवरण

169. निर्गमकर्ता, वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति को अंतिम रूप देने के तुरंत बाद, लेकिन वित्तीय वर्ष की समाप्ति छः मास के अपश्चात, मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज को प्रस्तुत करेगा।

क्रेडिट रेटिंग

170. निर्गमकर्ता, क्रेडिट रेटिंग में किसी संशोधन का स्टॉक एक्सचेंज को अविलंब विगोपन करेगा।

अभिलिखित तारीख

171. निर्गमकर्ता, ऋण प्रतिभूति धारकों के लिए समयबद्ध तरीके में सुसंगत अभिलिखित तारीख का विगोपन करेगा।

छूटप्राप्त निर्गमकर्ता

172. मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज निम्नलिखित छूटप्राप्त निर्गमकर्ताओं के लिए इस अध्याय से कुछ अपेक्षाओं में छूट दे सकेंगे:

- (क) एकाधिक राष्ट्रीय, बहुपक्षीय अथवा सांविधिक संस्थान/संगठन/एजेंसी; एवं
- (ख) वे संस्थाएं जिनकी प्रतिभूतियां संप्रभु द्वारा अपरिवर्तनीय रूप से गारंटीकृत हैं; एवं
- (ग) कोई अन्य संस्था जो प्राधिकरण समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे।

अध्याय XII: व्यापार करने की अनुमति (सूचीबद्धता के बिना)

173. स्टॉक एक्सचेंज भारत में या विदेशी अधिकार क्षेत्र में किसी एक्सचेंज में सूचीबद्ध प्रतिभूतियों के व्यापार की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दे सकेगा/सकेंगे:

- क) प्रतिभूतियों का ऐसा व्यापार, मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्धता के बिना, उन अधिकार क्षेत्रों के लागू कानूनों के अनुसार है जिनमें प्रतिभूतियां सूचीबद्ध हैं; एवं
- ख) स्टॉक एक्सचेंज व्यापारों का समाशोधन एवं निपटान सुनिश्चित करेगा/करेंगे।

174. ऐसी प्रतिभूतियों को, जिन्हें स्टॉक एक्सचेंज ने कंपनी द्वारा सूचीबद्ध किए बिना, व्यापार करने की अनुमति दी है, इन विनियमों के प्रयोजनार्थ, आईएफएससीए में स्टॉक एक्सचेंज (जों) में सूचीबद्ध के रूप में नहीं मानी जाएगी।

अध्याय XIII: प्रकीर्ण**सूचीबद्धता करार**

175. आईएफएससीए में स्टॉक एक्सचेंज (जों) में अपनी विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध करने की इच्छुक कंपनी, ऐसे स्टॉक एक्सचेंज (जों) के साथ, स्टॉक एक्सचेंज (जों) द्वारा उपलब्ध कराई गई रीति सूचीबद्धता करार का निष्पादन करेगी।

सूची में प्रवेश को नामंजूर करना

176. स्टॉक एक्सचेंज, अपने विवेक में, सूचीबद्ध प्रतिभूतियों में प्रवेश के लिए आवेदन को नामंजूर कर सकेगा यदि वह मानता है कि-

- क) प्रतिभूतियों की सूचीबद्धता, निवेशकों के हितों के लिए हानिकारक होगा; अथवा
- ख) निर्गमकर्ता आईएफएससीए अथवा मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज (जों) द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अपेक्षा का अनुपालन नहीं करता है अथवा नहीं करेगा।

निलंबन

177. स्टॉक एक्सचेंज प्रतिभूतियों के व्यापार को निलंबित कर सकेगा जहां उसे पता चलता है कि:

- क) निर्गमकर्ता, प्राधिकरण अथवा मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज (जों) द्वारा विनिर्दिष्ट विनियामक उपबंधों का अनुपालन नहीं कर रहा है; अथवा
- ख) निर्गमकर्ता को किसी अन्य एक्सचेंज ने अपनी प्रतिभूतियों के व्यापार करने के लिए निलंबित कर दिया गया है;
- ग) उसके बाजार के सुव्यवस्थित संचालन को सुनिश्चित करने के लिए निलंबन आवश्यक है।

178. स्टॉक एक्सचेंज उन प्रतिभूतियों के व्यापार को जिन्हें निलंबित कर दिया गया है, बहाल कर सकेगा यदि यह मानता है कि अब निलंबन की आवश्यकता नहीं है।

स्वैच्छिक असूचीबद्धता

179. स्टॉक एक्सचेंज, कंपनी से प्राप्त अनुरोध के आधार पर, उस रीति में जो मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज (जों) अथवा आईएफएससीए विनिर्दिष्ट करे, प्रतिभूतियों को असूचीबद्ध कर सकेगा/सकेंगे।

अनिवार्य असूचीबद्धता

180. स्टॉक एक्सचेंज, निर्गमकर्ता की प्रतिभूतियों को निम्नलिखित शर्तों पर अनिवार्य रूप से असूचीबद्ध कर सकेगा:

- क) प्रतिभूतियां छह महीने से अधिक की कालावधि के लिए निलंबित रही हों;
- ख) प्रतिभूतियों को किसी अन्य एक्सचेंज से अनिवार्य रूप से असूचीबद्ध दिया गया हो;

ग) यदि एक्सचेंज इस बात पर संतुष्ट है कि ऐसी विशेष परिस्थितियाँ हैं जिसमें प्रतिभूतियों को असूचीबद्ध करना आवश्यक है; अथवा

घ) इसे आईएफएससीए अथवा किसी अन्य सुसंगत प्राधिकरण अथवा लागू अधिकार क्षेत्र के किसी न्यायालय के आदेश द्वारा ऐसा करने का निदेश दिया गया हो।

जानकारी प्रस्तुत करना

181. निर्गमकर्ता, आईएफएससीए अथवा स्टॉक एक्सचेंज द्वारा प्रतिभूति बाजार के संबंध में मांगी गई कोई जानकारी उपलब्ध कराएगा।

विनियमों को कड़े प्रवर्तन को शिथिल करने की शक्ति

182. (1) आईएफएससीए, निवेशकों के हित में अथवा प्रतिभूति बाजार के विकास के लिए, इन विनियमों की किसी अपेक्षा के कड़े प्रवर्तन को शिथिल कर सकेगा।

(2) उप-विनियम (1) के अधीन रियायत की मांग करने के लिए, आईएफएससीए में, विवरण एवं आधार जिस पर ऐसी रियायत की मांग की गई है, दर्शाने वाला आवेदन, दाखिल किया जाएगा।

(3) उप-विनियम (2) के अधीन संदर्भित आवेदन ऐसी रीति में, जो आईएफएससीए विनिर्दिष्ट करे, अप्रतिदेय फीस से युक्त होंगे।

कठिनाई को दूर करने की शक्ति

183. इन विनियमों को लागू होने अथवा निर्वचन में किन्हीं कठिनायों को दूर करने के लिए, आईएफएससीए, लिखित में कारणों को अभिलिखित करने के उपरांत, मार्गदर्शन टिप्पणों अथवा परिपत्र के माध्यम से स्पष्टीकरण जारी कर सकेगा।

निरसन एवं व्यावृत्तियां

184. (1) इन विनियमों के प्रारंभ से ही, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र) दिशानिर्देश, 2015 के अधीन विनिर्दिष्ट, विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों एवं ऋण प्रतिभूतियों के निर्गमन और सूचीबद्ध करने से संबंधित उपबंध विखंडित हो जाएंगे।

(2) आईएफएससीए परिपत्र एफ. सं. 87/आईएफएससीए/डीआर/2020-21 दिनांक 28 अक्टूबर, 2020 इन विनियमों के आरंभ होने की तारीख से अधिक्रमित हो जाएगा।

(3) उपरोक्त (1) एवं (2) में कुछ भी होते हुए भी, इन विनियमों के आरंभ होने से पूर्व, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र) दिशानिर्देश, 2015 अथवा आईएफएससीए परिपत्र एफ. संख्या 87/आईएफएससीए/डीआरएस/2020-21 दिनांक 28 अक्टूबर, 2020 के अधीन, कुछ भी किया गया है अथवा कोई कार्रवाई की गई है अथवा किये जाने का दावा किया गया है, इन विनियमों के संगत उपबंधों के अधीन किया गया है अथवा की गई है अथवा आरंभ की गई है, माना जाएगा।

इंजेती श्रीनिवास, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./155/2021-22]

INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES CENTRES AUTHORITY

NOTIFICATION

Gandhinagar, the 16th July, 2021

International Financial Services Centres Authority (Issuance and Listing of Securities) Regulations, 2021

No. IFSCA/2021-22/GN/REG015.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 28 read with sub-section (1) of Section 12 and sub-section (1) of Section 13 of the International Financial Services Centres Authority Act, 2019; and Section 30 and Section 11A read with Section 28C of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992, the International Financial Services Centres Authority hereby makes the following regulations, namely:-

CHAPTER I: PRELIMINARY

Short title and commencement

1. (1) These regulations may be called the International Financial Services Centres Authority (Issuance and Listing of Securities) Regulations, 2021.

- (2) They shall come into force on the date of publication in the Official Gazette.

Definitions

2. In these regulations, unless the context otherwise requires, the terms defined herein shall bear the meanings assigned to them below, and their cognate expressions shall be construed accordingly, -

- (a) “Act” means the International Financial Services Centres Authority Act, 2019 (50 of 2019);
- (b) “business combination” means a merger or amalgamation or acquisition of shares or assets of one or more companies having business operations;
- (c) “convertible debt instrument” means an instrument which creates or acknowledges indebtedness and is convertible into equity shares of the issuer at a later date at or without the option of the holder of the instrument, whether constituting a charge on the assets of the issuer or not;
- (d) “convertible securities” means securities which are convertible into or exchangeable with equity shares of the issuer at a later date, with or without the option of the holder of such securities and includes convertible debt instruments and convertible preference shares;
- (e) “debt securities” means non-convertible debt securities which create or acknowledge indebtedness and includes debentures and bonds;
- (f) “designated stock exchange” means a recognised stock exchange chosen by the issuer on which securities of an issuer are listed or proposed to be listed for the purpose of a particular issue of securities under these regulations;
- (g) “DR” or “depository receipt” means a negotiable financial instrument representing underlying securities of a company listed in another jurisdiction;
- (h) "Foreign Jurisdiction" means a country, other than India, whose securities market regulator is a signatory to International Organization of Securities Commission's Multilateral Memorandum of Understanding (IOSCO's MMOU) (Appendix A signatories) or a signatory to bilateral Memorandum of Understanding with the IFSCA, and which is not identified in the public statement of Financial Action Task Force as:
 - i. a jurisdiction having a strategic Anti-Money Laundering or Combating the Financing of Terrorism deficiencies to which counter measures apply; or
 - ii. a jurisdiction that has not made sufficient progress in addressing the deficiencies or has not committed to an action plan developed with the Financial Action Task Force to address the deficiencies;
- (i) “follow-on public offer” or “FPO” means an offer of specified securities by a listed issuer to the public for subscription and includes an offer for sale of specified securities to the public by any existing holders of such specified securities in a listed issuer;
- (j) “green shoe option” means an option of allotting specified securities in excess of the specified shares offered in the public issue as a post-listing price stabilizing mechanism;
- (k) “IFSCA” or “Authority” means the International Financial Services Centres Authority established under sub-section (1) of section 4 of the Act;
- (l) “information memorandum” means listing particulars or offering memorandum or offering circular or any document that provides investors with certain information about the issuer and the securities in connection with an application for listing of securities;
- (m) “initial public offer” or “IPO” means an offer of specified securities by an unlisted issuer to the public for subscription and includes an offer for sale of specified securities to the public by any existing holders of such specified securities in an unlisted issuer;
- (n) "International Financial Services Centre" or “IFSC” shall have the same meaning as assigned to it under clause (g) of sub-section (1) of Section 3 of the Act;
- (o) “key managerial personnel” means the officers or personnel of the issuer who are members of its core management team (excluding board of directors) and includes members of the management one level below the executive directors of the issuer, functional heads and includes ‘key managerial personnel’ as defined under the Companies Act, 2013 or any other person whom the issuer may declare as a key managerial personnel;
- (p) “lead manager” means a merchant banker appointed by the issuer to manage the issue and in case of a book built issue, the lead manager(s) appointed by the issuer shall act as the book running lead manager(s) for the purposes of book building;

- (q) “Listed Company” means a company whose specified securities or depository receipts are listed on a recognised stock exchange(s) in IFSC;
 - (r) “recognised stock exchange” means a stock exchange in an IFSC recognised by the Authority;
 - (s) “Special Purpose Acquisition Company” or “SPAC” means a company which does not have any operating business and has been formed with the primary objective to affect a business combination;
 - (t) “specified securities” means equity shares and convertible securities; and
 - (u) “SR equity shares” means the equity shares of an issuer having superior voting rights compared to all other equity shares issued by that issuer.
3. Words and expressions used and not defined in these regulations but defined in the Act, the Companies Act, 2013, the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956, the Securities and Exchange Board of India Act, 1992, the Depositories Act 1996, or any rules or regulations made thereunder shall have the same meanings as respectively assigned to them in those Acts, rules or regulations made thereunder or any statutory modification or re-enactment thereto, as the case may be.

Applicability

4. These regulations shall apply to:
- (a) an initial public offer of specified securities by an unlisted issuer;
 - (b) a follow-on public offer of specified securities by a listed issuer;
 - (c) listing of specified securities by a start-up company or an SME company;
 - (d) secondary listing of specified securities;
 - (e) an initial public offer of specified securities by a Special Purpose Acquisition Company;
 - (f) rights issue and/or preferential issues by a listed issuer;
 - (g) listing of depository receipts;
 - (h) listing of debt securities;
 - (i) listing of ESG debt securities; and
 - (j) issuance and/or listing of any other securities as may be specified by the Authority from time to time.

CHAPTER II: GENERAL CONDITIONS

General Principles

5. The underlying principles for an issuer to list its securities in IFSC are:
- (a) There should be true, correct and adequate disclosure of material information in the offer document to enable the investors to take informed decision.
 - (b) There should be full, accurate and timely disclosure of financial results, risk and other non-financial information which is material to investors’ decisions;
 - (c) All holders of listed securities shall be treated in a fair and equitable manner;
 - (d) The issuers shall maintain standards of quality, operations, management experience and expertise, wherever applicable; and
 - (e) The directors of an issuer shall ensure to act in the interests of shareholders as well as other stakeholders.

General Eligibility Criteria

6. (1) The following entities shall be eligible to list its securities under these regulations on a recognised stock exchange:
- (a) A company incorporated in an IFSC;
 - (b) A company incorporated in India; and
 - (c) A company incorporated in a Foreign Jurisdiction
- (2) Notwithstanding sub-regulation (1) above, the following entities shall also be eligible in respect of listing of debt securities on a recognised stock exchange, -
- (a) any supranational, multilateral or statutory organisation/ institution/agency provided such organization/institution/agency is permitted to issue securities as per its constitution:

Provided that the entity is registered or headquartered in India, IFSC or a Foreign Jurisdiction;

- (b) any municipality or any statutory body or board or corporation, authority, trust or agency established or notified by any Central or State Act or any special purpose vehicle notified by the State Government or Central Government including for the purpose of raising fund by the issuer to develop infrastructure or SMART city; and
 - (c) An entity whose securities are irrevocably guaranteed by a Sovereign (India or a Foreign Jurisdiction).
7. An issuer shall be eligible to list its securities under these regulations in IFSC only if, -
- (a) the issuer is duly incorporated or established according to the relevant laws of its place of incorporation or establishment;
 - (b) the issuer is operating in conformity with its constitution; and
 - (c) the listing of securities in IFSC is in accordance with the applicable laws of the jurisdiction of incorporation.
8. An issuer shall not be eligible to list securities under these regulations if the issuer or any of its promoters, promoter group, controlling shareholders or directors or selling shareholders is -
- (a) debarred from accessing the capital market; or
 - (b) a wilful defaulter; or
 - (c) a fugitive economic offender.
9. The securities proposed to be listed on a recognised stock exchange should be freely transferable and held in dematerialised form.

CHAPTER III: PUBLIC OFFER OF SPECIFIED SECURITIES (IPO AND FPO)

PART A: INITIAL PUBLIC OFFER

Eligibility criteria

10. An issuer shall be eligible to make an initial public offer only if:
- (a) the issuer has an operating revenue of at least USD 20 million in the preceding financial year; or
 - (b) the issuer has an average pre-tax profit, based on consolidated audited accounts, of at least USD one million during the preceding three financial years; or
 - (c) any other eligibility criteria that may be specified by IFSCA.

Explanation: The financial year in this regulation shall mean financial year as followed by the issuer.

11. The issuer shall have commenced business at least three years prior to the date of filing of prospectus.
12. If an issuer has issued SR equity shares or dual class shares to any shareholder, the said issuer shall be allowed to do an initial public offer of ordinary shares for listing on the recognised stock exchange(s) subject to compliance with the following:
- a. The issue of SR equity shares had been authorized by a special resolution passed at a general meeting of the shareholders of the issuer;
 - b. The SR equity shares have been held for a period of atleast 6 months prior to the filing of the red herring prospectus;
 - c. The SR equity shares shall have voting rights in the ratio of a minimum of 2:1 upto a maximum of 10:1 compared to ordinary shares and such ratio shall be in whole numbers only;
 - d. The SR equity shares shall have the same face value as the ordinary shares; and
 - e. The SR equity shares shall be equivalent to ordinary equity shares in all respects, except for having superior voting rights.

Offer for Sale

13. In case of an offer for sale, the securities must have been held by the sellers for a period of at least one year prior to the date of filing of the draft offer document:

Provided that in case the equity shares received on conversion or exchange of fully paid-up compulsorily convertible securities including depository receipts are being offered for sale, the holding period of such convertible securities, including depository receipts, as well as that of resultant equity shares together shall be considered for the purpose of calculation of one year.

Explanation: If the equity shares arising out of the conversion or exchange of the fully paid-up compulsorily convertible securities are being offered for sale, the conversion or exchange should be completed prior to filing of the offer document, provided full disclosures of the terms of conversion or exchange are made in the draft offer document.

Provided further that the requirement of holding equity shares for a period of one year shall not apply:

- a) If the equity shares offered for sale were acquired pursuant to any scheme of merger or amalgamation in lieu of business and invested capital which had been in existence for a period of more than one year prior to approval of such scheme; or
- b) If the equity shares offered for sale were issued under a bonus issue on securities held for a period of at least one year prior to the filing of the draft offer document with IFSCA and further subject to the following:
 - i. such specified securities being issued out of free reserves and share premium existing in the books of account as at the end of the financial year preceding the financial year in which the draft offer document is filed with IFSCA; and
 - ii. such equity shares not being issued by utilisation of revaluation reserves or unrealized profits of the issuer.

Lead manager

14. The issuer shall appoint one or more merchant bankers as lead manager(s) to the issue and shall also appoint other intermediaries in consultation with the lead manager(s).

In-principle approval from recognised stock exchange(s)

15. (1) The issuer shall file an application with the recognised stock exchange(s) seeking in-principle approval:

Provided that where the application is made to more than one recognised stock exchange, the issuer shall choose one of them as the designated stock exchange.

(2) The stock exchange(s) shall grant an in-principle approval or reject the application for the in-principle approval within thirty days from the date of receipt of complete information from the issuer.

Filing of Offer Document

16. (1) The issuer, through the lead manager(s), shall file a draft offer document along with fee as may be specified by IFSCA.

(2) The lead manager(s) shall submit a due diligence certificate along with the draft offer document.

(3) The draft offer document shall be made public, for comments, if any, by hosting it on the websites of IFSCA, stock exchange(s) and lead manager(s) for a period of not less than fourteen days.

(4) The lead manager(s) shall file with IFSCA details of the material comments received by them or the issuer from the public on the draft offer document during that period and the consequential changes, if any, that are required to be made in the draft offer document.

17. IFSCA may issue observations, if any, on the draft offer document within thirty working days from the later of the following dates:

- a) The date of receipt of the draft offer document; or
- b) The date of receipt of satisfactory reply from the issuer and/or the lead manager where IFSCA has sought any clarification or additional information from them; or
- c) The date of receipt of clarification or information from any regulator or agency, where IFSCA has sought any clarification or information from such regulator or agency; or
- d) The date of receipt of a copy of in-principle approval letter issued by the stock exchange(s).

18. The issuer shall carry out changes specified by IFSCA, if any, in the offer document.

19. The issuer shall, through the lead manager(s), file the final offer document with the Authority and the stock exchange(s).

Offer Timing

20. The offer shall be made by the issuer within a period of not more than one year from the date of issuance of observations by IFSCA:

Provided that if the offer is not made within the specified time period, a fresh draft offer document shall be filed.

Initial disclosures in the Offer Document

21. (1) The offer document shall contain all material disclosures which are true, correct and adequate to enable the investors to take an informed investment decision.

(2) The lead manager(s) shall exercise due diligence and satisfy themselves about all aspects of the issue including materiality, veracity and adequacy of disclosures in the offer document.

22. The offer document shall contain disclosures relating to the public offer, including the following:

- a) Offer Document Summary
- b) Risk factors
- c) Introduction
- d) General information
- e) Capital Structure
- f) Particulars of the Issue
 - i. Objects of the Issue
 - ii. Requirement of Funds
 - iii. Funding Plan
 - iv. Business/Project Appraisal, if any
 - v. Schedule of Implementation
 - vi. Deployment of Funds
 - vii. Sources of financing of funds already deployed
 - viii. Deployment of balance funds
 - ix. Interim use of funds
 - x. Expenses of the Issue
 - xi. Basis of Issue Price including suitable peer group comparison
- g) Underwriting
- h) Tax Implications
- i) About the Issuer
 - i. Industry Overview
 - ii. Business overview
 - iii. Organisational structure
 - iv. Shareholders' Agreements and Other material Agreements
 - v. Management and KMPs
 - vi. Major shareholders
 - vii. Remuneration and benefits
 - viii. Dividend Policy
- j) Financial Statements
- k) Related Party Transactions
- l) Legal and Other Information
 - i. Outstanding litigations and material developments
 - ii. Pending Government/Regulatory approvals
- m) Information with respect to group companies
- n) Other regulatory and statutory disclosures
- o) Any other material disclosures

23. The audited financial information of the issuer in the offer document shall be for at least three financial years.

24. The issuer shall prepare their statement of accounts in accordance with IFRS or US GAAP or Ind AS or accounting standards as applicable in its jurisdiction of incorporation.
25. The amount for general corporate purposes, as mentioned in objects of the issue in the draft offer document and the offer document, shall not exceed twenty five percent of the amount being raised by the issuer.

Issue size

26. The issue size shall not be less than USD fifteen million or any other amount as may be specified by IFSCA.
27. (1) The issuer may make reservations on a competitive basis out of the issue size in favour of the following categories of persons and the same shall suitably be disclosed in the offer document:
- employees;
 - directors; and
 - shareholders (other than promoters and promoter group) of listed subsidiaries or listed promoter companies.
- (2) The reservations referred in sub-regulation (1) shall not exceed twenty per cent. of the issue size.

Pricing

28. The issuer shall determine the pricing in consultation with the lead manager(s). The issue may be through a fixed price mechanism or through book building mechanism and the same shall be suitably disclosed in the offer document.

Offer period

29. The initial public offer shall be kept open for at least three working days and not more than ten working days:
- Provided that in case the issuer has made a simultaneous offer in any other jurisdiction, the offer period may be for same period as applicable in the other jurisdiction.

Minimum subscription

30. For the offer to be successful, the following conditions shall be satisfied:
- The minimum subscription received in the issue shall be at least seventy-five percent of the issue size; and
 - The minimum number of subscribers shall be 200 or as may be specified by the Authority.

Underwriting

31. A public issue of specified securities may be underwritten by an underwriter and in such a case, adequate disclosures regarding underwriting arrangements shall be disclosed in the offer document.

Allotment

32. The allotment to investors shall be on proportionate basis or discretionary basis and shall be disclosed in the offer document:
- Provided that no single investor shall be allotted more than 10% of the post issue capital.
33. The issuer and lead manager(s) shall ensure that the specified securities are allotted and the payments and refunds are completed within 5 working days from the date of closing of the issue.

Listing

34. The specified securities shall list on the stock exchange(s) within the period, as specified by the stock exchange(s):
- Provided that in case the issuer has made a simultaneous offer in any other jurisdiction, the specified securities shall be listed on the same date.

Post-issue report

35. The lead manager(s) shall file a post-issue report with the recognised stock exchange(s) giving details relating to number, value and percentage of all applications received, allotments made, basis of allotment, subscription, details of credit of specified securities, details relating to payments and refunds, date of filing of listing application, etc. within ten working days from the date of closing the issue.

Price stabilisation through green shoe option

36. (1) An issuer may provide a green shoe option for stabilising the post listing price of its specified securities, subject to the following conditions:

- (a) the draft offer document and offer document shall contain all material disclosures about the green shoe option;
 - (b) the issuer has appointed a merchant banker as a stabilising agent, who shall be responsible for the price stabilisation process;
 - (c) the maximum number of specified securities that may be borrowed for the purpose of allotment or allocation of specified securities in excess of the issue size shall not exceed 15% of the issue size.
- (2) The stabilisation process shall be available for a period not exceeding thirty days from the date on which trading permission is given by the stock exchanges in respect of the specified securities allotted in the public issue.
- (3) The stabilising agent shall open a special account, distinct from the issue account, with a bank for crediting the monies received from the applicants against the over-allotment and a special account with a depository participant for crediting specified securities to be bought from the market during the stabilisation period out of the monies credited in the special bank account
- (4) The specified securities bought from the market shall be returned to the pre-issue shareholders quickly, in any case not later than two working days after the end of the stabilization period.
- (5) On expiry of the stabilisation period, if the stabilising agent has not been able to buy specified securities from the market to the extent of such securities over-allotted, the issuer shall allot specified securities at issue price to the extent of the shortfall within five working days of the closure of the stabilisation period and such specified securities shall be returned to the pre-issue shareholders by the stabilising agent in lieu of the specified securities borrowed from them and the account with the depository participant shall be closed thereafter.
- (6) The issuer shall make a listing application in respect of the further specified securities allotted under sub-regulation (5), to all the stock exchanges where the specified securities allotted in the public issue are listed.
- (7) Any monies left in the special bank account after remittance of monies to the issuer and deduction of expenses incurred by the stabilising agent for the stabilisation process shall be transferred to IFSCA and the special bank account shall be closed soon thereafter.

Lock-up

- 37.** (1) The pre-issue shareholding of all shareholders of the issuer shall be locked-up for a period of 180 days from the date of allotment in the initial public offer:

Provided that the lock-up provisions shall not apply with respect to the specified securities lent to stabilising agent for the purpose of green shoe option, during the period starting from the date of lending of such specified securities and ending on the date on which they are returned to the lender.

- (2) The shareholding of the SR Equity Shares shall be locked-up after the initial public offering, until the later of:
- a) their conversion to ordinary shares; and
 - b) 2 years from the date of allotment in the initial public offer.
- (3) The specified securities held by the promoters and locked-up may be pledged as a collateral security for a loan granted by a scheduled commercial bank or a public financial institution or a systemically important non-banking finance company or a housing finance company for the purpose of financing one or more of the objects of the issue.

Other responsibilities of lead manager

- 38.** (1) The lead manager(s) shall prepare a schedule, listing the activity-wise allocation of responsibilities relating to the issue, the name of the lead manager responsible for each set of activities or sub-activities, and disclose the same in the offer documents.
- (2) A lead manager shall be designated for ensuring compliance with these regulations and coordinating with IFSCA.
- (3) The designated lead manager shall be responsible for ensuring that all intermediaries fulfil their obligations and functions as specified in their agreements with the issuer.
- (4) The responsibilities of the lead manager(s) shall continue until completion of the issue process and for any issue related matter thereafter.
- (5) The lead manager(s) shall continue to be responsible for post-issue activities till the applicants have received the securities certificates, credit to their demat account or refund of application monies and the listing agreement is entered into by the issuer with the stock exchange and listing or trading permission is obtained.

Prohibition on payment of incentives

39. Any person connected with the issue shall not offer any incentive, whether direct or indirect, in any manner, whether in cash or kind or services or otherwise to any person for making an application in the public offer, except for fees or commission for services rendered in relation to the issue.

PART B: FOLLOW-ON PUBLIC OFFER**Applicability**

40. An issuer listed on a recognised stock exchange may make a follow-on public offer of specified securities in the manner provided in these regulations.

Offer for sale

41. In case of an offer for sale, the securities must have been held by the sellers for a period of at least one year prior to the date of filing of the draft offer document:

Provided that in case the equity shares received on conversion or exchange of fully paid-up compulsorily convertible securities including depository receipts are being offered for sale, the holding period of such convertible securities, including depository receipts, as well as that of resultant equity shares together shall be considered for the purpose of calculation of one year.

Explanation: If the equity shares arising out of the conversion or exchange of the fully paid-up compulsorily convertible securities are being offered for sale, the conversion or exchange should be completed prior to filing of the offer document, provided full disclosures of the terms of conversion or exchange are made in the draft offer document.

Provided further that the requirement of holding equity shares for a period of one year shall not apply:

- a) If the equity shares offered for sale were acquired pursuant to any scheme of merger or amalgamation in lieu of business and invested capital which had been in existence for a period of more than one year prior to approval of such scheme; or
- b) If the equity shares offered for sale were issued under a bonus issue on securities held for a period of at least one year prior to the filing of the draft offer document with IFSCA and further subject to the following:
 - (i) such specified securities being issued out of free reserves and share premium existing in the books of account as at the end of the financial year preceding the financial year in which the draft offer document is filed with IFSCA; and
 - (ii) such equity shares not being issued by utilisation of revaluation reserves or unrealized profits of the issuer.

Lead manager

42. The issuer shall appoint one or more merchant bankers as lead manager(s) to the issue and shall also appoint other intermediaries in consultation with the lead manager(s).

In-principle approval from recognised stock exchange(s)

43. (1) The issuer shall file an application with the recognised stock exchange(s) seeking in-principle approval:

Provided that where the application is made to more than one recognised stock exchange, the issuer shall choose one of them as the designated stock exchange.

(2) The stock exchange(s) shall grant an in-principle approval or reject the application for the in-principle approval within thirty days from the date of receipt of complete information from the issuer.

Fast track follow-on public offer

44. (1) An issuer may make follow-on public offer through the fast track route, if the issuer satisfies the following conditions:

- (a) equity shares of the issuer have been listed on a recognised stock exchange for a period of at least 18 months;
- (b) issuer has complied with all the regulatory requirements specified by IFSCA and the recognised stock exchange(s) in the preceding three years;
- (c) no show-cause notice has been issued by IFSCA and pending against the issuer or its promoters or controlling shareholders or whole-time directors;

- (d) there is no adverse opinion, disclaimer of opinion, qualified opinion by the auditors on the financial statements of the issuer, or any of the issuer's subsidiaries or associated companies (having a material impact on the issuer's consolidated accounts), in the preceding three years;
- (e) there has not been any disclosure relating to irregularities in the issuer, having a material impact on the issuer, by any director, key managerial personnel or compliance officer:

Explanation: If the issuer is listed for a period of less than three years, the period would be considered from the date of listing for the purpose of clauses (b) and (d) above.

- (2) The issuer shall file the offer document with the IFSCA along with fee as may be specified by IFSCA.
- (3) The lead manager(s) shall submit a due diligence certificate along with the offer document.
- (4) The issuer shall simultaneously file the offer document with the recognised stock exchange(s).

Follow-on public offer without fast track

- 45.** The issuer not meeting the conditions for fast track follow-on public offer, may make follow-on public offer by filing of offer document in the same manner as provided for Initial Public Offers under Part A of this Chapter.

Initial Disclosures

- 46.** (1) The offer document shall contain all material disclosures which are true, correct and adequate to enable the investors to take an informed investment decision.

(2) The lead manager(s) shall exercise due diligence and satisfy themselves about all aspects of the issue including the veracity and adequacy of disclosures in the offer document.

- 47.** The offer document shall contain disclosures relating to the public offer, including the following:

- a) Offer Document Summary
- b) Risk factors
- c) Introduction
- d) General information
- e) Capital Structure
- f) Particulars of the Issue
 - i. Objects of the Issue
 - ii. Requirement of Funds
 - iii. Funding Plan
 - iv. Business/Project Appraisal, if any
 - v. Schedule of Implementation
 - vi. Deployment of Funds
 - vii. Sources of financing of funds already deployed
 - viii. Deployment of balance funds
 - ix. Interim use of funds
 - x. Expenses of the Issue
 - xi. Basis of Issue Price including suitable peer group comparison
- g) Underwriting
- h) Tax implications
- i) Financial Statements
- j) Legal and Other Information
 - i. Outstanding litigations and material developments
 - ii. Pending Government/Regulatory approvals
- k) Information with respect to group companies
- l) Other regulatory and statutory disclosures
- m) Any other material disclosures

Explanation: The issuer may submit the disclosures in offer document by providing references to a recent prospectus or other disclosures made on a recognised exchange.

48. The amount for general corporate purposes, as mentioned in objects of the issue in the draft offer document and the offer document, shall not exceed twenty-five percent of the amount being raised by the issuer.

Issue Process

49. The provisions relating to offer timing, issue size, pricing, offer period, minimum subscription, underwriting, allotment, listing, post-issue report, other responsibilities of lead manager and prohibition on payment of incentives provided for Initial Public Offers under Part A of this Chapter shall *mutatis mutandis* apply to follow-on public offer by a listed issuer.

CHAPTER IV: LISTING OF START-UP AND SME COMPANIES

Eligibility Criteria

50. A start-up company shall be eligible to list its specified securities on a recognised stock exchange, with or without making a public offer, if it meets the following criteria:

- (a) The offer document of the company should be filed within a period of ten years from the date of incorporation/ registration;
- (b) The annual turnover of the company for any of the financial years since incorporation/ registration should not have exceeded USD twenty million; and
- (c) The company is working towards innovation, development or improvement of products or processes or services, or it is a scalable business model with a high potential of employment generation or wealth creation.

51. A small and medium enterprise company shall be eligible to list its specified securities on a recognised stock exchange, with or without making a public offer, if the annual turnover of the company for any of the financial years since incorporation/ registration should not have exceeded USD fifty million.

52. The provisions of this Chapter shall apply to eligible start-up and SME companies fulfilling the above criteria.

53. The provisions relating to SR equity shares provided in Chapter III shall *mutatis mutandis* apply for listing of start-up companies and SME companies under this chapter.

In-principle approval from recognised stock exchange(s)

54. (1) The company shall file an application with the recognised stock exchange(s) seeking in-principle approval:

Provided that where the application is made to more than one recognised stock exchange, the issuer shall choose one of them as the designated stock exchange.

(2) The stock exchange(s) shall grant an in-principle approval or reject the application for the in-principle approval within thirty days from the date of receipt of complete information from the issuer.

PART A: Listing without public offer

55. (1) The company shall file the information document along with fee as may be specified by IFSCA.
 (2) The lead manager(s) shall submit a due diligence certificate along with the information document.
 (3) The issuer shall simultaneously file the information document with the recognised stock exchange(s).

Initial Disclosures

56. The information document shall contain all material disclosures which are true, correct and adequate to enable the investors to take an informed investment decision.

57. The information document shall contain disclosures relating to the issuer, including the following:

- a) Summary
- b) Risk factors
- c) Introduction
- d) General information
- e) About the Company
 - i. Industry Overview
 - ii. Business overview
 - iii. Organisational structure

- iv. Shareholders' Agreements and Other Agreements
 - v. Management
 - vi. Major shareholders
 - vii. Remuneration and benefits
 - viii. Dividend Policy
- f) Capital Structure
 - g) Financial Statements
 - h) Related Party Transactions
 - i) Legal and Other Information
 - i. Outstanding litigations and material developments
 - ii. Pending Government/Regulatory approvals
 - j) Information with respect to group companies
 - k) Other regulatory and statutory disclosures
 - l) Any other material disclosures

58. The information document shall be approved by the board of directors of the company and shall be signed by all the directors, the Chief Executive Officer/ Managing Director and the Chief Financial Officer of the company.

59. The company shall list its specified securities on the recognised stock exchange(s) within thirty days of the approval from the stock exchange(s).

PART B: Listing with public offer

60. The provisions relating to offer for sale, filing of offer document, offer timing, initial disclosures in the offer document, pricing, offer period, underwriting, allotment, listing, post-issue report, other responsibilities of lead manager and prohibition on payment of incentives provided for Initial Public Offers under Part A of Chapter III shall *mutatis mutandis* apply to initial public offer by a start-up or SME company under this Chapter.

Issue size

61. The issue shall be of size USD two million or more but less than USD fifteen million, or any other amount as may be specified by IFSCA.

62. (1) The issuer may make reservations on a competitive basis out of the issue size in favour of the following categories of persons and the same shall be suitably disclosed in the offer document:

- a) employees;
- b) directors; and
- c) shareholders (other than promoters and promoter group) of listed subsidiaries or listed promoter companies.

(2) The reservations referred in sub-regulation (1) shall not exceed twenty per cent. of the issue size.

Minimum subscription

63. For the offer to be successful, the following conditions shall be satisfied:

- a. The minimum subscription received in the issue shall be at least seventy-five percent of the offer size; and
- b. The minimum number of subscribers shall be 50 or as may be satisfied by the Authority.

CHAPTER V: SECONDARY LISTING OF SPECIFIED SECURITIES

Listing without public offer

64. Any company which is having its specified securities listed in India (outside IFSC) or in a Foreign Jurisdiction may list its specified securities on a recognised stock exchange(s), without public offer, subject to the following conditions:

- a) The company shall file listing application, in the manner specified by the stock exchange(s); and
- b) The company shall comply with the listing requirements of the stock exchange(s) and other conditions as may be specified by IFSCA.

Listing with public offer

65. Any company which is having its specified securities listed in India (outside IFSC) or in a Foreign Jurisdiction may list its specified securities on a recognised stock exchange(s) by undertaking public offer.
66. The provisions relating to appointment of lead manager, in-principle approval from recognised stock exchanges, filing of offer document, offer timing, initial disclosures in offer document, pricing, offer period, issue size, minimum subscription, underwriting, allotment, listing, post-issue report, other responsibilities of lead manager and prohibition on payment of incentives provided for Initial Public Offers under Part A of Chapter III shall *mutatis mutandis* apply to secondary listing with public offer by such issuer:

Explanation: For the purpose initial disclosures in offer document, the issuer may submit the disclosures in offer document by providing references to a recent prospectus or other disclosures made on the home exchange or regulatory body.

CHAPTER VI: LISTING OF SPECIAL PURPOSE ACQUISITION COMPANIES**Eligibility**

67. A Special Purpose Acquisition Company issuer shall be eligible to raise capital through initial public offer of specified securities on the recognised stock exchange(s), only if:
- the target business combination has not been identified prior to the IPO; and
 - The SPAC has the provisions for redemption and liquidation in line with these Regulations.
68. (1) A sponsor of the SPAC issuer shall have a good track record in SPAC transactions or business combinations or fund management or merchant banking activities, and the same shall be disclosed in the offer document.
- (2) For the purpose of these regulations, sponsor shall mean a person sponsoring the formation of the SPAC and shall include persons holding any specified securities of the SPAC prior to the IPO.
69. An issuer shall not be eligible to list securities under these regulations if the issuer or any of its sponsors is -
- debarred from accessing the capital market; or
 - a wilful defaulter; or
 - a fugitive economic offender.

IPO Process

70. The provisions relating to appointment of lead manager, in-principle approval from recognised stock exchange(s) and filing of offer document provided for Initial Public Offers under Part A of Chapter III shall *mutatis mutandis* apply to initial public offer by a SPAC issuer.
71. IFSCA may consider the proposed listing of a SPAC issuer on a recognised stock exchange on a case-by-case basis.

Offer Timing

72. The offer shall be made by the issuer within a period of not more than one year from the date of issuance of observations by IFSCA:
- Provided that if the offer is not made within the specified time period, a fresh draft offer document shall be filed.

Initial disclosures in the Offer Document

73. (1) The offer document shall contain all material disclosures which are true, correct and adequate to enable the investors to take an informed investment decision.
- (2) The lead manager(s) shall exercise due diligence and satisfy themselves about all aspects of the issue including the veracity and adequacy of disclosures in the offer document.
74. The offer document shall contain disclosures relating to the public offer, including the following:
- Offer Document Summary
 - Risk factors
 - Introduction
 - General information
 - Capital Structure
 - Redemption Rights
 - Liquidation

- h) Particulars of the Issue
 - i. Objects of the Issue
 - ii. Use of proceeds
 - iii. Interim use of funds
 - iv. Expenses of the Issue
- i) Underwriting
- j) Tax implications
- k) About the Issuer
 - i. Organisational structure
 - ii. Details of sponsors and their track record
 - iii. The SPAC's target business sector or geographic area for its business combination, if applicable;
Explanation: However, the target business combination shall not be identified prior to the IPO and a declaration in this regard shall be disclosed.
 - iv. Time period for completion of the business combination
 - v. The valuation method(s) intended to be used in valuing the business combination, if known
 - vi. Management
 - vii. Remuneration and benefits
- l) Financial Statements
- m) Related Party Transactions
- n) Legal and Other Information
 - i. Outstanding litigations and material developments
 - ii. Government approvals
- o) Information with respect to group companies
- p) Other regulatory and statutory disclosures
- q) Any other material disclosures.

Issue size

75. (1) The issue shall be of size not less than USD fifty million or any other amount as may be specified by IFSCA from time to time.

(2) The sponsors shall hold at least 15% and not more than 20% of the post issue paid up capital:

Provided that the sponsors shall also have aggregate subscription (all securities) in terms of amount in the SPAC company prior to or simultaneous to the IPO, amounting to at least 2.5% of the issue size or USD 10 million, whichever is lower, or any other amount as may be specified by the Authority.

Pricing

76. (1) The issue shall be through a fixed price mechanism and the issuer shall determine the price in consultation with the lead manager(s).

(2) The price of the equity shares in the initial public offer shall not be less than USD 5 per share.

Offer period

77. The initial public offer shall be kept open for at least three working days and not more than ten working days.

Underwriting

78. (1) A public issue of specified securities may be underwritten by an underwriter and in such a case adequate disclosure regarding underwriting arrangements shall be disclosed in the offer document.

(2) At least 50% of the underwriting commission shall be deferred until successful completion of the business combination, and shall be deposited in the escrow account.

(3) In case of liquidation, the underwriter shall waive their rights on the deferred commission deposited in the escrow account.

Application and Allotment

79. (1) The minimum application size in an initial public offer of SPAC shall be USD 100,000.

(2) For the offer to be successful, the following conditions shall be satisfied:

- a) The minimum subscription received in the issue shall be at least seventy-five percent of the issue size; and
- b) The minimum number of subscribers shall be 50 or as may be specified by the Authority.

(3) No single application shall be allotted more than 10% of the post issue capital and the allotment to investors shall be on proportionate basis or discretionary basis, as disclosed in the offer document.

80. The issuer and lead manager(s) shall ensure that the specified securities are allotted and the payments and refunds are completed within 5 working days from the date of closing of the issue.

Other provisions

81. The provisions relating to listing, post-issue report, other responsibilities of lead manager and prohibition on payment of incentives provided for Initial Public Offers under Part A of Chapter III shall *mutatis mutandis* apply to initial public offer by a SPAC issuer.

SPAC specific obligations

82. (1) The SPAC issuer shall ensure that the entire proceeds of the IPO are kept in an interest-bearing escrow account controlled by an independent custodian until consummation of the SPAC's business combination.

(2) The escrow funds shall be invested only in instruments disclosed in the offer document and shall include only short-term investment grade liquid instruments.

(3) The interest and other income derived from the amount placed in the escrow account may be withdrawn by the SPAC issuer for the following purposes:

- (a) Payment of taxes; and
- (b) General working capital expenses, subject to prior approval by way of special resolution of the shareholders other than sponsors.

83. The SPAC shall file a detailed prospectus with the recognised stock exchange(s) containing all relevant disclosures regarding the proposed business combination, while seeking shareholders' approval, including the following disclosures:

- (a) Information about the target company(ies) shall include overview of industry and business, organisational structure, board of directors, management and key managerial personnel (KMPs), major shareholders, material shareholders' agreements, audited financial statements for at least previous 3 financial years, outstanding material litigations against the company and its directors and KMPs, potential conflicts of interest and other material information;
- (b) Information about the business combination transaction including valuation of the entities and the methodologies used for valuation;
- (c) Information about the process involved in the business combination and the various regulatory and statutory approvals required for completion of the transaction;
- (d) Information about the resulting issuer company that would be formed after completion of the business combination; and
- (e) Any other information as may be specified by the recognised stock exchange(s) or IFSCA from time to time.

84. (1) The SPAC shall seek prior approval by way of majority of shareholders other than sponsors, for the proposed business combination.

(2) If a shareholder (other than sponsors) has voted against the proposed business combination, he shall have the redemption right for converting his securities into a *pro rata* portion of the aggregate amount held in the escrow account (net of taxes payable).

Explanation: A shareholder who has not voted may not be afforded redemption right by the SPAC issuer.

(3) In the event of change in control of the SPAC, the SPAC issuer shall provide the redemption option to the shareholders (other than sponsors) for converting their securities into a *pro rata* portion of the aggregate amount held in the escrow account (net of taxes payable).

85. The SPAC issuer shall complete the business combination within the timeline disclosed in the offer document, not exceeding 36 months from the date of listing on the recognised stock exchange(s).
86. (1) If the business combination is not completed within the permitted time frame, the escrow account shall be liquidated in terms of these regulations and disclosures in the offer document.
(2) In the event of liquidation and delisting, the sponsors shall not participate in the liquidation distribution.
87. A sponsor shall not transfer or sell any of his specified securities prior to the completion of a business combination.
88. The SPAC issuer shall ensure that the businesses acquisition shall have an aggregate fair market value equal to at least 80% of the aggregate amount deposited in the escrow account, excluding deferred underwriting commissions held in escrow and any taxes payable on the income earned on the escrowed funds.
89. The SPAC and the sponsors shall ensure that there is no related party transaction or connection of sponsor or any of their associates with the business combination.
90. Where warrants have been issued in the IPO, the SPAC shall comply with the following:
- Each unit may consist of one share and no more than one share purchase warrants;
 - The exercise price of the warrants shall not be lower than the price of the equity shares offered in the IPO;
 - The warrants may be detached with the equity shares and traded separately on the recognised stock exchanges provided that details have been appropriately disclosed in the offer document;
 - The warrants shall not be exercisable prior to the completion of the business combination;
 - In case of liquidation of SPAC, the warrants shall expire; and
 - The warrants shall not have any entitlement to the funds lying in the escrow account upon liquidation or redemption.
91. IFSCA may, from time to time, prescribe additional norms regarding listing of SPACs on the recognised stock exchange(s).

Continuous disclosure requirements

92. The continuous disclosure requirements applicable for Listed Companies provided under Chapter XI of these regulations shall *mutatis mutandis* apply to a SPAC issuer.

Post business combination

93. (1) The resulting issuer shall immediately disclose details regarding the completed transaction to the recognised stock exchange(s).

Explanation: For the purpose of this chapter, the resulting issuer means the issuer resulting from the completion of the business combination by the SPAC.

(2) The resulting issuer shall be required to meet the listing eligibility criteria set out in these regulations within 180 days, in order to continue listing on the recognised stock exchange(s).

(3) The resulting issuer shall comply with the listing obligations and continuous disclosure requirements specified under Chapter XI of these regulations.

(4) The shareholding of the sponsors of the SPAC in the resulting issuer shall be locked up for a period of one year from the date of closing of the business combination.

(5) The shareholding of the promoters, promoter groups, controlling shareholders, directors and key managerial personnel of the resulting issuer shall be locked up for a period of one year from the date of closing of the business combination.

CHAPTER VII: RIGHTS ISSUES AND PREFERENTIAL ISSUES

94. A company listed on a recognised stock exchange may issue rights issues or preferential issues of specified securities, subject to compliance with the requirements that may be specified by the recognised stock exchange(s) and the Authority from time to time.

CHAPTER VIII: LISTING OF DEPOSITORY RECEIPTS**PART A: Eligibility Requirements****Eligibility**

95. A company incorporated in India (outside IFSC) or a Foreign Jurisdiction shall be eligible to make an issue of depository receipts only if –
- a) the issuer is authorised to issue depository receipts; and
 - b) the issuance of depository receipts by the issuer is in accordance with the applicable laws of its home jurisdiction.
96. The depository receipts shall be eligible to list only if the underlying securities which the depository receipts represent are:
- (a) freely transferable, in dematerialised form and rank pari passu with the existing securities of the same class;
 - (b) fully paid and free from all liens; and
 - (c) listed or will be listed in the home jurisdiction of the issuer before listing of depository receipts on stock exchange(s).
97. All the depository receipts shall be freely negotiable.
98. The issuer shall ensure that it has entered into an agreement with a depository for dematerialisation of the DRs proposed to be issued.

PART B: Initial Public Offer of Depository Receipts**Offer size**

99. The issue of depository receipts shall be of size not less than USD 700,000 (or equivalent in foreign currency), or any other amount as may be specified by the Authority from time to time.

Filing of Offer Document

100. The filing of offer document shall be in the manner as provided for filing of offer document for initial public offer under Chapter III of these Regulations.

Initial disclosures in the Offer Document

101. (1) The offer document shall contain all material disclosures which are true, correct and adequate to enable the investors to take an informed investment decision.
- (2) The lead manager(s) shall exercise due diligence and satisfy themselves about all aspects of the issue including the veracity and adequacy of disclosures in the offer document.
102. The offer document shall contain disclosures relating to the public offer, including the following:

(a) Issuer Disclosure

- i. General information
- ii. Statutory auditor
- iii. Risk factors
- iv. Information about the issuer
- v. Business overview
- vi. Organisational structure
- vii. Management
- viii. Remuneration and benefits
- ix. Capital structure
- x. Major shareholders
- xi. Related party transactions
- xii. Financial information
- xiii. Material contracts
- xiv. Material outstanding litigations and defaults

- xv. Approvals of the government/regulatory authorities, if applicable
- xvi. Foreign investment and exchange controls of the jurisdiction of incorporation/ where the underlying securities are listed.

(b) Securities Disclosures

- i. Information about the underlying securities
- ii. Information about the DRs
- iii. Rights of the DR holders including dividend rights, voting rights etc.
- iv. Information relating to the depository

(c) Issue related Disclosures

- i. Objects of the issue
- ii. Interim use of proceeds
- iii. Pricing
- iv. Plan of distribution and allotment
- v. Placing and Underwriting
- vi. Taxation

Explanation: Since the underlying securities of the issuer are listed on its home exchange, the issuer may incorporate the information required in this clause by providing references to a recent prospectus or other disclosures made on the home exchange or regulatory body.

103. The audited financial information of the issuer in the offer document shall be for at least three financial years:

Provided that the financial information may be provided for a lesser period if the issuer has not completed 3 years since incorporation:

Provided further that the latest financial statements provided in the offer document shall not be more than 12 months old.

104. The issuer shall prepare their statement of accounts in accordance with IFRS or US GAAP or Ind AS or accounting standards as applicable in its home jurisdiction.

Pricing

105. The issuer may determine the price of the DRs in consultation with the lead manager(s) or through the book building process.

Offer period

106. The initial public offer of DRs shall be kept open for at least three working days and not more than ten working days.

Minimum subscription

107. The listing of DRs shall be permitted only if the subscription in the offer is not less than USD 700,000 (or equivalent in foreign currency) or any other amount as may be specified by IFSCA from time to time.

Allotment

108. The issuer and lead manager(s) shall ensure that the DRs are allotted and the payments and refunds are completed within 5 working days from the date of closing of the issue.

Listing

109. The DRs shall list on the stock exchange(s) within the period, as specified by the stock exchange(s).

PART C: Listing and Trading (without public offer)

110. Any company which is having its depository receipts listed in India (outside IFSC) or in a Foreign Jurisdiction may list its depository receipts on a recognised stock exchange, subject to the following conditions:

- a) The company shall file listing application, in the manner specified by the stock exchange(s); and
- b) The company shall comply with the listing requirements of the stock exchange(s).

CHAPTER IX: LISTING OF DEBT SECURITIES

Eligible Debt Securities

111. The following categories of debt securities are eligible for listing on a recognised stock exchange:

- a) Debt securities issued by an issuer incorporated in IFSC;
- b) Debt securities issued by an issuer incorporated in India or a Foreign Jurisdiction in any currency other than INR;
- c) Debt securities issued by a supranational, multilateral or statutory organisation/ institution /agency;
- d) Debt securities issued by any municipality or any statutory body or board or corporation, authority, trust or agency established or notified by any Central or State Act or any special purpose vehicle notified by the State Government or Central Government including for the purpose of raising fund by the issuer to develop infrastructure or SMART city;
- e) Debt securities irrevocably guaranteed by a Sovereign (India or a Foreign Jurisdiction);
- f) Masala bonds;
- g) Any other debt securities as may be permitted by IFSCA from time to time.

Explanation: The debt securities include standalone issuances or series of issuances such as Medium Term Note programmes.

Mandatory listing for issuers based in IFSC

112. An issuer incorporated in IFSC and desirous of issuing debt securities shall mandatorily apply for listing of its debt securities on a recognised stock exchange.

Filing of Documents

113. (1) The issuer desirous of listing its debt securities on a recognised stock exchange shall file the listing application along with a copy of the prospectus, shelf prospectus or information memorandum, as applicable, with the recognised stock exchange(s), in line with the requirements specified by the recognised stock exchange(s):

(2) The issuer shall file the listing application with the recognised stock exchange(s) along with regulatory fee as may be specified by the Authority.

Explanation: The regulatory fee collected by the recognised stock exchange(s) shall be remitted to IFSCA on a quarterly basis.

Initial Disclosures

114. (1) The prospectus, shelf prospectus, or information memorandum, as applicable, shall contain all material disclosures which are true, correct and adequate to enable the investors to take an informed investment decision.

(2) The issuer shall ensure that the following disclosures are made in the prospectus or information memorandum:

- a. Issuer Disclosures
 - i. General information
 - ii. Risk Factors
 - iii. Information about the issuer
 - iv. Business overview
 - v. Organisational structure
 - vi. Management
 - vii. Major / controlling shareholders
 - viii. Audited Financial Statements
 - ix. Statutory auditor
 - x. Material outstanding litigations and defaults
- b. Securities Disclosures
 - i. Details of debt securities
 - ii. Risk factors
 - iii. List of exchanges where the debt securities are listed or proposed to be listed
 - iv. Maximum amount of issuance (in case of medium term notes programme)

(3) In addition to the disclosure requirements specified in sub-regulation (2), the issuer shall disclose the requirements specified by the recognised stock exchange(s).

- 115.** In case of debt securities issued under a programme (including Medium Term Notes programme), the recognised stock exchange may admit to trading the securities which are issued under the programme within twelve months after the approval of the application.
- 116.** The issuer shall ensure that the pricing supplements, wherever applicable, are submitted to the recognised stock exchange(s) before admission to trading.
- 117.** If the security is backed by a guarantee or letter of comfort or any other document /letter with similar intent, the issuer shall ensure that the relevant details are adequately disclosed in the prospectus or information memorandum.
- 118.** The exchange may provide exemption from certain disclosures in the prospectus, shelf prospectus or information memorandum, subsequent to evaluation of the request received from the issuer.

Minimum subscription in case of private placement

- 119.** The minimum subscription amount in case of private placement per investor shall not be less than USD hundred thousand or equivalent or such amount as may be specified by the Authority from time to time, in respect of debt securities listed on a recognised stock exchange.

Credit Rating

- 120.** (1) The issuer may obtain credit rating for its debt securities from a credit rating agency registered with the Authority or registered in India or any Foreign Jurisdiction.
- (2) In case credit rating has been obtained, the issuer shall disclose details of the credit ratings in the prospectus, shelf prospectus or information memorandum, as the case may be.

Public Issue

- 121.** In respect of a public issue of debt securities on a recognised stock exchange, the issuer shall comply with requirements such as appointment of trustee, creation of debenture redemption reserve etc. that may be specified by the Authority or the recognised stock exchange(s), from time to time.

Exempt Issuers

- 122.** The recognised stock exchange(s) may relax some of the requirements from this chapter for the following exempt issuers:
- (a) Supranational, multilateral or statutory institutions /organizations /agencies; and
 - (b) Entities whose securities are irrevocably guaranteed by a Sovereign; and
 - (c) Any other entity as may be specified by the Authority from time to time.

CHAPTER X: ENVIRONMENT, SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG) DEBT SECURITIES

Applicability

- 123.** (1) This chapter shall apply to “green”, “social”, “sustainability” or “sustainability-linked” debt securities listed on a recognised stock exchange in IFSC.
- (2) The requirements under this chapter shall be in addition to the requirements detailed in Chapter IX for listing of debt securities on a recognised stock exchange in IFSC.
- 124.** (1) The debt securities shall be labelled as “green”, “social” or “sustainability” if the funds raised through the issuance of such debt securities are to be utilised for financing or refinancing projects and/or assets aligned with any of the following recognised frameworks:
- a) International Capital Market Association Principles / Guidelines;
 - b) Climate Bonds Standard;
 - c) ASEAN Standards;
 - d) European Union Standards / Taxonomy;
 - e) Any framework or methodology specified by a competent authority in India; or
 - f) Other international standards

Explanation: Other international standards may be considered on a case-by- case basis by the recognised stock exchange(s) or IFSCA.

(2) The debt securities shall be labelled as “sustainability-linked” if aligned with any of the recognised frameworks specified under sub-regulation (1) or any other such qualifying criteria as may be specified by the Authority from time to time.

(3) The issuer shall appoint an independent external reviewer to ascertain that the ESG debt securities are in alignment with any of the recognised framework(s) mentioned at sub-regulation (1), in compliance with the following conditions:

- a) Reviewer shall be independent of the issuer, its directors, senior management, key managerial personnel and advisers;
- b) Reviewer shall be remunerated in a way that prevents any conflicts of interests; and
- c) Reviewer shall have sufficient expertise in assessing ESG debt securities.

(4) The independent external review mentioned at sub-regulation (3) may take one or more of the following forms recommended by International Capital Market Association:

- a) Second Party Opinion
- b) Verification
- c) Certification
- d) Scoring / Rating

(5) The issuer shall ensure that the details regarding the independent external review are disclosed and easily accessible to the investors.

Additional disclosures in Offer document / Information Memorandum

125. (1) The issuer shall make the following additional disclosures in the offer document or information memorandum, as the case may be, in respect of ESG debt securities (other than sustainability-linked debt securities):

- a) A statement on ESG objectives of the issue of debt securities;
- b) Details of process followed by the issuer for evaluating and selecting the project(s) and/or asset(s);
- c) Proposed utilisation of the proceeds of the issue shall include details of the project(s) and/or asset(s); and
- d) Details of the systems and procedures to be employed for tracking the deployment of the proceeds of the issue.

(2) The issuer shall make the following additional disclosures in the offer document or information memorandum, as the case may be, in respect of sustainability-linked debt securities:

- a) The issuer shall disclose the rationale for issuance of sustainability-linked debt securities and consistency with issuers’ overall sustainability and business strategy.
- b) The issuer shall adhere to pre-issuance and post-issuance obligations in accordance with the international standards that the securities are aligned with:

Explanation: Where the debt securities are aligned with ICMA Sustainability-Linked Bond Principles (2020), the guidelines related to 5 core components - Selection of Key Performance Indicators, Calibration of Sustainability Performance Targets, Bond characteristics, Reporting and Verification shall be followed for all the disclosures and continuous obligations.

Additional Continuous Disclosure Requirements

126. (1) The issuer shall provide the following additional disclosures to the recognised stock exchange(s), at least on an annual basis, until full allocation of the proceeds, in respect of ESG debt securities (other than sustainability-linked debt securities):

- a) Utilisation of proceeds of the issue;
- b) *Allocation:* List of project(s) and/or asset(s) to which proceeds of the debt securities have been allocated/invested including a brief description of such project(s) and/or asset(s) and the amounts disbursed:

Explanation: However, where confidentiality agreements limit the amount of detail that can be made available about specific project(s) and/or asset(s), information shall be presented in generic terms or on an aggregated portfolio basis; and

- c) *Impact*: Qualitative performance indicators and, where feasible, quantitative performance measures of the expected/achieved ESG impact of the project(s) and/or asset(s).

Explanations:

- (i) If the quantitative benefits/impact cannot be ascertained, then the said fact may be appropriately disclosed along with the reasons for non-ascertainment of the benefits/impact on the ESG.
 - (ii) The methods and the key underlying assumptions used in preparation of the performance indicators and metrics shall be disclosed.
- (2) The issuer of sustainability-linked debt securities shall provide the following additional disclosures to the recognised stock exchange(s), at least on an annual basis, and in any case for any date/period relevant for assessing the Sustainability Performance Targets (SPT) performance leading to a potential adjustment of the debt securities' financial and/or structural characteristics:
- a) up-to-date information on the performance of the selected Key Performance Indicator(s), including baselines where relevant;
 - b) any information enabling investors to monitor the level of ambition of the SPTs; and
 - c) a verification report by an independent external reviewer outlining the performance against the SPTs and the related impact, and timing of such impact, on the debt securities' financial and/or structural characteristics.

CHAPTER XI: LISTING OBLIGATIONS AND DISCLOSURE REQUIREMENTS

PART A: GENERAL OBLIGATIONS

Applicability

- 127.** The provisions of Part A of this Chapter shall apply to all listed securities on the recognised stock exchange(s) under these regulations.

Principles governing disclosures and obligations

- 128.** The listed entity which has listed securities shall make disclosures and abide by its obligations under these regulations, in accordance with the following principles:
- a) Information shall be prepared and disclosed in accordance with applicable standards of accounting and financial disclosure.
 - b) The listed entity shall implement the prescribed accounting standards in letter and spirit in the preparation of financial statements taking into consideration the interest of all stakeholders and shall also ensure that the annual audit is conducted by an independent, competent and qualified auditor.
 - c) The listed entity shall refrain from misrepresentation and ensure that the information provided to recognised stock exchange(s) and investors is not misleading.
 - d) The listed entity shall provide adequate and timely information to recognised stock exchange(s) and investors.
 - e) The listed entity shall ensure that disseminations made under provisions of these regulations and circulars made thereunder, are adequate, accurate, explicit, timely and presented in a simple language.
 - f) Channels for disseminating information shall provide for equal, timely and cost efficient access to relevant information by investors.
 - g) The listed entity shall abide by all the provisions of the applicable laws including the securities laws and also such other guidelines as may be issued from time to time by IFSCA and the recognised stock exchange(s) in this regard and as may be applicable.
 - h) The listed entity shall make the specified disclosures and follow its obligations in letter and spirit taking into consideration the interest of all stakeholders.
 - i) Filings, reports, statements, documents and information which are event based or are filed periodically shall contain relevant information and shall be filed within the specified timelines.
 - j) Periodic filings, reports, statements, documents and information reports shall contain information that shall enable investors to track the performance of a listed entity over regular intervals of time and shall provide sufficient information to enable investors to assess the current status of a listed entity.

General obligation of compliance

129. The listed entity shall ensure that key managerial personnel, directors, promoters, controlling shareholders or any other person dealing with the listed entity comply with responsibilities or obligations, if any, assigned to them under these regulations.

Compliance Officer and his Obligations

130. (1) A listed entity shall appoint a qualified company secretary as the compliance officer.

(2) The compliance officer of the listed entity shall be responsible for-

- (a) ensuring conformity with the regulatory provisions applicable to the listed entity in letter and spirit;
- (b) co-ordination with and reporting to IFSCA, recognised stock exchange(s) and depositories with respect to compliance with rules, regulations and other directives of these authorities in the manner as specified from time to time; and
- (c) ensuring that the correct procedures have been followed that would result in the correctness, authenticity and comprehensiveness of the information, statements and reports filed by the listed entity under these regulations.

PART B: COMPANIES WITH SPECIFIED SECURITIES LISTED ON RECOGNISED STOCK EXCHANGES AS A PRIMARY LISTING**Event based disclosures**

131. The Listed Company shall immediately make disclosure of any event or information concerning it or any of its subsidiaries or associated companies which, in the opinion of the board of directors of the Listed Company, is material or price sensitive.

Explanation I: The listed entity shall consider the following criteria for determination of materiality of events/information:

- a) the omission of an event or information, which is likely to result in discontinuity or alteration of event or information already available publicly; or
- b) the omission of an event or information is likely to result in significant market reaction if the said omission came to light at a later date; or
- c) In case where the criteria specified in sub-clauses (a) and (b) are not applicable, an event/information may be treated as being material if in the opinion of the board of directors of listed entity, the event / information is considered material.

Explanation II: For the purpose of these regulations, immediately shall mean promptly but not later than 24 hours.

132. The Listed Company shall frame a policy for determination of materiality, based on criteria specified in these regulations, duly approved by its board of directors, which shall be disclosed on its website.

133. The Listed Company shall immediately disclose to the stock exchanges any amendment to memorandum or articles of association of listed entity.

134. The Listed Company shall give prior intimation about the meeting of the board of directors and immediately disclose outcome of the meeting of the board of directors, to the stock exchange(s) in respect of any of the following proposals:

- a. dividends;
- b. buyback of securities;
- c. decision with respect to fund raising or change in capital;
- d. financial results; and
- e. decision on voluntary delisting by the listed entity from stock exchange(s).

135. The Listed Company shall immediately disclose to the stock exchanges the proceedings of Annual and extraordinary general meetings.

136. (1) The Listed Company shall immediately disclose to the stock exchanges change in directors, key managerial personnel, Auditor and Compliance Officer.

(2) In case of a resignation of the auditor of the Listed Company, detailed reasons for resignation of auditor, as given by the said auditor, shall be disclosed by the Listed Company to the stock exchanges as soon as possible but not later than twenty-four hours of receipt of such reasons from the auditor.

(3) In the case of a resignation of any director, key managerial personnel or compliance officer, such person shall inform to the stock exchange(s), in writing if he is aware of any irregularities in the Listed Company which would have a material impact on the company, including financial reporting, as soon as possible but not later than twenty-four hours.

137. The Listed Company shall immediately disclose to the stock exchanges any adverse opinion, disclaimer of opinion, qualified opinion by the auditors on the financial statements of, -

- i. the Listed Company; or
- ii. any of the Listed Company's subsidiaries or associated companies, if the adverse opinion, disclaimer of opinion, qualified opinion has a material impact on the company's consolidated accounts.

138. (1) IFSCA or the stock exchange may require a Listed Company to appoint an auditor to review or investigate the company's affairs and report its findings to the stock exchange or the company's Audit Committee.

(2) The Listed Company may be required by IFSCA or the stock exchange to immediately disclose the appointment of auditor or disclose the findings of the auditor.

139. (1) The promoters and the controlling shareholders of the Listed Company shall disclose details of any encumbrance of specified securities of the Listed Company created or invoked or released, within two working days of such creation, or invocation or release, as the case may be, to:

- (a) The recognised stock exchange (s); and
- (b) The Listed Company.

(2) The Listed Company shall ensure that the disclosures received under sub-regulation (1) are immediately disclosed to the recognised stock exchange(s).

Periodic Disclosures

140. The Listed Company shall submit to the stock exchange(s) shareholding pattern of the company, in the format specified by the IFSCA or the stock exchange(s) on a quarterly basis, within twenty-one days from the end of each quarter.

141. The Listed Company shall disclose to the stock exchange(s) the audited standalone and consolidated financial statements for the full financial year immediately after finalisation of the accounts, but in any event not later than six months of the end of financial year.

142. The Listed Company shall disclose to the stock exchange(s) the financial statements for each of the first three quarters of its financial year immediately after the finalisation of the accounts, but in any event not later than 45 days after the quarter end.

143. The Listed Company shall prepare their statement of accounts in accordance with IFRS or US GAAP or Ind AS or accounting standards as applicable in its jurisdiction of incorporation.

144. (1) The Listed Company shall submit to the stock exchange and publish on its website a copy of the annual report sent to the shareholders along with the notice of the annual general meeting not later than the day of commencement of dispatch to its shareholders.

(2) The annual report shall contain the following:

- a) Audited standalone and consolidated financial statements;
- b) Directors report
- c) Management discussion and analysis report
- d) Corporate Governance practices
- e) Sustainability Report, if applicable; and
- f) Mandatory requirements as specified in the laws of the jurisdiction of incorporation

Statement of deviation(s) or variation(s)

145. (1) The Listed Company shall submit to the stock exchange the statement(s) of deviation (indicating category wise variation between projected utilisation of funds made by it in its offer document), if any, in the use of proceeds from the objects stated in the offer document on a quarterly basis for public issue:

Provided that the start-up and SME companies shall be required to submit the statement of deviation(s) or variations(s) on half yearly basis.

- (2) The statement(s) specified in sub-regulation (1), shall be continued to be given till such time the issue proceeds have been fully utilised or the purpose for which these proceeds were raised has been achieved.
- (3) The statement(s) specified in sub-regulation (1), shall be placed before the audit committee for review and after such review, shall be submitted to the stock exchange(s).
- (4) The Listed Company shall furnish an explanation for the variation specified in sub-regulation (1), in the directors' report in the annual report.

Corporate Governance

- 146.** The Listed Company shall describe its corporate governance practices in its annual report, in the manner specified by the laws of the jurisdiction of its incorporation.

Sustainability Report

- 147.** (1) The Listed Company shall disclose to the stock exchanges a sustainability report with respect to environmental, social and governance factors for its financial year, no later than 6 months after the end of the financial year:

Provided that this clause shall not apply to companies having market capitalisation less than USD 50 million.

- (2) The sustainability report specified in sub-regulation 1 shall be based on:

- (a) internationally accepted reporting frameworks such as Global Reporting Initiative, Sustainability Accounting Standards Board, Task Force on Climate-related Financial Disclosures, Integrated Reporting or any other standards that may be specified by recognised stock exchange(s) or IFSCA; or
- (b) standards prescribed by Ministry of Corporate Affairs, Government of India from time to time.

Corporate actions

- 148.** The Listed Company shall inform the stock exchange(s) in advance of any proposed corporate action.
- 149.** The Listed Company shall give notice of the record date to the stock exchange(s), wherever applicable, in advance of at least three working days specifying the purpose of the record date.

Meetings of shareholders and voting

- 150.** (1) The Listed Company shall provide the facility of remote e-voting facility to its shareholders, in respect of all shareholders' resolutions.
- (2) The Listed Company shall submit to the stock exchange, within forty eight hours of conclusion of its General Meeting, details regarding the voting results.
- (3) The Listed Company shall send proxy forms to holders of securities in all cases mentioning that a holder may vote either for or against each resolution.
- (4) The Listed Company shall provide one-way live webcast of the proceedings of the annual general meetings.

Website

- 151.** The Listed Company shall maintain a functional website containing basic information about the company including details about business, board of directors, key managerial personnel, compliance officer, financial statements, e-mail address for grievance redressal and annual reports.

Dissemination by stock exchanges

- 152.** The stock exchanges shall ensure that the disclosures made by the Listed Companies are immediately disseminated on their websites.

PART C: SECONDARY LISTING OF SPECIFIED SECURITIES

- 153.** The issuer with secondary listing of specified securities on a recognised stock exchange (s) shall comply with the following requirements:
- a) maintain the listing of the specified securities on its home exchange and abide by the listing (or other) rules of such exchange and regulator;
- b) release all disclosures in English to the recognised stock exchange(s) at the same time as they are released to its home exchange or regulator where it has a primary listing; and
- c) comply with such other requirements as may be specified by IFSCA or recognised stock exchange(s) from time to time.

PART D - LISTING OBLIGATIONS AND DISCLOSURE REQUIREMENTS FOR COMPANIES HAVING DEPOSITORY RECEIPTS LISTED ON RECOGNISED STOCK EXCHANGES**Financial Statements**

- 154.** The Listed Company shall disclose to the recognised stock exchange(s) the audited financial statements for the full financial year immediately, but not later than 24 hours, after the finalisation of accounts, but in any event not later than six months of the end of financial year.
- 155.** The Listed Company shall disclose to the recognised stock exchange(s) the financial statements for each of the first three quarters of its financial year immediately after the finalisation of accounts, but in any event not later than 45 days after the quarter.
- 156.** The Listed Company shall prepare their statement of accounts in accordance with IFRS or US GAAP or Ind AS or accounting standards as applicable in its jurisdiction of incorporation.

Disclosure of material or price sensitive events

- 157.** The Listed Company shall immediately disclose to the recognised stock exchange(s) all events which are material or price sensitive.

Shareholding pattern

- 158.** The Listed Company shall submit to the recognised stock exchange(s) shareholding pattern of the company, in the format specified by IFSCA or the stock exchange(s) on a quarterly basis, within twenty-one days from the end of each quarter.

Corporate Governance

- 159.** The Listed Company shall describe its corporate governance practices in its annual report, in the manner specified by the laws in its home jurisdiction.

Change of depository

- 160.** (1) Any change of depository by the Listed Company shall be with the prior approval of the recognised stock exchange(s).
- (2) The Listed Company shall disclose the change of depository within 24 hours, to the recognised stock exchange(s).

Corporate actions

- 161.** The Listed Company shall inform the recognised stock exchange(s) in advance of any proposed corporate action pertaining to the depository receipts or the underlying securities.
- 162.** The Listed Company shall give notice of the record date to the recognised stock exchange(s), wherever applicable, in advance of at least three working days specifying the purpose of the record date.

Other compliances

- 163.** The Listed Company shall comply with the following requirements:
- maintain the listing of the underlying specified securities on its home exchange and abide by the listing (or other) rules of such exchange and regulator;
 - release all disclosures in English to the stock exchange(s) at the same time as they are released to its home exchange or regulator where it has a primary listing; and
 - comply with such other requirements as may be specified by the Authority or stock exchange(s) from time to time.

Voting Rights

- 164.** The voting rights of the DR holders shall be exercised in accordance with the depository agreement.

Dissemination by stock exchanges

- 165.** The recognised stock exchanges shall ensure that the disclosures made by the Listed Companies are immediately disseminated on their websites.

PART E - LISTING OBLIGATIONS AND CONTINUOUS DISCLOSURE REQUIREMENTS FOR DEBT SECURITIES**Disclosure of material or price sensitive events**

- 166.** (1) The issuer shall immediately disclose to the stock exchange(s) all events which are material or price sensitive.

- (2) The issuer shall immediately disclose to the stock exchange(s) the following events:
- any redemption or cancellation of the debt securities;
 - details of any interest payment(s) to be made (except if the debt securities are fixed rate);
 - any buy back or put option exercised; and
 - any delay in payment of principal and/or interest amount.

Financial Statements

- 167.** The issuer shall disclose to the stock exchange(s) the audited financial statements for the full financial year immediately after the finalisation of accounts, but in any event not later than six months of the end of financial year.
- 168.** The issuer shall prepare their statement of accounts in accordance with IFRS or US GAAP or Ind AS or accounting standards as applicable in its jurisdiction of incorporation.

Annual Report

- 169.** The issuer shall submit to the recognised stock exchange a copy of the annual report immediately after the finalisation of the same, but in any event not later than six months of the end of financial year.

Credit Rating

- 170.** The issuer shall immediately disclose to the stock exchange any revision in the credit rating.

Record Date

- 171.** The issuer shall disclose the record date relevant for the holders of debt securities in a timely manner.

Exempt Issuers

- 172.** The recognised stock exchange(s) may relax some of the requirements from this chapter for the following exempt issuers:
- Supranational, multilateral or statutory institutions /organizations /agencies; and
 - Entities whose securities are irrevocably guaranteed by a Sovereign; and
 - Any other entity as may be specified by the Authority from time to time.

CHAPTER XII: PERMITTED TO TRADE (WITHOUT LISTING)

- 173.** The stock exchange(s) may permit trading of securities listed on an exchange in India or in a Foreign Jurisdiction, subject to the following conditions:
- Such trading of securities, without listing on the recognised stock exchange(s), is in accordance with the applicable laws of the jurisdictions in which the securities are listed; and
 - The stock exchange(s) shall ensure clearing and settlement of the trades.

- 174.** Such securities that are permitted to trade by the stock exchange(s), without listing by the company, shall not be considered as listed on the stock exchange(s) in IFSC for the purpose of these regulations.

CHAPTER XIII: MISCELLANEOUS

Listing agreement

- 175.** The company desirous of listing its specified securities on a stock exchange(s) in IFSC shall execute a listing agreement with such stock exchange(s), in the manner provided by the stock exchange(s).

Refusal of admission to list

- 176.** The stock exchange(s), in its discretion, may reject an application for admission to list securities if it considers that-
- listing of securities would be detrimental to investors' interests; or
 - the issuer does not comply or will not comply with any requirement specified by IFSCA or the recognised stock exchange(s).

Suspension

- 177.** The stock exchange(s) may suspend the trading of securities where it appears that:
- the issuer is in non-compliance with the regulatory provisions specified by the Authority or the recognised stock exchange(s); or

- b) the issuer has been suspended for trading of its securities by any other exchange;
- c) the suspension is required for ensuring orderly operation of its market.

178. The stock exchange(s) may restore trading of securities that have been suspended if it considers that the suspension is no longer required.

Voluntary Delisting

179. The stock exchange(s) may delist securities, based on request received from the company, in the manner that may be specified by the recognised stock exchange(s) or IFSCA.

Compulsory Delisting

180. The stock exchange(s) may compulsorily delist securities of the issuer on the following conditions:

- a) The securities have remained suspended for a period of more than six months;
- b) the securities have been compulsorily delisted from another exchange;
- c) if the exchange is satisfied that there are special circumstances that require delisting of the securities; or
- d) it is directed to do so by IFSCA or any other relevant authority or any court order of applicable jurisdiction.

Submission of information

181. The issuer shall provide any information sought by IFSCA or the stock exchange(s) relating to securities market.

Power to relax strict enforcement of the regulations

182. (1) IFSCA may, in the interest of investors or for the development of the securities market, relax the strict enforcement of any requirement of these regulations.

(2) For seeking relaxation under sub-regulation (1), an application, giving details and the grounds on which such relaxation has been sought, shall be filed with IFSCA.

(3) The application referred to under sub-regulation (2) shall be accompanied by a non-refundable fee in the manner as may be specified by IFSCA.

Power to remove difficulty

183. In order to remove any difficulties in the application or interpretation of these regulations, IFSCA may issue clarifications through guidance notes or circulars after recording reasons in writing.

Repeal and Savings

184. (1) On and from the commencement of these regulations, the provisions relating to issuance and listing of specified securities and debt securities specified under Securities and Exchange Board of India (International Financial Services Centres) Guidelines, 2015 shall stand superseded.

(2) The IFSCA circular F. No. 87/IFSCA/DRs/2020-21 dated October 28,2020 shall stand superseded from the date of commencement of these regulations.

(3) Notwithstanding (1) and (2) above, anything done or any action taken or purported to have been taken under the Securities and Exchange Board of India (International Financial Services Centres) Guidelines, 2015 or IFSCA circular F. No. 87/IFSCA/DRs/2020-21 dated October 28,2020 before the commencement of these regulations shall be deemed to have been done or taken or commenced under the corresponding provisions of these regulations.

INJETI SRINIVAS, Chairperson
[ADVT.-III/4/Exty./155/2021-22]